

सातवां संस्करण



की प्रस्तुति

न्यायाक्षमा

न्याय की किरण



ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एएवसीआर एवं
आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लोकार्पित

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एचसीआर
एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

द्वारा प्रस्तुत

न्यायाभा-न्याय की किरण

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय की त्रैमासिक ई-पत्रिका)



संरक्षक

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली
(मुख्य न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च न्यायालय)



माननीय न्यायमूर्ति
श्री अजित कुमार
अध्यक्ष



माननीय न्यायमूर्ति
श्री समीर जैन
सदस्य



माननीय न्यायमूर्ति
श्री विक्रम डी. चौहान
सदस्य



माननीय न्यायमूर्ति
श्री विवेक कुमार सिंह
सदस्य

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री, ई-एचसीआर
एवं आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ए.आई.कमेटी

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ ने भारत के जनमानस को उनकी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय उपलब्ध कराकर उनमें विधिक जागरूकता फैलाने के लिए, 23 जनवरी, 2023 को भारत के सभी उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायमूर्तिगण को पत्र भेज कर, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक ए. आई. कमेटी के गठन का निर्देश दिया, जिसके अनुपालन में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी, उच्च न्यायालय का गठन 25 जनवरी, 2023 को हुआ।

कमेटी का प्रथम गठन माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक चौधरी, अध्यक्ष व माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान, सदस्य के रूप में हुआ। 29 मार्च, 2023 को माननीय न्यायमूर्ति श्री ओम प्रकाश शुक्ला, अध्यक्ष व माननीय न्यायमूर्ति श्री नलिन कुमार श्रीवास्तव, सदस्य के रूप में कमेटी को पुनर्गठित किया गया। 09 मई, 2023 को माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, अध्यक्ष एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान, सदस्य के रूप में कमेटी का पुनर्गठन हुआ। इस पूरी प्रक्रिया अवधि में ही, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व लखनऊ पीठ, लखनऊ में स्वतंत्र सुवास प्रकोष्ठ का गठन 16 अगस्त, 2023 को हुआ। दिनांक 26 फरवरी, 2024 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़ के निर्देशानुसार ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय-पत्रिका (e-AHCR) के प्रकाशन हेतु 28 फरवरी, 2024 को माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उक्त कमेटी के तीसरे सदस्य के रूप में नामित किया गया। दिनांक 25 जनवरी, 2025 को माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान की सेवानिवृत्ति के बाद 02 सदस्यीय कमेटी कार्यरत रही। तदोपरांत दिनांक 06 अगस्त, 2025 को माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश द्वारा कमेटी का पुनर्गठन, उच्च न्यायालय ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी एवं ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी तथा इंडियन लॉ रिपोर्टर व उसके ऑनलाइन संस्करण के प्रकाशन, वितरण एवं विक्रय हेतु समिति (संक्षेप में ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एचसीआर एवं आईएलआर कमेटी, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद) के नाम से किया गया, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, अध्यक्ष व माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरभ श्याम शमशेरी, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा, सदस्य के रूप में नामित थे। पुनर्गठित वर्तमान कमेटी में माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार, अध्यक्ष व माननीय न्यायमूर्ति श्री समीर जैन, माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह, सदस्य के रूप में नामित हैं।

सुवास प्रकोष्ठ, उक्त कमेटी के निर्देशन में अब तक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के 90000 से अधिक निर्णयों का अनुवाद कराकर ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका में प्रकाशित कर चुका है। साथ ही उच्चतम न्यायालय के उत्तर प्रदेश राज्य से उत्पन्न लगभग 347 निर्णयों का अनुवाद कराकर प्रकाशित किया जा चुका है। इसके साथ ही सुवास प्रकोष्ठ द्वारा, बॉम्बे हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से उत्पन्न होने वाले सुप्रीम कोर्ट के मामलों के निर्णयों का भी अनुवाद किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय की ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी कमेटी के निरंतर मार्गदर्शन एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की ए. आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एचसीआर एवं आईएलआर कमेटी के सघन पर्यवेक्षण और दिशानिर्देशों के फलस्वरूप सुवास प्रकोष्ठ द्वारा 'ई- इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका', त्रैमासिक ई-पत्रिका 'न्यायाभा- न्याय की किरण', 'ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय' की श्रृंखला इत्यादि का प्रकाशन किया जा रहा है।

संपादकीय

“प्रिय पाठकगण,”

यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सुवास प्रकोष्ठ द्वारा प्रकाशित गैर- न्यायिक त्रैमासिक ई-पत्रिका ‘न्यायाभा - न्याय की किरण’ की सातवीं आवृत्ति पाठकों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इस ई-पत्रिका के प्रथम छः संस्करणों को मिली प्रसंशा और प्रोत्साहन ने हमें इस संस्करण को श्रेष्ठतर बनाने के लिए प्रेरित किया। इस संस्करण में विधि क्षेत्र के विविध लेखों, संस्मरणों, स्मृतियों आदि के साथ- साथ अद्यतन मूलभूत विषयों को समाहित किया गया है, जिससे यह पत्रिका विधि विद्यार्थियों, अधिवक्ताओं एवं आम जनमानस के लिए अधिक उपयोगी बन सके।

गैर न्यायिक क्षेत्र के लेखों, संस्मरणों, स्मृतियों आदि को समर्पित, इस ई-पत्रिका के सातवें संस्करण में महत्वपूर्ण विषयों ‘प्रकृति - मानव जाति की साझी धरोहर: पर्यावरण विधि का परिप्रेक्ष्य, डिजिटल अरेस्ट: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन, विदाई भाषण : श्री नीरज तिवारी, न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, भगवद्गीता, भारत का संविधान और संविधानवाद, भारत में सुधारात्मक एवं पुनर्स्थापनात्मक आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में : दण्ड के वैकल्पिक उपाय के रूप में सामुदायिक सेवा : ‘ आदि लेखों को समेकित किया गया है। इसके अतिरिक्त पाठकगण के लिए 2026 के द्वितीय तिमाही (अप्रैल 2026 से जून 2026 तक) के ए.एफ.आर. निर्णयों की सूची का प्रकाशन किया गया है।

इस सातवें संस्करण की तैयारी में विशेषज्ञों एवं पाठकों की टिप्पणियों का विशेष ध्यान रखा गया है। हमें आशा है कि यह संस्करण भी अपने पूर्व संस्करणों की तरह पाठकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। अंत में, उन सभी पाठकों, न्यायविदों एवं सहयोगियों का आभार, जिनके सहयोग एवं सुझावों ने इस कृति को समृद्ध किया। आप अपने सुझाव हमें ई-मेल के माध्यम से editorialboard.suvascell@gmail.com पर भेज सकते हैं, हम इस पत्रिका को उत्कृष्ट बनाने के लिए सतत प्रयासरत हैं।

धन्यवाद
संपादक मंडल

अस्वीकरण

पत्रिका में प्रकाशित अंशों/लेखों को ए.आई. तकनीक का प्रयोग करके अनुवादित किया गया है।

अनुवादित संस्करण में पूर्ण एवं उचित जानकारी प्रदान करने के लिए सतर्कता और सावधानी बरती गई है। फिर भी, गलत या अशुद्ध अनुवाद अथवा अनुवादित पाठ की अंतर्वस्तु में, किसी भी त्रुटि, चूक या विसंगति के लिए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उसकी लखनऊ खंडपीठ की रजिस्ट्री/सुवास प्रकोष्ठ, उत्तरदायी नहीं होगी।

अगर आप मूल लेखों को पढ़ना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए उनका स्रोत अनुक्रमणिका में मूल स्रोत के अंतर्गत दिया गया है।

की प्रस्तुति

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषयवस्तु	मूल स्रोत	पृष्ठ संख्या
1.	प्रकृति - मानव जाति की साझी धरोहर: पर्यावरण विधि का परिप्रेक्ष्य	Source: Journal of the Indian Law Institute , JulySeptember 2001, Vol. 43, No. 3 (July-September 2001), pp. 358-387 https://www.jstor.org/stable/43951782	07
2.	डिजिटल अरेस्ट: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन	https://securitylinkindia.com/eMagazine/February2025.php	25
3.	विदाई भाषण	श्री नीरज तिवारी, न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	27
4.	भगवद्गीता, भारत का संविधान और संविधानवाद	सौरभ बासु, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	30
5.	भारत में सुधारात्मक एवं पुनर्स्थापनात्मक आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में :दण्ड के वैकल्पिक उपाय के रूप में सामुदायिक सेवा	आमिर सुहैल, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा	38
6.	द्वितीय तिमाही (अप्रैल 2026 से जून 2026 तक) के ए.एफ.आर. निर्णयों की सूची		48

न्यायाभा-न्याय की किरण

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय की त्रैमासिक ई-पत्रिका)



की प्रस्तुति

प्रकृति-मानव जाति की साझी धरोहर: पर्यावरण विधि का परिप्रेक्ष्य

प्रकृति मानव जाति की साझी धरोहर है। इस धरोहर के संरक्षण हेतु मानव जाति को निरंतर प्रयास करना चाहिए। प्रदूषण इस दिशा में मानव की विफलता का प्रतीक है। जब स्वैच्छिक कार्रवाई विफल हो जाती है, तब एक अनैच्छिक कार्रवाई का सूत्रपात होता है। यही प्रक्रिया पर्यावरण विधि को जन्म देती है। पर्यावरणीय प्रदूषण इस ग्रह पर मानव-जाति के विकास जितना ही प्राचीन है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास तथा सतत बढ़ते उद्योगों ने मानव पर्यावरण में अत्यधिक परिवर्तन ला दिया है। इन परिवर्तनों ने पारिस्थितिक नियमों को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे मानव जीवन एवं पर्यावरण के मध्य संतुलन सिकुड़ गया। इसके साथ ही अनगिनत अन्य समस्याएँ भी उत्पन्न हुईं जिनसे पर्यावरण प्रभावित हुआ। तथापि, प्रदूषण को सबसे गंभीर समस्या के रूप में मान्यता प्राप्त है।

पर्यावरण के संरक्षण अथवा प्रदूषण के निवारण की चर्चा आज स्टॉकहोम घोषणा से प्रारम्भ होती है। यह भारत में ब्रिटिश राज तक भी जा सकती है। परंतु यह तथ्य नहीं है; यदि हम पर्यावरण विधि के इतिहास का सम्यक रूप से अध्ययन करें तो प्राचीन एशियाई साहित्य पर्यावरण को क्षरण से बचाने हेतु प्रावधानों से भरा हुआ है। आधुनिक औद्योगिक विकास पिछली शताब्दी की उपज है। अतः प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख नहीं मिलता।

प्राचीन काल में प्राकृतिक संसाधनों की देखभाल पर बल दिया जाता था। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के पाँच तत्वों — 'पृथ्वी', 'जल', 'वायु', 'प्रकाश' और 'आकाश' — के साथ जीवन-यापन करना सीखा और इनकी वास्तविक तथा प्रतीकात्मक रूप से पूजा की। हिन्दू धार्मिक साहित्य, अर्थात् पवित्र वेद, पुराण एवं उपनिषद, मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों तथा प्रकृति के प्रति मानव जाति के ऋण के विषय में पर्याप्त जानकारी प्रदान करते हैं। वैदिक साहित्य पर्यावरण के संरक्षण एवं रक्षण तथा प्रदूषण की रोकथाम हेतु श्लोकों से परिपूर्ण है। पुराणकथाओं, लोककथाओं, कला, संस्कृति एवं धर्म में ऊर्जा (सौर ऊर्जा), वृक्षों एवं वन्य जीवन की श्रद्धापूर्वक आराधना की गई है। वेद, उपनिषद, पुराण एवं अन्य धर्मग्रंथ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के महत्त्व पर बल देते हैं। जल को दूषित करना एक पाप माना जाता था जिसके लिए बहिष्करण, अर्थदंड आदि के रूप में प्रायश्चित्त किया जाता था। अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है:

जो व्यक्ति नगर के भीतर बिल्ली, कुत्ता, नेवला तथा सर्प जैसे पशुओं के शव डालता था, उसे तीन पण के अर्थदंड से दंडित किया जाता था। यदि वह शव गधा, ऊँट, खच्चर अथवा मानव शव का होता था, तो उसे पचास पण के अर्थदंड से दंडित किया जाता था।

महाभारत हमें यह चेतावनी देता है कि यद्यपि प्रदूषण फैलाने एवं दूषित करने हेतु कुछ ही व्यक्ति पर्याप्त होते हैं, परंतु संपूर्ण समाज विभिन्न रोगों से पीड़ित हो सकता है। चाणक्य द्वारा 'विकृति' (प्रदूषण) का उल्लेख दूषित वायु एवं दूषित जल के दुष्प्रभावों के विषय में लोगों को सचेत करता था।

इसी प्रकार, पवित्र कुरान में भी एक संदर्भ — "पृथ्वी पर उपद्रव मत करो" — पाया जाता है। ईसाई धर्म में शुद्धिकरण के प्रतीक के रूप में जल में बपतिस्मा दिया जाता है। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत सरलता तथा अहिंसा हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण एवं रक्षण में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। जैन धर्म का मूल आधार मानव के हित हेतु जीवित तथा निर्जीव संसाधनों के न्यूनतम विनाश पर केंद्रित है। गुरु ग्रंथ साहिब भी इस बात पर बल देता है कि मानव शरीर प्रकृति के पाँच मूल तत्वों, अर्थात् पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि एवं आकाश से निर्मित है।

भारत में प्रतिध्वनित होने वाले सभी धर्मों में पारिस्थितिक आचार-संहिता के पालन हेतु पर्यावरणीय भाव विद्यमान हैं और इस प्रकार वे प्रकृति तथा उसकी रचनाओं के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं। प्रदूषण के परिणामस्वरूप होने वाला पर्यावरणीय क्षरण समस्त राष्ट्रों को प्रभावित

करता है। राज्यों की सीमाएँ प्रदूषण के प्रसार को रोकने की गारंटी नहीं देती। पर्यावरण के संरक्षण एवं रक्षण हेतु नियामक उपायों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर विधियों की आवश्यकता होती है। तदनुसार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विधियों से समन्वित रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। किसी विचार को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने हेतु, एक का दूसरे के साथ अंतःक्रिया अनिवार्य है। भारत में पर्यावरण विधि की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण विधियों के संक्षिप्त ऐतिहासिक विकास, विशेष रूप से उन विधियों का उल्लेख आवश्यक हो जाता है जिन्होंने हाल के समय में भारतीय पर्यावरण विधि के विकास को प्रभावित किया है।

II. अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विधि का प्रभाव

जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय चिंता तुलनात्मक रूप से हाल की उत्पत्ति है। प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि में पर्यावरण के संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु कोई विशिष्ट नियम सन्निहित नहीं हैं। अतः राज्य की उत्तरदायित्व संबंधी सामान्य सिद्धांतों के अतिरिक्त, राज्यों की स्वतंत्रताओं एवं कर्तव्यों को विनियमित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। 'सिक यूटेरो दुओ उट एलिएनम नॉन लेडास' का सिद्धांत (कि व्यक्ति को अपने अधिकार का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि अन्य को क्षति न पहुँचे) राष्ट्रों के मध्य प्रदूषण एवं पर्यावरणीय क्षति की रोकथाम हेतु एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। ट्रेल स्मेल्टर वाद इस संबंध में एक ऐतिहासिक उदाहरण है। 1941 में अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के मध्य ट्रेल स्मेल्टर पंच निर्णय (आर्बिट्रेशन) में यह मान्यता दी गई कि किसी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने क्षेत्र का उपयोग इस प्रकार करे या उसकी अनुमति दे जिससे धुँएँ द्वारा अन्य राज्य के क्षेत्र को क्षति पहुँचे, जब गंभीर क्षति का स्पष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य स्थापित हो।

ट्रेल स्मेल्टर वाद में निर्धारित सिद्धांत को बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक आबद्धकारी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया, विशेष रूप से जब मेक्सिको ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमाओं के भीतर स्थित निजी स्वामित्व वाले स्टॉकयाई से अपने क्षेत्र में पहुँचने वाली दुर्गंध का प्रश्न उठाया। इस प्रकार के मामलों में दायित्व की सीमा का निर्धारण गट डैम पंच निर्णय द्वारा किया गया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के मध्य बाँध का स्तर बढ़ाने तथा उसके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका को हुई क्षति के संबंध में विवाद से संबंधित एक करार था। 'सिक यूटेरो दुओ उट एलिएनम नॉन लेडास' का सिद्धांत मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम घोषणा, 1972 के सिद्धांत 21 तथा 22 का आधार है। 'सिक यूटेरो दुओ उट एलिएनम नॉन लेडास' के सिद्धांत की पुनरावृत्ति कोफूँ चैनल वाद में भी हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह घोषित किया कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह "जानते हुए अपने क्षेत्र का उपयोग अन्य राज्यों के अधिकारों के विपरीत कार्यों हेतु न होने दे"।

स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972

स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास का मैग्ना कार्टा माना जाता है। यह पहली बार था कि विश्व समुदाय पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार-विमर्श हेतु एकत्र हुआ। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप 'मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम घोषणा' अस्तित्व में आई। इस घोषणा में, प्रस्तावना के अतिरिक्त, सात सार्वभौमिक सत्य एवं छब्बीस सिद्धांत सन्निहित हैं। इसमें यह उद्घोषित किया गया कि मानव अपने पर्यावरण का सृजक भी है और निर्माता भी, जो उसे भौतिक जीवन-निर्वाह प्रदान करता है तथा उसे बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक एवं आत्मिक विकास का अवसर देता है। मानव पर्यावरण के दोनों पक्ष – प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित – उसके कल्याण तथा मूल मानव अधिकारों, यहाँ तक कि जीवन के अधिकार के उपभोग हेतु अनिवार्य हैं। उस सम्मेलन में प्रतिपादित मूल सिद्धांतों में सम्मिलित थे: (i) मानव को स्वतंत्रता, समानता एवं जीवन की पर्याप्त परिस्थितियों का मूल अधिकार है, ऐसे गुणवत्तायुक्त पर्यावरण में जो गरिमा एवं कल्याणपूर्ण जीवन की अनुमति दे; तथा (ii) मानव पर वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों हेतु पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार का गंभीर उत्तरदायित्व है। सम्मेलन ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, संकल्प एवं सिफारिशें अंगीकृत कीं, अर्थात: (i) मानव पर्यावरण पर घोषणा; (ii) मानव पर्यावरण हेतु कार्ययोजना; (iii) संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्थाओं पर एक संकल्प; (iv) परमाणु अस्त्र परीक्षणों, विशेष रूप से वातावरण में किए जाने वाले परीक्षणों, की निंदा करने वाला संकल्प – राज्यों से ऐसे परीक्षण न करने का आह्वान किया गया क्योंकि इससे पर्यावरण दूषित हो सकता

है; तथा (v) राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई हेतु सरकारों की सिफारिशों को संदर्भित करने का निर्णय। मानव पर्यावरण पर घोषणा के समस्त छब्बीस सिद्धांतों को महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया। इस घोषणा का पर्यावरणीय क्षेत्र में वही महत्त्व है जो मानव अधिकारों एवं नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण हेतु बनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 का है।

साथ ही प्रस्तुत 'कार्ययोजना' में मानव पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार हेतु 109 सिफारिशें सन्निहित थीं। इसमें वैश्विक महत्त्व की पर्यावरणीय क्षतियों एवं समस्याओं की पहचान तथा मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की सिफारिश की गई। प्रबुद्ध जन-मत ने भारत के संविधान के राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप से प्रावधान सम्मिलित कर संशोधन की मांग तक की। इस सम्मेलन का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम 1972 के पश्चात भारतीय विधियों का अधिनियमन है, मुख्यतः जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा कारखाना संशोधन अधिनियम, 1987।

बासेल अभिसमय, 1989

खतरनाक एवं विषाक्त अपशिष्टों के डंपिंग तथा उससे होने वाली पर्यावरणीय क्षति की रोकथाम हेतु, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 43वें सत्र में समस्त सदस्य राष्ट्रों से विषाक्त एवं खतरनाक उत्पादों तथा अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उसके परिणामस्वरूप संचयन को रोकने एवं समाप्त करने हेतु विधिक तथा तकनीकी उपाय करने का आग्रह किया। परिणामस्वरूप, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा महासभा के उक्त संकल्प को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में एक वैश्विक अभिसमय तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया। खतरनाक अपशिष्टों के सीमापार संचलन एवं उनके निपटान को नियंत्रित करने हेतु वैश्विक संधि का प्रारूपण 1987 में प्रारंभ हुआ। ओएयू एवं ईईसी के सदस्यों सहित सौ से अधिक देशों ने अंतिम वार्ता में भाग लिया तथा अभिसमय को अनुमोदित किया।

बासेल अभिसमय को प्रस्तावना के अतिरिक्त 29 अनुच्छेदों एवं छह अनुलग्नकों में विभाजित किया गया है। यह अभिसमय रेडियोधर्मी पदार्थों एवं किसी जलयान के सामान्य परिचालन से उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों को इस आधार पर अपवर्जित करता है कि इन पदार्थों से संबंधित विद्यमान अंतर्राष्ट्रीय उपबंध पहले से ही उपलब्ध हैं। इसमें यह उपबंधित किया गया है कि खतरनाक अपशिष्टों का अवैध व्यापार एक अपराध है। कोई हस्ताक्षरकर्ता राज्य किसी गैर-पक्षकार राष्ट्र को खतरनाक अपशिष्ट प्रेषित नहीं कर सकता। अभिसमय के पक्षकार राज्य को अपनी राष्ट्रीय अधिकारिता के अधीन समस्त व्यक्तियों को खतरनाक अपशिष्ट के परिवहन या निपटान से प्रतिषिद्ध करना होगा। खतरनाक अपशिष्टों के प्रेषण को सामान्यतः स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं मानकों के अनुरूप पैक, लेबल एवं परिवहित किया जाना चाहिए।

अभिसमय की अन्य प्रमुख विशेषताएँ यह हैं कि निर्यातक देश द्वारा कोई प्रेषण प्रारंभ करने से पूर्व, उसे आयातक देश की लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी तथा निर्यातक देश को आयातक देश को आसन्न जोखिमों के आकलन हेतु प्रस्तावित निर्यात की विस्तृत सूचना सर्वप्रथम प्रदान करनी होगी। खतरनाक अपशिष्टों के समस्त सीमापार संचलन बीमा, प्रतिभूति अथवा अन्य प्रतिभूति द्वारा आच्छादित होने चाहिए।

इस प्रकार, बासेल अभिसमय खतरनाक अपशिष्ट के संबंध में राज्य पक्षकारों के मध्य समय पर सूचना, जानकारी, विनिमय एवं परामर्श हेतु उपबंध करता है। अभिसमय की मुख्य कमजोरी यह है कि इसकी कोई केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसी नहीं है, अपितु इसमें सदस्य देशों से खतरनाक अपशिष्टों की व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ सम्मिलित हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1989, जैसा 2000 में संशोधित किया गया, तथा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998 इस अभिसमय की उपपैदावार (उपज) हैं।

पृथ्वी सम्मेलन, 1992

पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीडी), जो लोकप्रिय रूप से पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था तथा इसने विश्व को सतत विकास के मार्ग पर अग्रसर किया, जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को सीमित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। पृथ्वी सम्मेलन ने विश्व भर के लोगों को इस विषय पर पुनर्विचार हेतु बाध्य किया कि उनका जीवन प्राकृतिक पर्यावरण एवं उसके संसाधनों को किस प्रकार प्रभावित करता है। पृथ्वी सम्मेलन की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित दस्तावेजों में प्रतिफलित हैं: (i) पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के संबंध में राज्यों के अधिकारों एवं दायित्वों को परिभाषित करने वाले सिद्धांतों की एक श्रृंखला सन्निहित है; (ii) एजेंडा 21, जो सतत विकास की ओर संक्रमण को प्रभावित करने हेतु वैश्विक कार्रवाइयों की एक व्यापक रूपरेखा है; (iii) विश्व भर में वनों के सतत प्रबंधन का समर्थन करने हेतु सिद्धांतों का एक समूह; तथा (iv) विधिक रूप से आबद्धकारी अभिसमय, अर्थात् जलवायु परिवर्तन पर अभिसमय एवं जैव-विविधता पर अभिसमय, जिनका उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन की रोकथाम तथा जैविक रूप से विविध प्रजातियों के विलोपन की रोकथाम है।

रियो घोषणा के सिद्धांत 13 में राज्यों से प्रदूषण तथा अन्य पर्यावरणीय क्षतियों के पीड़ितों के दायित्व एवं प्रतिकर के संबंध में राष्ट्रीय विधियाँ विकसित करने का आह्वान किया गया है। यह घोषणा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम इस अभिसमय का सीधा परिणाम है। सिद्धांत 15 में 'सावधानी का सिद्धांत' सन्निहित है, जिसके अनुसार जहाँ गंभीर अथवा अपरिवर्तनीय क्षति की संभावना हो, वहाँ पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता की कमी को पर्यावरणीय क्षरण की रोकथाम हेतु लागत-प्रभावी उपायों को विलंबित करने के कारण के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। घोषणा का सिद्धांत 16 इस प्रस्थापना की पुनरावृत्ति करता है कि प्रदूषक को भुगतान करना होगा, जिसे 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' के नाम से जाना जाता है। इसमें 'पर्यावरणीय प्रभाव आकलन' की भी कल्पना उन मामलों में एक राष्ट्रीय उपकरण के रूप में की गई है जो पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। यह जानने के अधिकार पर बल देते हुए सामूहिक आपदा को प्रभावित करने वाले विधान का मार्ग प्रशस्त करता है। इन सिद्धांतों को भारत के उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों में न्यायिक मान्यता प्राप्त हुई है।

जलवायु परिवर्तन पर ढांचा अभिसमय (यूएनएफसीसी) को 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अंगीकृत कर और अधिक सुदृढ़ किया गया। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य वातावरण में हरितगृह गैसों के उत्सर्जन को सीमित करके जलवायु प्रणाली में खतरनाक हस्तक्षेप को रोकना है।

III. भारतीय विधि का परिप्रेक्ष्य

भारत पर्यावरण संबंधी अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों का पक्षकार है; अतः वह पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण के साथ-साथ पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार हेतु उपयुक्त कदम उठाने हेतु आबद्ध है। भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण का विशिष्ट संदर्भ दिया गया है। भारत की संहिता में प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनेक विधियाँ विद्यमान हैं।

ब्रिटिश काल में, पर्यावरणीय प्रदूषण का विधिक नियंत्रण भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधिनियमन से प्रारंभ हुआ। संहिता की धारा 277 यह उपबंधित करती है कि जो कोई स्वेच्छा से किसी सार्वजनिक स्रोत अथवा जलाशय के जल को इस प्रकार दूषित या मलिन करता है कि वह उस प्रयोजन के लिए कम उपयोगी हो जाए जिसके लिए उसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है, उसे तीन मास तक की साधारण अथवा कठोर कारावास, अथवा सौ रुपये तक के अर्थदंड, अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। संहिता यह भी उपबंधित करती है कि जो कोई स्वेच्छा से किसी स्थान के वातावरण को इस प्रकार दूषित करता है कि वह उस पड़ोस में निवास करने या व्यवसाय करने वाले अथवा किसी सार्वजनिक मार्ग से गुजरने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य हेतु "हानिकारक" हो जाए, उसे पाँच सौ रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। जल का प्रदूषण संहिता की धारा 269, 288, 290 तथा 425 के अधीन भी अपराध हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1898, जैसा संशोधित है, की धारा 133 तथा 144 विनिर्दिष्ट मैजिस्ट्रेटों को हानिकारक कार्यों या

लोक न्यूसेंस को रोकने या शांत करने हेतु तत्काल उपाय करने की शक्ति प्रदान करती हैं। ब्रिटिश भारत में प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कई अन्य अधिनियम भी थे, जो मुख्यतः तीन क्षेत्रों, अर्थात् कारखानों के विनियमन, वनों के परिरक्षण तथा पशुओं एवं वन्य जीवन के संरक्षण से संबंधित थे।

उत्तर भारत नहर एवं जल-निकासी अधिनियम, 1873 तथा पूर्वी भारत सिंचाई एवं नहर अधिनियम, 1859 इन क्षेत्रों की जल आपूर्ति को विनियमित करते थे। यह किसी नहर के जल को दूषित या मलिन करने को प्रतिषिद्ध करता है। इस विधान ने सिंचाई हेतु अभिप्रेत जल को विधिक संरक्षण प्रदान किया। प्रांतीय विधियों ने मत्स्य पालन का संरक्षण किया। तट न्यूसेंस (बम्बई एवं कोलाबा) अधिनियम, 1853 ने भू-राजस्व कलक्टर को यह शक्ति प्रदान की कि वह किसी पक्ष को उच्च जल चिह्न से नीचे कहीं भी न्यूसेंस हटाने का निदेश दे अथवा स्वयं उसे शांत करे या हटाए। ओरिएंटल गैस कंपनी अधिनियम, 1857 भी इस संदर्भ में संगत है। इसमें जल को मलिन या दूषित करने पर दंड का उपबंध किया गया था। इसने किसी व्यक्ति को गैस कंपनी के जल हेतु पाइपों एवं नालियों की जांच करने तथा जल प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसी रिसाव का पता लगाने हेतु भूमि खोदने का प्राधिकार भी दिया। सराय अधिनियम, 1867 ने सराय-स्वामियों पर मानव एवं पशु उपभोग हेतु जल को उपयुक्त बनाए रखने का कर्तव्य अधिरोपित किया। फेयर वेज अधिनियम, 1881, भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 एवं अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 भी जल के प्रदूषण से संबंधित थे। वन क्षेत्र में जल को विषाक्त करके प्रदूषित करना वन अधिनियम, 1927 की धारा 26(i) के अधीन दंडनीय बनाया गया। सुविधाधिकार (ईज़मेंट) अधिनियम, 1882 की धारा 28(घ) जल को प्रदूषित करने के निरपेक्ष अधिकार पर प्रतिबंधात्मक है, जैसा धारा 7 के दृष्टांत (च), (ज) तथा (ज) से स्पष्ट है, जो 'अनुचित रूप से प्रदूषित करने' अथवा 'अन्य को सारवान क्षति' पहुँचाने के अधिकार को सीमित करता है। अपकृत्य विधि के अधीन सामान्य विधि (कॉमन लॉ) उपचार भी उपलब्ध थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकृत्य उपचार हैं: (i) न्यूसेंस; (ii) अनधिकार प्रवेश; (iii) उपेक्षा; तथा (iv) कठोर दायित्व।

संवैधानिक अधिदेश

पर्यावरण विधि का भारतीय संविधान में विशेष उल्लेख किया गया है। 42वें संशोधन से पूर्व, संविधान के अनुच्छेद 21 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का लाभ उठाया जाता था। अनुच्छेद 21 इस प्रकार है: 'किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार के सिवाय वंचित नहीं किया जाएगा'। यह प्रत्येक व्यक्ति को जीवन तथा वैयक्तिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का आश्वासन देता है। न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने फ्रांसिस कोरली बनाम दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में कहा:

हम मानते हैं कि जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार तथा उससे जुड़ी हुई हर वह वस्तु सम्मिलित है, अर्थात् जीवन की मूल आवश्यकताएँ जैसे पर्याप्त पोषण, वस्त्र, सिर पर आश्रय तथा पढ़ने, लिखने एवं विविध रूपों में स्वयं को व्यक्त करने, स्वतंत्र रूप से इधर-उधर आने-जाने तथा साथी मानवों के साथ घुलने-मिलने की सुविधाएँ।

सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में, न्यायालय ने यह प्रेक्षण किया:

जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन एक मूल अधिकार है तथा इसमें जीवन के पूर्ण उपभोग हेतु प्रदूषण-मुक्त जल एवं वायु के उपभोग का अधिकार सम्मिलित है। यदि कोई वस्तु विधि के उल्लंघन में जीवन की इस गुणवत्ता को संकटग्रस्त या क्षीण करती है, तो नागरिक को जीवन की गुणवत्ता के लिए हानिकारक हो सकने वाले जल या वायु के प्रदूषण को दूर करने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेने का अधिकार है।

मेनका गांधी वाद ने इस अवधारणा को एक अतिरिक्त आयाम प्रदान किया है। किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाली विधि को संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 19 की कसौटी पर खरा उतरना होगा और निर्धारित प्रक्रिया युक्तियुक्त, साम्यापूर्ण एवं न्यायसंगत होनी चाहिए। इस वाद ने जीवन के अधिकार के क्षेत्र को विस्तृत किया है और इसलिए इसमें अनेक ऐसी वस्तुएँ सम्मिलित हो गई हैं जो जीवन-निर्वाह हेतु अनिवार्य हैं, उदाहरणार्थ, स्वच्छ वायु, जल एवं स्वस्थ पर्यावरण।

ओलियम गैस रिसाव वाद में, उच्चतम न्यायालय ने पुनः अंतर्निहित रूप से प्रदूषण-मुक्त पर्यावरण में जीवन के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के मूल अधिकार के एक भाग के रूप में माना।

चरण लाल साहू बनाम भारत संघ में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों का प्रक्रमण) अधिनियम, 1985 की वैधता को बनाए रखते हुए यह धारित किया कि "हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकारों के आयामों, जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं जल संविधान द्वारा अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्याभूत है..."। आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रो. एम.वी. नायडू में, न्यायमूर्ति एम.जे. राव द्वारा की गई टिप्पणी इस संबंध में उद्धृत करने योग्य है:

पर्यावरणीय सरोकार ... हमारे विचार में मानव अधिकार संबंधी सरोकारों के समान ही महत्वपूर्ण हैं। वास्तव में, दोनों का मूल अनुच्छेद 21 में है जो जीवन एवं स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित है। जबकि पर्यावरणीय पक्ष 'जीवन' से संबंधित है, मानव अधिकार पक्ष 'स्वतंत्रता' से संबंधित है।

उच्च न्यायालयों ने भी अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित पर्यावरणीय पक्ष पर विचार किया है। टी. दामोदर राव में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह धारित किया कि जीवन के उपभोग में प्रकृति के उपहारों का संरक्षण एवं परिरक्षण समाहित है, जिनके बिना जीवन का उपभोग नहीं किया जा सकता। प्रदूषित वातावरण द्वारा धीमा विषपान उन कृत्यों के समतुल्य माना जाना चाहिए जो अनुच्छेद 21 का सीधा उल्लंघन करते हैं। इसी प्रकार, एल.के. कूलवाल बनाम राजस्थान राज्य में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी यह प्रेक्षण किया कि "स्वास्थ्य की अनुरक्षा, स्वच्छता एवं पर्यावरण का परिरक्षण संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है क्योंकि यह नागरिकों के अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है तथा यदि न रोका जाए तो उत्पन्न खतरों के कारण नागरिकों का धीमा विषपान करने तथा उनके जीवन को कम करने के समान है"। इसके अतिरिक्त, इलाहाबाद, हिमाचल प्रदेश तथा केरल के उच्च न्यायालयों ने भी यह धारित किया है कि पर्यावरणीय क्षरण जीवन के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है।

राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भी स्वास्थ्य के खतरों की रोकथाम का उपबंध करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 47 यह उद्घोषित करता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह हानिकारक गतिविधियों को प्रतिषिद्ध करे तथा राज्य को अस्वच्छ परिस्थितियों को दूर करने का निदेश देता है। जहाँ प्रदूषण ने आम जनता को प्रभावित किया, जैसे गंगा नदी का प्रदूषण, पारिस्थितिक असंतुलन आदि, वहाँ उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे रिट दाखिल करने की अनुमति दी गई है। लोक स्वास्थ्य के सुधार में पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिसके बिना लोक स्वास्थ्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने भी विभिन्न निर्णयों में इस अधिकार की पुष्टि की है। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय इसे शासन के प्राथमिक कर्तव्य के रूप में एक सर्वोपरि सिद्धांत मान सकते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि विधायी शक्ति का वितरण संविधान की सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों में दिया गया है। पर्यावरणीय प्रदूषण के रूप में इसका विशेष उल्लेख विधायी प्रविष्टियों में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 252 के अधीन, यदि दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों के सदन संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने हेतु सशक्त करने वाले संकल्प पारित करते हैं, तो संसद ऐसा कर सकती है। संसद द्वारा इस प्रकार पारित किया गया कोई अधिनियम संसद द्वारा ही संशोधित या निरसित किया जा सकता है और राज्य अथवा राज्यों के विधानमंडल द्वारा नहीं, जैसी भी स्थिति हो। संविधान का अनुच्छेद 253 भी संसद को किसी अन्य देश के साथ किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में लिए गए किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने हेतु संपूर्ण भारत अथवा भारत के किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने हेतु सशक्त करता है। यह शक्ति राज्य सूची के विषयों, संधियों एवं करारों तक विस्तृत है। अनुच्छेद 253 संसद को पर्यावरण से संबंधित अनेक विषयों पर विधि बनाने की शक्ति देता है, यदि वे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों आदि द्वारा आच्छादित हों। इस शक्ति के अधीन संसद ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अधिनियमित किए।

सूची I की प्रविष्टियाँ 7 तथा 52 उन उद्योगों के संबंध में संसद की शक्ति से संबंधित

हैं, जिनका नियंत्रण संसद द्वारा विधि द्वारा लोकहित में आवश्यक घोषित किया गया है तथा वे उद्योग जो विधि द्वारा प्रतिरक्षा प्रयोजनों हेतु आवश्यक घोषित किए गए हैं। शेष उद्योगों पर राज्य विधानमंडल को प्रविष्टि 24 के अधीन अनन्य विधायी शक्ति प्राप्त है।

संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 ने पर्यावरण से संबंधित विशिष्ट उपबंध सन्निविष्ट किए हैं। इसने पर्यावरण के संरक्षण हेतु राज्य की नीति का एक नया निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 48-क, जोड़ा, जो राज्य से यह अपेक्षा करता है कि वह पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार तथा देश के वनों एवं वन्य जीवन के रक्षण हेतु प्रयास करे। 'मूल कर्तव्यों' के अध्याय में, अनुच्छेद 51-क(छ) नागरिकों से यह अपेक्षा करता है कि वे 'वनों, झीलों, नदियों एवं वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें तथा सभी जीवधारियों के प्रति दयाभाव रखें'।

इन निर्देशों को मूल अधिकारों के पूरक के रूप में पढ़ा गया है। कई पर्यावरणीय वादों में, न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 48-क तथा 51-क(छ) से निर्देशित हुए हैं। सच्चिदानंद पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में, उच्चतम न्यायालय ने यह इंगित किया कि जब भी पारिस्थितिकी की कोई समस्या न्यायालय के समक्ष लाई जाती है, तो न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 48-क तथा 51-क(छ) को ध्यान में रखने हेतु आबद्ध है। न्यायालय ने प्रेक्षण किया:

जब न्यायालय को निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य (इस मामले में अनुच्छेद 48-क तथा 51-क(छ)) को प्रभावी करने हेतु आह्वान किया जाता है, तब न्यायालय को अपने कंधे उचकाकर यह नहीं कह देना चाहिए कि प्राथमिकताएँ नीति का विषय हैं और इसलिए यह नीति-निर्माण प्राधिकारी का विषय है। न्यायालय को कम से कम यह परीक्षण करना चाहिए कि उपयुक्त तत्वों को ध्यान में रखा गया है तथा असंगत तत्वों को अपवर्जित किया गया है। उपयुक्त मामलों में, न्यायालय और आगे भी जा सकता है, परंतु कितना आगे जाना है यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। न्यायालय सदैव आवश्यक निदेश दे सकता है। तथापि, न्यायालय संगत तत्वों का सूक्ष्म संतुलन साधने का प्रयास नहीं करेगा। जब प्रश्न संगत तत्वों के सूक्ष्म संतुलन का हो, तो न्यायालय संबंधित प्राधिकारी के विनिश्चय की स्वीकृति में स्वयं को समर्पित करना उचित समझ सकता है।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय राज्य के अन्य अंगों, अर्थात् विधायिका एवं कार्यपालिका को, पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के सांविधिक दायित्व का पालन करने हेतु निर्देशित करते हुए सकारात्मक कार्रवाई कर सकता है। तथापि, यदि सरकार विचार एवं विवेचन की अपेक्षा रखने वाले विभिन्न तत्वों के प्रति सजग है तथा उन्हें ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्ण विनिश्चय पर पहुँची है, तो सदाशयता के अभाव में न्यायालय के लिए हस्तक्षेप करना उपयुक्त नहीं हो सकता।

दिल्ली वाहन प्रदूषण वाद में, उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में परिचालित मोटर वाहनों द्वारा उत्पन्न वायु प्रदूषण की समस्या पर विचार किया। अनुच्छेद 48-क तथा 51-क(छ) का विशिष्ट संदर्भ दिया गया। न्यायालय ने टेलीविजन एवं विद्यालयों में जनता को शिक्षित करने हेतु अनेक निदेश जारी किए। इस निर्णय को लोगों के सूचना प्राप्त करने के अधिकार [संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) तथा 21] को प्रभावी करने वाले अथवा नागरिक के पर्यावरण के संरक्षण के कर्तव्य [अनुच्छेद 51-क(छ)] को सुभाष कुमार में विवेचित स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के समान मानने वाले के रूप में देखा जा सकता है। सुभाष कुमार के पूर्वनिर्णय के साथ, न्यायालय ने दिल्ली वाहन प्रदूषण वाद में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देशित किया कि वह वाहनों के परिचालन हेतु उपलब्ध कम लागत के विकल्पों की प्रौद्योगिकी का आकलन करने तथा प्रदूषण नियंत्रण विनियमनों पर विशिष्ट सिफारिशें करने हेतु एक समिति का गठन करे।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रेक्षण किया है कि अनुच्छेद 48-क न्यायपालिका सहित सरकार पर पर्यावरण के संरक्षण का दायित्व अधिरोपित करता है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इन संवैधानिक अनिवार्यताओं का वर्णन राज्य के लिए न केवल संरक्षण करने, अपितु पर्यावरण में सुधार करने के संकेत के रूप में किया है। शीर्ष न्यायालय द्वारा विनिश्चित वादों से यह संकेत मिलता है कि पर्यावरण के संरक्षण एवं संबंधित मुद्दों का अर्थान्वयन अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन के अधिकार के संदर्भ में अथवा संविधान के अनुच्छेद 48-क एवं 51-क(छ) के अधीन किया गया है।

विशिष्ट विधायी यात्रा

पर्यावरण की स्थिति के प्रति चिंता साठ के दशक से विश्व भर में बढ़ी है। पर्यावरणीय गुणवत्ता में गिरावट बढ़ते प्रदूषण, वनस्पति आवरण एवं जैव-विविधता की हानि, परिवेशी वातावरण एवं खाद्य श्रृंखलाओं में हानिकारक रसायनों की अत्यधिक सांद्रता, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं के बढ़ते जोखिम तथा जीवन-निर्वाह प्रणालियों को खतरे से प्रमाणित होती है। समय-समय पर विशिष्ट प्रकार के प्रदूषण से पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित विभिन्न विधान भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित किए गए हैं।

स्टॉकहोम घोषणा से पूर्व, हमें ब्रिटिश तथा स्वतंत्र भारत के विभिन्न विधानों में अनेक बिखरे हुए उपबंध मिलते हैं। जल प्रबंधन से संबंधित विधियों से संगत कई अधिनियमन विद्यमान थे। इनमें बोर्डों, अंतर्राज्यीय जल विवादों तथा असम में बाढ़ संबंधी विधियाँ सम्मिलित हैं। स्वतंत्रता के आरंभिक दशकों में, कई राज्यों की संहिता में जल प्रदूषण विधियाँ रखी गईं। उड़ीसा राज्य में सर्वप्रथम जल प्रदूषण से संबंधित एक विशेष अधिनियम पारित किया गया था। इसके बाद 1969 में महाराष्ट्र राज्य ने भी ऐसा किया। महाराष्ट्र अधिनियम को 1974 में अखिल भारतीय जल प्रदूषण नियंत्रण रणनीति हेतु मॉडल के रूप में अपनाया गया।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, जिसमें सामान्य परिस्थितियों को आच्छादित करने हेतु कुछ सामान्य उपबंध सन्निहित हैं, को भी 1980 के दशक में प्रदूषण से लड़ने हेतु एक उपकरण माना जाने लगा तथा इसका उपयोग नगरपालिका परिषद, रत्नाम बनाम वर्धीचंद में किया गया।

स्टॉकहोम घोषणा ने वास्तव में भारत में पर्यावरणीय विधान की गति को त्वरित किया। वर्तमान प्रयासों का उद्देश्य प्रदूषण संबंधी समस्याओं के बढ़ते संकट की चुनौतियों का सामना करने हेतु प्रदूषण विधियों को समेकित एवं समन्वित करना है। इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण विधियों में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 सम्मिलित है। संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड 1 के अनुसरण में, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के विधानमंडलों के सदनों द्वारा संकल्प पारित किए गए कि जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित विषयों को संसद द्वारा विधि अधिनियमित करके विनियमित किया जाना चाहिए। तदनुसार संसद ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 अधिनियमित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण तथा जल की निर्मलता के अनुरक्षण या पुनःस्थापन हेतु उपबंध करना है। यह अधिनियम जल प्रदूषण की एक स्पष्ट एवं व्यापक परिभाषा, जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु जल बोर्ड, जल-परीक्षण प्रयोगशाला तथा सरकारी विश्लेषक का भी उपबंध करता है। निर्धारित दंड तीन मास का कारावास तथा/अथवा पाँच हजार रुपये का अर्थदंड है। अधिनियम की मूल विशेषताएँ हैं: (i) जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु केंद्रीय एवं राज्य बोर्डों की स्थापना; (ii) ऐसे बोर्डों को संबंधित शक्तियाँ एवं कार्य प्रदान करना तथा सौंपना और उससे जुड़े मामले; (iii) अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन हेतु दंड संबंधी उपबंध; तथा (iv) केंद्रीय एवं राज्य जल-परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना ताकि बोर्ड प्रदूषण की मात्रा का आकलन कर सके, मानक निर्धारित कर सके तथा दोष या व्यतिक्रम स्थापित कर सके। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम भी 1977 में पारित किया गया।

जल अधिनियमों के पश्चात, संसद ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 पारित किया। यह भी स्टॉकहोम सम्मेलन का अनुक्रम है। अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य हैं: (i) वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन हेतु उपबंध करना; (ii) उक्त प्रयोजन को क्रियान्वित करने की दृष्टि से केंद्रीय एवं राज्य बोर्डों की स्थापना हेतु उपबंध करना; तथा (iii) ऐसे बोर्डों को संबंधित शक्तियाँ एवं कार्य प्रदान करने तथा सौंपने हेतु उपबंध करना। जल अधिनियम तथा वायु अधिनियम दोनों में उद्योगों को पर्यावरण को दूषित करने से रोकने वाले उपबंध सन्निहित हैं।

तिवारी समिति प्रतिवेदन, 1980 तथा परवर्ती विकास

भारत सरकार ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री एन.डी. तिवारी की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने सितंबर, 1980 में दूरगामी सिफारिशों के साथ अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति ने यह नोट किया कि: (i) पर्यावरण

से संबंधित अनेक विधियाँ अद्यतन नहीं हैं; (ii) इनमें स्पष्ट नीतिगत उद्देश्यों के कथन का अभाव है; (iii) ये परस्पर असंगत हैं; (iv) इनमें क्रियान्वयन तंत्र से संबंधित पर्याप्त उपबंधों का अभाव है; (v) विधियों की प्रभाविता की समीक्षा हेतु कोई प्रक्रिया विद्यमान नहीं है।

समिति की मुख्य सिफारिशों में, अन्य के साथ-साथ, सम्मिलित थीं: (i) कुछ केंद्रीय एवं राज्य अधिनियमों की व्यापक समीक्षा या सुधार; (ii) वर्तमान विधि द्वारा अनाच्छादित कार्रवाई के क्षेत्रों, जैसे विषाक्त पदार्थों से संबंधित विषयों, हेतु नया विधान; तथा (iii) सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में पर्यावरण संरक्षण का समावेशन।

यद्यपि जल एवं वायु अधिनियम स्टॉकहोम सम्मेलन के तत्काल पश्चात पारित किए गए थे, परंतु पर्यावरण के परिरक्षण के समस्त पक्षों को आच्छादित करने वाला कोई व्यापक विधान अधिनियमित नहीं किया गया था। यह केवल 1986 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (ईपीए) पारित कर किया गया। ईपीए का उद्देश्य स्टॉकहोम सम्मेलन के उन विनिश्चयों को क्रियान्वित करना था जो मानव पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार तथा मानवों, अन्य जीवधारियों, पौधों एवं संपत्ति के लिए खतरों की रोकथाम से संबंधित हैं। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं: (i) स्टॉकहोम सम्मेलन में लिए गए विनिश्चयों को क्रियान्वित करना; (ii) पर्यावरण संरक्षण पर एक सामान्य विधि अधिनियमित करना जो प्रमुख पर्यावरणीय खतरों के क्षेत्रों में अंतरालों को पूरा कर सके, क्योंकि विद्यमान विधियाँ सामान्यतः प्रदूषण के विशिष्ट प्रकारों अथवा खतरनाक पदार्थों की विशिष्ट श्रेणियों पर केंद्रित थीं और पर्यावरणीय खतरों के कुछ प्रमुख क्षेत्र आच्छादित नहीं थे; (iii) विद्यमान विधियों के अधीन विभिन्न नियामक अभिकरणों की गतिविधियों का समन्वय करना तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु एक या अधिक प्राधिकरणों का सृजन करना; तथा (iv) मानव पर्यावरण, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को संकटग्रस्त करने वालों हेतु निवारक दंड का उपबंध करना।

इस प्रकार ईपीए केंद्रीय सरकार को जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम जैसी पूर्ववर्ती विधियों के अधीन स्थापित विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य प्राधिकरणों की गतिविधियों के समन्वय हेतु एक रूपरेखा प्रदान करने वाला एक छत्र विधान है। यह एक 'समर्थक' विधि भी है, जो पर्यावरण संरक्षण की आवश्यक विधायी नीति तथा प्रदूषण नियंत्रण की संकुचित अवधारणा से पर्यावरण संरक्षण के विस्तृत पक्ष की ओर बल में परिवर्तन को अभिव्यक्त करती है। पर्यावरण की विस्तृत परिभाषा, जिसमें जल, वायु एवं भूमि तथा जल, वायु एवं भूमि, अन्य मानवों, पौधों, सूक्ष्मजीवों एवं संपत्ति के मध्य विद्यमान अंतर्संबंध सम्मिलित हैं, ने एक बहुत अच्छा प्रभाव दिया। तथापि, गहन परीक्षण से यह प्रकट होता है कि इस विधान में कई कड़ियाँ अनुपस्थित हैं। अन्य विधियों द्वारा अनाच्छादित प्रदूषण विधियों पर केवल एक व्यापक जाल बिछाया गया है। अधिनियम ने केवल इतना किया है कि उसने मानव की औद्योगिक एवं संबंधित गतिविधियों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण के व्यापक नियंत्रण हेतु केंद्रीय सरकार को सशस्त्र किया है।

ईपीए की धारा 24 अधिनियम के क्षेत्र एवं उद्देश्य को सीमित करके दंड उपबंध को निरर्थक बना देती है। यह धारा यह उपस्थापित करती है कि जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी अन्य अधिनियम के अधीन भी अपराध है, वहाँ अपराधी को केवल उस अन्य अधिनियम के अधीन दंडित किया जाएगा। कारखाना अधिनियम, वन्यजीव अधिनियम, वन अधिनियम, कीटनाशक अधिनियम तथा पर्यावरण के लगभग प्रत्येक पक्ष को आच्छादित करने वाले अन्य अनेक विधान उपलब्ध हैं, और इस प्रकार जहाँ ईपीए के अधीन कोई अपराधी ऐसे किसी अधिनियम के अधीन भी अपराधी है, उसे केवल उस अधिनियम के अधीन दंडित किया जाएगा, जिससे ईपीए अर्थहीन हो जाता है। यद्यपि जल अधिनियम एवं वायु अधिनियम सामान्य व्यक्ति को कार्रवाई आरंभ करने हेतु वाद-स्थिति (लोकस स्टैंडी) प्रदान नहीं करते, परंतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 19 न्यायालय में जाने का अधिकार देती है, यद्यपि इसके लिए कथित अपराध के अपराधी को कम से कम 60 दिन की सूचना तथा अभियोजन के आशय की सूचना दी जानी आवश्यक है। यह उपबंध पूर्व सूचना के माध्यम से उद्देश्य को विफल कर देता है।

अधिनियम में एक कमी यह है कि इसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'पर्यावरण आकलन विवरण' कहे जाने वाले तत्व का अभाव है। इस कमी को कुछ परियोजनाओं के पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु लोक सुनवाई को बाध्यकारी बनाकर प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया। तथापि, बाद में मंत्रालय ने यह विनिश्चय किया कि यदि लोकहित ऐसा अपेक्षित करे तो

ऐसी सहभागिता को समाप्त किया जा सकता है। तदनुसार, लोकहित के नाम पर ही जनता के हित को कष्ट सहना पड़ा है।

उच्चतम न्यायालय का मत रहा है कि ईपीए का उद्देश्य केवल धारा 3(3) के अधीन प्रदूषण को नियंत्रित एवं संरक्षित करने हेतु पर्याप्त शक्तियों सहित एक प्राधिकरण का सृजन करना था। सामान्यतः, न्यायालयों ने अन्य उपबंधों का भी, उसके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के साथ, प्रदूषण के उपशमन हेतु प्रवर्तन के लिए अथान्वयन किया है। इस प्रकार भारत में पर्यावरण की विधि विकास की अवस्था में है।

खतरनाक पदार्थों एवं प्रक्रियाओं से प्रदूषण का नियंत्रण

खतरनाक पदार्थों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित उपबंध कई अधिनियमों में बिखरे हुए हैं। भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 विस्फोटकों के निर्माण, धारण, उपयोग, विक्रय, परिवहन एवं आयात को विनियमित करता है। विष अधिनियम, 1919 विषाक्त पदार्थों के आयात, धारण एवं विक्रय को विनियमित करता है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 अवमानक गुणवत्ता, मिथ्या-चिह्नित अथवा अपमिश्रित या जालसाजी युक्त औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री के आयात को प्रतिषिद्ध करता है। कीटनाशक अधिनियम, 1968 कीटनाशकों के आयात, निर्माण, विक्रय, परिवहन एवं वितरण को विनियमित करता है। इसका उद्देश्य मानवों एवं पशुओं हेतु जोखिम को रोकना है।

तिवारी समिति ने भी खतरनाक पदार्थों से संबंधित एक विधि के अधिनियमन की सिफारिश की थी। भोपाल त्रासदी ने इस संबंध में तत्काल विधायी कार्रवाई की आवश्यकता को सामने लाया। ईपीए को, अन्य के साथ-साथ, खतरनाक पदार्थों एवं उनके प्रभावों को सम्मिलित करने वाली प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु पारित किया गया था।

खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन से संबंधित ईपीए के प्रमुख उपबंध निम्न उद्देश्य प्राप्त करते हैं: (i) दुर्घटनाओं के निवारण तथा खतरनाक रसायनों के हस्तन हेतु प्रक्रियाएँ एवं सुरक्षोपाय निर्धारित करना; (ii) दुर्घटनाओं के निवारण तथा खतरनाक रसायनों के हस्तन पर प्रक्रियाओं, सुरक्षोपायों, प्रतिषेधों एवं निर्बंधनों हेतु नियम अधिसूचित करना; तथा (iii) अधिभोगी को दुर्घटनाओं तथा उनके परिणामों के निवारण, सूचना एवं अनुसंधान हेतु उत्तरदायी बनाना।

ईपीए के अधीन प्रवर्तित नियम खतरनाक पदार्थों से संबंधित प्रमुख नियामक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। ये हैं: (i) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1989। (ii) खतरनाक रसायन के निर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989। (iii) खतरनाक सूक्ष्मजीव/आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीव या कोशिका के निर्माण, उपयोग, आयात एवं भंडारण नियम, 1987। (iv) रासायनिक दुर्घटना (आपात योजना एवं तैयारी तथा अनुक्रिया) नियम, 1996, जिन्हें खतरनाक रसायन के निर्माण, भंडारण, आयात नियम, 1989 के पूरक के रूप में अधिसूचित किया गया है।

ये नियम स्थानीय, जिला, राज्य एवं केंद्रीय स्तरों पर संकट प्रबंधन का उपबंध करते हैं। उद्योगों, क्रियान्वयन अभिकरणों एवं आम जनता हेतु सहायक दस्तावेजों के रूप में मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक समूह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओई एवं एफ) के खतरनाक पदार्थ प्रबंधन प्रभाग (एचएसएमडी) द्वारा जारी किया गया था। सड़क द्वारा खतरनाक रसायनों के परिवहन को विनियमित करने हेतु, दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा रासायनिक रिसाव की संभावित प्रतिकूल समाप्ति की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, सुझाए गए नियमों का एक समूह केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में सम्मिलित किया गया है। खतरनाक रसायनों के सुरक्षित सड़क परिवहन हेतु एक मार्गदर्शिका, 1995 भी एमओई एवं एफ के एचएसएमडी द्वारा जारी की गई है।

खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, तथापि, अस्पताल के अपशिष्टों तक विस्तृत नहीं हैं। अस्पताल के अपशिष्टों को विनियमित करने का प्रयास ईपीए के अधीन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998 की अधिसूचना के साथ आरंभ किया गया है। बासेल अभिसमय के क्रियान्वयन को लेकर चिंता भी इस नियम समूह में प्रतिफलित हुई है। एक अन्य नियम समूह भी हाल में अधिसूचित किया गया है। ये नियम नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 2000 के रूप में जाने जाते हैं। खतरनाक अपशिष्टों के सुरक्षित प्रबंधन एवं

निपटान को परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 तथा व्यापारिक जलयान अधिनियम, 1958 के अधीन भी विवेचित किया गया है।

कामगार खतरनाक पदार्थों एवं प्रक्रियाओं के खतरों के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य होते हैं। इन पदार्थों से उनके निकट संपर्क में होने के कारण, वे सामान्यतः इनके निरंतर संपर्क के कारण विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएँ विकसित कर लेते हैं। यह केवल भोपाल आपदा के पश्चात ही था कि कामगारों द्वारा खतरनाक पदार्थों एवं प्रक्रियाओं के हस्तन को विनियमित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। भयावह भोपाल गैस आपदा के पश्चात ओलियम गैस रिसाव त्रासदी के संदर्भ में, कारखाना अधिनियम, 1948 को 1987 में संशोधित किया गया ताकि उन उद्योगों पर एक नया अध्याय सम्मिलित किया जा सके जो खतरनाक रसायनों का उपयोग या उत्पादन करते हैं अथवा खतरनाक प्रक्रियाएँ अपनाते हैं। कारखाना अधिनियम में अध्याय 4-क सम्मिलित किया गया जिसमें धारा 41-क से 41-ज तक सम्मिलित हैं, जो कारखाने के अधिभोगी से यह अपेक्षा करती हैं कि वह कामगारों को खतरनाक पदार्थों से संबंधित समस्त सूचना प्रकट करे तथा स्थल-पर आपात योजना, साथ ही विस्तृत आपदा नियंत्रण उपाय तैयार करे एवं अन्य अभिलेख रखे। खतरनाक प्रक्रियाओं के सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता संबंधी उपबंध एक नवोन्मेषी उपाय है। खतरनाक प्रक्रियाओं वाले उद्योगों की एक सूची विनिर्दिष्ट की गई है। पहली बार, इस संशोधन ने विधान में कारखाने के कामगारों तथा निकटवर्ती क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के सूचना के अधिकार को प्रस्तुत किया। निवासी के आपदा से निपटने के तरीके जानने के अधिकार को भी मान्यता दी गई है।

राज्य सरकारों द्वारा नियम बनाने में संगति एवं एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने महानिदेशालय - कारखाना सलाहकार सेवा एवं श्रम संस्थान (डीजीएफएएसएलआई) के परामर्श से मॉडल नियमों का एक समूह तैयार किया है, क्योंकि कारखाना अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के हाथ में है। मॉडल नियमों के प्रारूपों को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षकों के सम्मेलन में भी विवेचित किया जाता है। तथापि, कुछ राज्यों को अभी भी मॉडल नियम अधिसूचित करना है।

मॉडल नियमों के समान नियम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा खतरनाक रसायन का निर्माण, भंडारण एवं आयात (एमएसआईएचसी) नियम के नाम से 1989 में अधिसूचित किए गए तथा 1994 एवं 2000 में संशोधित किए गए। एमओई एवं एफ तथा श्रम मंत्रालय द्वारा समान विषयों पर अधिसूचित नियमों में इस द्वैधता का कारण केवल संबंधित मंत्रालय ही बता सकते हैं। नियमों की द्वैध व्यवस्था के परिणामस्वरूप राज्यों ने अप्रकट कारणों से एक या अन्य मॉडल का चयन किया है। श्रम मंत्रालय द्वारा राज्यों को अधिसूचना हेतु भेजे गए प्रारूप नियमों का दूसरा समूह भारतीय प्रमुख दुर्घटना खतरा नियंत्रण (सीआईएमएच) नियम, 1990 के नाम से जाना जाता है।

उपर्युक्त उल्लिखित अनेक प्रदूषण विधियों के अतिरिक्त, कुछ प्रदूषण-विरोधी गतिविधियाँ आज तक किसी भी विधान के अधीन आच्छादित नहीं हैं, उदाहरणार्थ, जवालापुरी एवं कृदुमपुरी की दुर्घटनाएँ जिनमें 20 पीवीसी बाजार एवं प्लास्टिक पुनःप्रक्रमण इकाइयाँ जल गई थीं। इसका कारण यह था कि (i) प्रकरणात्मक वायु प्रदूषण अथवा आकस्मिक वायु उत्सर्जन वायु अधिनियम के अधीन आच्छादित नहीं हैं; (ii) ईपीए के अधीन एमएसआईएचसी नियम ऐसी घटनाओं को आच्छादित नहीं करते क्योंकि पुनःप्रक्रमण एक औद्योगिक गतिविधि नहीं है; (iii) चूँकि औद्योगिक गतिविधि छोटी कुटीर इकाइयों में संचालित की जा रही थी, अतः इसे संचालित करने हेतु किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं थी और परिणामस्वरूप इकाइयाँ कारखाना अधिनियम द्वारा भी विनियमित नहीं थीं; तथा (iv) चूँकि किसी जल निकाय में कोई बहिःस्राव नहीं छोड़ा जा रहा था, अतः जल अधिनियम की नियामक व्यवस्था भी लागू नहीं थी।

दायित्व एवं प्रतिकर

भारत के उच्चतम न्यायालय का यह आह्वान किया गया था कि वह खतरनाक उत्पाद के निर्माण एवं विक्रय में संलग्न बड़े उपक्रमों के दायित्व का निर्धारण हेतु मानक एवं सिद्धांत विकसित करे तथा वह आधार निर्धारित करे जिस पर ऐसे दायित्व की स्थिति में क्षतिपूर्ति की मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए। रायलैंड्स बनाम फ्लेचर वाद में सम्पुष्ट कठोर दायित्व का नियम एक

शताब्दी से अधिक समय तक प्रभावी रहा, जब तक कि ओलियम गैस रिसाव वाद का पथ-प्रवर्तक निर्णय नहीं आया। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खतरनाक पदार्थ को शासित करने वाली विधि के विभिन्न पक्षों को सामने लाता है। यह धारित किया गया कि जो उपक्रम खतरनाक अथवा अंतर्निहित रूप से खतरनाक प्रकृति की गतिविधि में संलग्न है, उसे सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्रदान करना होगा और यदि ऐसी गतिविधि से कोई हानि उत्पन्न होती है, तो उपक्रम क्षतिपूर्ति हेतु निरपेक्ष रूप से उत्तरदायी होगा। इस वाद के अंतिम उच्चारण में न्यायालय द्वारा विकसित किए गए कुछ सिद्धांतों ने विवाद को आकर्षित किया है। न्यायालय ने यह विनिश्चित किया कि फ्लेचर वाद में निर्धारित कठोर दायित्व के नियम के लिए ऐसे मामलों में कोई अपवाद लागू नहीं होगा। अधिनिर्णीत की जाने वाली प्रतिकर की राशि उपक्रम की मात्रा एवं क्षमता पर निर्भर करेगी, क्योंकि ऐसे प्रतिकर का निवारक प्रभाव होना आवश्यक है। न्यायालय ने एक ऐसा दृष्टिकोण अंगीकृत किया जिसे 'गहरी जेब सिद्धांत' कहा जाता है।

भोपाल गैस रिसाव वाद में, भारत में अपकृत्य वाद ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संलिप्तता के साथ एक नया मोड़ लिया। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने दायित्व के सिद्धांतों के विषय में विनिश्चय करने का अवसर खो दिया, इसके स्थान पर 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि हेतु एक समझौता किया गया, जिसमें भूत, वर्तमान एवं भविष्य के दावों पर दायित्व का प्रश्न खुला रहा। ओलियम गैस रिसाव वाद के साथ-साथ भोपाल वाद ने भी किसी औद्योगिक आपदा के पीड़ितों को दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का प्रश्न सामने लाया है। यद्यपि निरपेक्ष दायित्व के सिद्धांत ने अनुकूल एवं प्रतिकूल धाराओं को आकर्षित किया, उच्चतम न्यायालय ने बिचारी वाद में इसे देश की स्थापित विधि के रूप में बार-बार अभिनिर्धारित किया है।

दायित्व के संबंध में शीर्ष न्यायालय की उपर्युक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य था कि दायित्व को पीड़ितों के लिए तत्काल अनुतोष में किस प्रकार अनुवादित किया जाए। इस प्रकार बीमा का मुद्दा, जिसने पश्चिम का ध्यान आकर्षित किया था, इस देश के विधानमंडल द्वारा विचारित किया गया है। यही कारण है कि लोक दायित्व बीमा अधिनियम (पीएलआईए) 1991 में अधिनियमित किया गया था जिसका उद्देश्य खतरनाक पदार्थों के हस्तन के दौरान घटित दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल अनुतोष प्रदान करने हेतु लोक दायित्व बीमा का उपबंध करना और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों हेतु प्रावधान करना था। यह अधिनियम भोपाल त्रासदी का परिणाम है तथा पहली बार दोष-निरपेक्ष दायित्व के सिद्धांत को मान्यता देता है। अधिनियम यह उपबंध करता है कि स्वामी, जिसे पदार्थ के हस्तन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, ऐसी स्थिति में उपर्युक्त अनुतोष हेतु उत्तरदायी होगा जहाँ किसी व्यक्ति या संपत्ति की मृत्यु या क्षति हुई हो। अधिनियम प्रत्येक स्वामी हेतु यह अनिवार्य बनाता है कि वह किसी खतरनाक पदार्थ का हस्तन प्रारंभ करने से पूर्व अनुतोष देने के दायित्व के विरुद्ध स्वयं को बीमित करने हेतु बीमा पॉलिसियाँ प्राप्त करे। अधिनियम दुर्घटना की सूचना तथा प्रभावित व्यक्तियों को अनुतोष प्रदान करने हेतु एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह बीमा पॉलिसी न लेने पर कठोर दंड का भी उपबंध करता है। यह अधिनियम खतरनाक पदार्थों के हस्तन के कारण हुई क्षति हेतु स्वामी के दायित्व के संबंध में व्यापक है। 1992 के एक संशोधन द्वारा, बीमा संरक्षण को पूरक बनाने हेतु पर्यावरण अनुतोष कोष स्थापित किया गया। बीमा संरक्षण में किसी कमी की स्थिति में, कलक्टर इस कोष से धन निकाल सकता है। पीएलआईए पीड़ित को देय अंतरिम प्रतिकर की अधिकतम राशि विनिर्दिष्ट करता है। स्वामी के दायित्व की सीमा विनिर्दिष्ट की गई है तथा दायित्व सिद्ध करने हेतु किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। तथापि, पीड़ित को अब भी हकदारी का साक्ष्य देना होता है। इस प्रकार के साक्ष्य प्रदान करने की आवश्यकता से पीड़ित को होने वाली कठिनाई को मान्यता एवं आकलन की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995 (एनईटीए) पर्यावरण अधिकरणों के माध्यम से पीड़ितों को प्रतिकर देने की दिशा में एक कदम है। जून 1992 में रियो डी जेनेरो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसमें भारत ने भाग लिया था, के विनिश्चयों को क्रियान्वित करने हेतु, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995, अन्य के साथ-साथ, निम्न उद्देश्यों हेतु अधिनियमित किया गया: (i) किसी खतरनाक पदार्थ के हस्तन के दौरान घटित किसी दुर्घटना से उत्पन्न क्षतियों हेतु कठोर दायित्व का उपबंध करना; (ii) ऐसी दुर्घटनाओं से उत्पन्न मामलों के प्रभावी एवं शीघ्र निस्तारण हेतु एक राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण की स्थापना; तथा (iii) व्यक्तियों,

संपत्ति एवं पर्यावरण को हुई क्षतियों हेतु अनुतोष एवं प्रतिकर देना तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों हेतु प्रावधान करना।

उद्योगों का स्थान-निर्धारण एवं स्थानांतरण

ईपीए के अधीन ऐसी खतरनाक औद्योगिक गतिविधियों को प्रतिषिद्ध करने हेतु, जैसे बम्बई के अंतोप पहाड़ी पर वेयरहाउस परिसर में रसायनों का भंडारण, तथा विभिन्न उद्योगों के वर्गीकरण के साथ-साथ तटीय विनियमन क्षेत्र में कुछ गतिविधियों के प्रतिषेध हेतु, अनेक महत्वपूर्ण अधिसूचनाएँ भी जारी की गई हैं।

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ में, उच्चतम न्यायालय ने यह निदेश दिया कि 168 खतरनाक उद्योगों को दिल्ली में संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती तथा उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी अन्य औद्योगिक संपदा में पुनःस्थापित/स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस विनिश्चय को क्रियान्वित करने हेतु, शीर्ष न्यायालय ने 7 दिसंबर, 2000 को पुनः निदेश दिए। इन विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे उद्योगों के स्थानांतरण, स्थान-निर्धारण एवं पुनःस्थापन हेतु एक राष्ट्रीय नीति तथा एक व्यावहारिक मानदंड तैयार किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एमओई एवं एफ के एचएसएमडी द्वारा तैयार एवं प्रकाशित रासायनिक खतरों हेतु आपात तैयारी पर एक नियम-पुस्तिका ने खतरनाक उद्योगों के स्थान-निर्धारण हेतु एक मानदंड सुझाया है तथा इस संबंध में नियमों का एक समूह अधिसूचना की प्रक्रिया में है। तथापि, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 21 जून, 1999 को पर्यावरण (उद्योगों का स्थान-निर्धारण) नियम, 1999 के नाम से एक प्रारूप अधिसूचना भी जारी की है।

तदनुसार, राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अधिनियम 1997 में "पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन कुछ सुरक्षोपायों के अध्यधीन उन क्षेत्रों के निर्बंधन के संबंध में अपीलों की सुनवाई हेतु, जिनमें कोई उद्योग, परिचालन या प्रक्रिया अथवा उद्योगों, परिचालनों या प्रक्रियाओं का वर्ग नहीं चलाया जाएगा, एक राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों हेतु" इस उद्देश्य से पारित किया गया था। केंद्रीय सरकार से राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की स्थापना की अपेक्षा की जाती है। अधिनियम की धारा 11(1) यह उपबंध करती है कि उन क्षेत्रों में "पर्यावरणीय अनापत्ति" प्रदान करने वाले आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, जहाँ उद्योग, परिचालन या प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी अथवा कुछ सुरक्षोपायों के अध्यधीन चलाई जाएगी, उक्त प्राधिकरण के समक्ष 30 दिन के भीतर अपील कर सकता है। 'पर्यावरणीय अनापत्ति' का अर्थ ईपीए द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित अनापत्ति से अभिप्रेत है। प्राधिकरण की संरचना अधिनियम की धारा 4 तथा 5 में उपबंधित है, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा गठित अधिकतम पाँच व्यक्ति होंगे, जिनमें से अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो। अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा विचारणीय किसी मामले के संबंध में किसी अपील पर विचार करने हेतु अन्य सिविल न्यायालयों या अन्य प्राधिकरणों की अधिकारिता धारा 15 द्वारा वर्जित है। केंद्रीय सरकार ने 1998 में राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण की नियुक्ति की है। इस प्रकार, पर्यावरण अधिकरण के अतिरिक्त, विवादों के निपटान हेतु एक अन्य मंच – राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण – भी गठित किया गया है।

वन्य जीवन एवं वनस्पति का परिरक्षण

भारत में पर्यावरण विधि के आयाम एवं विकास ने त्वरित गति देखी है। संविधान ने, जैसा पूर्व में विवेचित है, राज्य एवं नागरिकों दोनों के मूल कर्तव्य के रूप में पर्यावरण विधि के प्रति चिंता को सम्मिलित किया है। इस पृष्ठभूमि में, उपर्युक्त उल्लिखित विधायी अधिनियमनों को सूचीबद्ध करना उपयुक्त है। न्यायिक सक्रियता भी प्रदूषण-विरोधी उपायों के कठोर प्रवर्तन हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तथापि, वनों एवं वन्य जीवन के परिरक्षण हेतु कुछ विधिक प्रयासों को पूर्णतः अनदेखा नहीं किया गया है। संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 ने संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में नई प्रविष्टि 17-क के अंतर्गत 'वनों' को भी अंकित किया। केंद्रीय वन विधान में भारतीय वन अधिनियम, 1927 तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 सम्मिलित हैं, जबकि वन्य जीवन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 द्वारा शासित है। इस विषय से संगत विधियों का विवरण आगामी अनुच्छेदों में विवेचित किया गया है।

संसद द्वारा अनुच्छेद 252 के अधीन 1972 में एक व्यापक केंद्रीय विधान, जिसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम कहा जाता है, भारत के वन्य जीवन, विशेष रूप से संकटग्रस्त वन्य प्रजातियों, को विशेष विधिक संरक्षण प्रदान करने हेतु अधिनियमित किया गया। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 वन्य पशुओं एवं पौधों के संरक्षण हेतु सांविधिक रूपरेखा प्रदान करता है। इसमें राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की स्थापना का उपबंध है जहाँ हमारे वन्य जीवन को पूर्णतम संरक्षण प्राप्त हो सके। इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन हेतु अत्यंत कठोर दंड उपबंधित किए गए हैं। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को जुलाई 1991 में संशोधित किया गया है। संशोधनों ने चिड़ियाघरों के प्रबंधन एवं कार्यकरण को विनियमित करने हेतु एक केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की भी कल्पना की। यह अधिनियम वन्य पशुओं, पशु वस्तुओं एवं वन्यजीव ट्रॉफियों में व्यापार एवं वाणिज्य को विनियमित करता है।

बिहार राज्य बनाम मुराद अली खान में, उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार की तथा वन्यजीव अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञान लेने वाले मैजिस्ट्रेट के आदेशों को पुनःस्थापित किया। इस वाद में प्रत्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग यह था कि उन्होंने कुंदरुगुट्ट रेंज वन में एक हाथी को गोली मारकर मार डाला था तथा उसके हाथीदाँत निकाल लिए थे। वन्यजीव अधिनियम के उद्देश्य का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने प्रेक्षण किया:

वन्य जीवन एवं वनस्पति का परिरक्षण, जिनमें से कुछ प्रजातियाँ चिंताजनक दर से लुप्त हो रही हैं, मानवता के अस्तित्व हेतु एक महान एवं अत्यावश्यक आवश्यकता रही है और ये विधियाँ पर्यावरण के क्षरण के साथ-साथ मानव जाति के लिए उत्पन्न होने वाले जोखिमों की भीषणता के प्रति लंबे समय से चली आ रही उदासीनता से उत्पन्न एक गंभीर परिस्थिति को प्रतिबिंबित करती हैं। प्रकृति में पशु जीवन की संपदा के क्षरण का सबसे बड़ा एकल कारक सभ्य मानव रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक वाणिज्यिक शिकार के माध्यम से अथवा अधिक विनाशकारी रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक आवासों पर आक्रमण या उनके विनाश के माध्यम से कार्य कर रहा है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 वनों के संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु लंबे समय से अनुभव की जा रही आवश्यकता का उपाय था। यह अधिनियम दो उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करता है: (i) यह आरक्षित वन की अनारक्षण तथा वन भूमि के अवन-प्रयोजनों हेतु उपयोग के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास करता है; (ii) संहिता के क्रियान्वयन की निगरानी करना। केवल पाँच धाराओं वाला यह संक्षिप्त विधान यह उपबंध करता है कि "किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदना के बिना, कोई आदेश निदेशित करने वाला नहीं देगा: (i) किसी आरक्षित वन की अनारक्षण; (ii) किसी वन भूमि का किसी अवन-प्रयोजन हेतु उपयोग; (iii) किसी वन भूमि का सरकार द्वारा नियंत्रित न किए जाने वाले किसी प्राइवेट व्यक्ति या संस्था को निर्बंधन; तथा (iv) पुनर्वनीकरण के प्रयोजन हेतु उपयोग करने के लिए किसी वन भूमि से प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की सफाई।"

'अवन-प्रयोजन' की संज्ञा ने अक्सर न्यायिक ध्यान आकर्षित किया है। उच्चतम न्यायालय ने एक प्रसिद्ध अरुणाचल प्रदेश वाद में यह धारित किया है कि "प्लाईवुड चक्कियों के वीनियर सहित किसी भी प्रकार की आरा मिलों का चलाना तथा किसी खनिज का खनन अवन-प्रयोजन हैं और इसलिए केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदना के बिना अनुज्ञेय नहीं हैं।"

जैव-विविधता विधेयक, 2000 हाल की उत्पत्ति का है तथा अभी संसद द्वारा पारित किया जाना शेष है। पृथ्वी सम्मेलन के जैव-विविधता अभिसमय का अनुसरण करते हुए यह ऐतिहासिक विधान भारत की जैव-संपत्तियों के संरक्षण तथा उपयोगकर्ताओं एवं स्वामियों द्वारा समतापूर्ण लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करने हेतु अभिप्रेत है। विधेयक का उद्देश्य जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग एवं जैविक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के समतापूर्ण साझाकरण तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों हेतु उपबंध करना है। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य हैं: (i) जैविक संसाधनों तक पहुँच को विनियमित करना; (ii) जैव-विविधता का संरक्षण एवं सतत उपयोग; (iii) जैव-विविधता से संबंधित स्थानीय समुदायों के ज्ञान का सम्मान एवं संरक्षण; (iv) जैविक संसाधनों के संरक्षकों तथा जैविक संसाधनों के उपयोग से संबंधित ज्ञान के धारकों के रूप में स्थानीय लोगों के साथ लाभ-साझाकरण सुनिश्चित

करना; (v) जैव-विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जैव-विविधता धरोहर स्थल घोषित कर उनका संरक्षण एवं विकास; (vi) संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण एवं पुनर्वासन; तथा (vii) अधिनियम के क्रियान्वयन में स्व-शासन संस्थाओं की सहभागिता। प्रस्तावित विधायी उपाय एक स्वागत-योग्य कदम है; यद्यपि इसका दृष्टिकोण क्षेत्रीय है, क्योंकि यह जैव-विविधता के प्रत्येक पक्ष से नहीं निपटता। यह जैव-संसाधनों के अन्य पक्षों से निपटने वाले विधानों से भी संबंधित नहीं है।

सूचना का अधिकार

सूचना का अभाव तथा संबंधित सरकारी प्राधिकारियों का अत्यंत असहयोगात्मक रुख एक बाधक है। प्रदूषण की समस्या को अधिकारियों एवं प्रदूषकों के मध्य मिलीभगत के रूप में देखा गया है। प्रचलित विशेष पर्यावरण अधिनियमनों के अधीन, संबंधित नागरिकों या कार्यकर्ताओं को सूचना का कोई अधिकार नहीं है। सूचना के प्रसार हेतु एक सीमित उपबंध कारखाना संशोधन अधिनियम एवं कीटनाशक अधिनियम में पाया जाता है।

जब भी सरकारी प्राधिकारी किसी संबंधित नागरिक या कार्यकर्ता की शिकायत पर अनुसंधान करते हैं, तब भी उक्त कार्यकर्ता या नागरिक को अनुसंधान प्रतिवेदन प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता। सूचना का अधिकार अनेक देशों में एक मूल अधिकार माना जाता है। भारत में सूचना के अधिकार को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों में सम्मिलित कर पढ़ा गया है। बम्बई पर्यावरण कार्टवाई समूह बनाम पुणे छावनी बोर्ड में, बम्बई उच्च न्यायालय ने सरकारी अभिकरण के दस्तावेजों का निरीक्षण करने के एक नागरिक समूह के अधिकार को बनाए रखा। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह धारित किया कि जो सूचना का अनुरोध करता है, वह सूचना तक पूर्ण पहुँच रखने हेतु लोकहित में कार्य कर रहा है। एक अपील में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के विनिश्चय की पुष्टि की।

एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि राज्य के स्वामित्व वाले माध्यमों को पर्यावरण कार्यक्रमों का प्रसारण करना चाहिए तथा राज्य को विद्यालयों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषयों को सम्मिलित करने पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणीय मुद्दों के विषय में जागरूक रहना तथा पर्यावरणीय परियोजनाओं में सरकारी विनिश्चय जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, यह सूचना के अधिकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। सूचना के प्रसार का तरीका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खतरनाक प्रक्रियाओं के निकट निवास करने वाले अधिकांश लोग निर्धन एवं निरक्षर होते हैं।

विधियों का प्रवर्तन

विधियाँ अकेले, संहिता की मोटाई बढ़ाने के अतिरिक्त, अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकतीं, यदि उन्हें कठोरता से प्रवर्तित न किया जाए। जहाँ तक विधियों के क्रियान्वयन का संबंध है, हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में अभी भी बहुत पीछे हैं। भारतीय विधियों का अभिशाप क्रियान्वयन का अभाव रहा है, जो पर्यावरणीय विधियों के मामले में भी सत्य है। विधियों के अपर्याप्त क्रियान्वयन पर न्यायालयों द्वारा पहले ही टिप्पणी की जा चुकी है। रूल लिटिगेशन एंटाइटलमेंट केंद्र, देहरादून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य प्रत्येक नागरिक एवं सरकार के सामाजिक दायित्व पर बल देता है। श्रीराम वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्लोरीन संयंत्र को पुनः चालू करने हेतु कई शर्तें अधिरोपित की हैं। समुदाय के प्रति यह एक अप्रत्याशित कर्तव्य है कि किसी को कोई हानि न पहुँचे। वेल्थोर सिटिज़न वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ में, माननीय न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने यह उच्चारित किया कि सतत विकास के सिद्धांत को एक संतुलनकारी अवधारणा के रूप में अंगीकृत किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि, विशेष रूप से प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि, यदि यह नगरीय (घरेलू) विधि के विपरीत नहीं है, तो इसे घरेलू विधि में समाविष्ट माना जाता है। प्रदूषक भुगतान सिद्धांत भी लागू होता है, और इस प्रकार प्रदूषक व्यक्तिगत पीड़ितों की लागत के साथ-साथ पारिस्थितिकी को हुई क्षति को पूर्ववत करने की लागत का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है। सावधानी सिद्धांत के आलोक में, एक प्रतिकूल पर्यावरणीय परिणाम प्रतिवादी पर पर्यावरण को क्षति से रोकने का उत्तरदायित्व अधिरोपित नहीं कर सकता। न्यायालयों ने इस सिद्धांत को भारतीय नगरीय विधि का भाग माना है। माननीय न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने, दिल्ली वाहन प्रदूषण वाद में, दिल्ली के राज्य परिवहन आयुक्त को निदेशित किया कि वे मोटर वाहनों के विभिन्न संघों को वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के तरीकों एवं उपायों का सुझाव देने हेतु सूचना जारी करें।

IV. निष्कर्ष

पर्यावरण विधियों का व्यापक दृष्टिकोण उपनिषदों, पुराणों एवं अर्थशास्त्र में अंतर्निहित प्राचीन भारतीय धरोहर को सामने लाता है, जिसमें यह प्रत्येक मानव का नैतिक कर्तव्य निर्धारित किया गया था कि वह अपने आवास में अनुकूल पर्यावरण बनाए रखे। लोगों हेतु पर्यावरणीय स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रति कौटिल्य की भावना भी वैसी ही थी। भारत विभिन्न धार्मिक विचारों का उद्गम-स्थल है। प्रकृति एवं उसकी रचनाओं के प्रति श्रद्धा भारत के धर्मों में एकीकृत नैतिक सिद्धांत है। ये सभी प्रकृति को मानव से ऊपर रखते हैं तथा प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय विधि के पूर्ववर्ती के रूप में माने जा सकते हैं। इतनी सशक्त परंपराओं के होते हुए भी, भारत में पर्यावरण विधि शब्द के वास्तविक अर्थ में सफल नहीं हो पाई है।

स्वतंत्र भारत में पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार हेतु विभिन्न विधिक उपाय किए गए हैं। संवैधानिक उपबंधों के अतिरिक्त, भारतीय विधियों के सर्वेक्षण से यह प्रकट होता है कि केंद्र या राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित पर्यावरण से संबंधित अनेक अधिनियमन विद्यमान हैं। परंतु पर्यावरणीय विधियों की यह बहुलता पर्यावरणीय क्षरण तथा पारिस्थितिकी-तंत्र के असंतुलन को रोकने में सफल नहीं हो सकी है। विशिष्ट एवं व्यापक पर्यावरण विधि के अभाव में भारत के न्यायालयों ने एक केंद्रीय भूमिका निभाई है तथा विधियों के न्यायिक निर्वचन ने पर्यावरण न्यायशास्त्र के सृजन में सहायता की है, जो पर्यावरण संरक्षण एवं विकास के मध्य संतुलन साधने का प्रयास करता है।

उपयुक्त अवसरों पर उपयुक्त परिवर्तन करने हेतु विधायी सजगता साहसिक एवं सार्थक कदम हैं। परंतु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रभावी प्रशासनिक विनियमनों द्वारा अनुपूरित किया जाना आवश्यक है। ईपीए संदर्भों को पारित करने हेतु एक विधान है, यद्यपि यह प्रत्यायोजित विधान एवं प्रत्यायोजित शक्तियों के तंत्र के माध्यम से अनेक गतिविधियों हेतु एक छत्र प्रदान करता है। यह अधिनियम पूर्ववर्ती विधियों में से किसी का भी निरसन नहीं करता। भारत के पास पर्यावरण विधियों की एक विस्तृत रूपरेखा है। पर्यावरण नीति उद्देश्यों के प्रति इसकी विधायी प्रतिबद्धता संविधान में उपबंधों के समावेशन से उजागर होती है। यह विधायी प्रतिबद्धता की एक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है जो अंतर्राष्ट्रीय अनुभव में दुर्लभ है। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्यायालयों के कुछ विनिश्चयों ने पर्यावरणीय अधिकारों को मान्यता प्रदान की है, जो अधिकांश देशों की तुलना में अधिक व्यापक है, उदाहरणार्थ, संविधान के अधीन जीवन के अधिकार के अंतर्निहित भाग के रूप में पर्यावरण के अधिकार की मान्यता। यद्यपि विधियों के सारवान आच्छादन की पर्याप्तता तथा विद्यमान विधियों एवं विनियमनों के मध्य समन्वय से संबंधित मुद्दे अभी भी संबोधित किए जाने शेष हैं, इस समय संबोधित किया जाने वाला मुख्य विधिक मुद्दा विद्यमान विधियों का सुदृढीकरण एवं क्रियान्वयन है। सतत विकास की अवधारणा पर्यावरणीय मूल्य एवं विकासात्मक आवश्यकताओं के मध्य एक सुखद मिलन है। विद्यमान संसाधनों का सतत उपयोग एक ऐसा उदाहरण है। संसाधनों में भी भूमि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सतत भूमि-उपयोग प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु कठोर विनियमन आवश्यक है। समान समस्याओं के प्रति पृथक्कृत दृष्टिकोण विकास का सही प्रतिस्थापन नहीं हो सकता। ईपीए के अधीन नियामक उपायों को अभी भी सुदृढ किया जाना शेष है।

दूसरी ओर, विधि-निर्माताओं में पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति पर्याप्त जागरूकता का अभाव है, जो पर्यावरण पर व्यापक विधान के सूत्रीकरण को सीमित करता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995 अभी प्रवृत्त किया जाना शेष है तथा अधिकरणों का गठन प्रतीक्षित है, परंतु राष्ट्रीय पर्यावरण विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 के नाम से जाना जाने वाला पर्यावरण पर एक व्यापक विधान भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के विचारार्थ है। यह आशा की जाती है कि इस महत्वपूर्ण विधान की चर्चा एवं प्रारूपण हेतु विषय का एक व्यापक दृष्टिकोण रचनात्मक आलोचना को ध्यान में रखेगा।

विद्यमान पर्यावरणीय समस्याओं तथा उनके प्रति जागरूकता को देखते हुए, संरक्षण की आवश्यकता महत्त्व ग्रहण कर लेती है। प्रतिबंध कठोर होने चाहिए तथा विधियों के क्रियान्वयन हेतु प्राधिकारियों पर अधिक उत्तरदायित्व अधिरोपित किया जाना चाहिए। समुदाय को आसन्न हानि की रोकथाम हेतु क्रियाशील विधियों का अविलंब अधिनियमन किया जाना चाहिए। ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या दोनों में बेहतर पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन दंडात्मक प्रतिबंधों की तुलना में एक बेहतर प्रतिस्थापन होगा। यह भी अनिवार्य है कि पर्यावरणीय

विनिश्चय-निर्धारण में वास्तविक जन-सहभागिता हो। इस दिशा में नागरिक पर्यावरण के संरक्षण हेतु जन-आंदोलनों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। पर्यावरण विधि-निर्माण एवं उसके क्रियान्वयन में जन-सहभागिता सूक्ष्म स्तर से आरंभ होनी चाहिए।



की प्रस्तुति

डिजिटल अरेस्ट: एक आलोचनात्मक मूल्यांकन

जहाँ साइबर धोखाधड़ी खबरों में बनी रहती है, वहीं "डिजिटल अरेस्ट" ऑनलाइन अपराध के क्षेत्र में एक विशेष रूप से कुटिल विकास का प्रतिनिधित्व करता है। यह रणनीति मनोवैज्ञानिक हेरफेर को उच्च-तकनीकी चालाकी के साथ जोड़ती है, जिसमें संवेदनशील व्यक्तियों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाने के लिए समझौता किए गए टेलीकॉम नेटवर्क और म्यूल बैंक खातों का उपयोग किया जाता है।

यह घोटाला आमतौर पर धोखे के एक सोचे-समझे क्रम में सामने आता है:

- अधिकारी का मुखौटा: जालसाज खुद को पुलिस, आयकर अधिकारी या "वर्चुअल कोर्ट" के रूप में पेश करते हैं। अपने अभिनय को सच साबित करने के लिए, वे आधिकारिक वर्दी पहनते हैं और फर्जी वारंट पेश करते हैं।
- तकनीकी भ्रम: एआई (AI) डीपफेक तकनीक और तकनीकी स्पूफिंग का उपयोग करके, वे वैधता का एक विश्वसनीय मुखौटा तैयार करते हैं।
- धमकी: पीड़ितों पर मनी लॉन्ड्रिंग, तस्करी या कर चोरी जैसे गंभीर अपराधों का आरोप लगाया जाता है। अपनी "मासूमियत साबित करने" के लिए, उन्हें 24/7 वीडियो कॉल पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है—जो निरंतर निगरानी की स्थिति होती है।
- फायदा उठाना: घंटों या महीनों तक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है, जब तक कि पीड़ित संवेदनशील डेटा साझा करके या नकली सुरक्षा जमा (सिक्क्योरिटी डिपॉजिट) के रूप में भारी मात्रा में धन स्थानांतरित करके "सहयोग" नहीं कर देता।

मूल रूप से, यह घोटाला एक मनगढ़ंत आपराधिक जांच पर फलता-फूलता है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 जैसे वर्तमान भारतीय कानून इन घटनाओं को संबोधित करते हैं, लेकिन वे आमतौर पर इन्हें धोखाधड़ी (BNS की धारा 318), जबरन वसूली (BNS की धारा 308), लोक सेवक का प्रतिरूपण करना (BNS की धारा 204), या प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी (IT अधिनियम की धारा 66D) जैसे खंडित अपराधों के रूप में देखते हैं।

हालाँकि, यह दृष्टिकोण संरचनात्मक भेद्यता को अनदेखा कर देता है: राज्य की कानूनी प्रक्रिया के संबंध में जानकारी की विषमता। यह घोटाला दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की 'कानूनी छाया' का फायदा उठाकर संचालित होता है। यह घोटाला कानूनी वास्तविकता के चतुर विरूपण पर निर्भर करता है।

पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में इसके आधुनिक समकक्षों के तहत, पुलिस कानूनी रूप से व्यक्तियों को बुलाने और पूछताछ करने के लिए अधिकृत है। जालसाज इस तथ्य को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि "वीडियो पूछताछ" एक मानक कानूनी आवश्यकता की तरह लगे।

मुख्य मुद्दा डिजिटल संचार के लिए स्पष्ट, मानकीकृत सत्यापन की कमी है। हालांकि भारतीय अदालतें अब समन भेजने के लिए व्हाट्सएप और ईमेल को वैध तरीकों के रूप में मान्यता देती हैं (विशेष रूप से जरूरी मामलों में), लेकिन कानून इन डिजिटल सूचनाओं को प्रमाणित करने के तरीके के लिए एक सख्त, वैधानिक प्रोटोकॉल प्रदान नहीं करता है। जालसाज आसानी से सत्ता के प्रतीकों की नकल कर लेते हैं, जैसे कि संश्लेषित कॉलर आईडी, यथार्थवादी पुलिस वर्दी और स्टेशन पृष्ठभूमि, तथा जाली "आधिकारिक" मुहरें और डिजिटल दस्तावेज़। संक्षेप में, "कानूनी प्रणाली ने डिजिटल गति को तो अपना लिया है, लेकिन अभी तक डिजिटल सुरक्षा के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है," जिससे एक "धुंधला क्षेत्र" (gray area) बन गया है जिसका फायदा उठाने में जालसाज खुश हैं।

एक अधिक स्थायी और प्रभावी रणनीति में डिजिटल उचित प्रक्रिया (due process) को विनियमित करने के लिए विशिष्ट कानून बनाना शामिल है। यह ढांचा हमारी वर्तमान 'चूक-दर-भेद्यता' (vulnerability-by-default) प्रणाली को 'प्रमाणीकरण-दर-डिजाइन' (authentication-by-design) पर आधारित प्रणाली में बदल देगा। इस कानून के तहत, डिजिटल समन जारी करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित सुरक्षा उपायों के साथ सुधारा जाएगा:

- क्रिप्टोग्राफिक सत्यापन: प्रत्येक डिजिटल समन के लिए एक अधिकृत अधिकारी द्वारा अनिवार्य ई-हस्ताक्षर (e-Sign) की आवश्यकता होगी, जो IT अधिनियम के अनुरूप हो, जिससे दस्तावेज़ की उत्पत्ति निर्विवाद हो सके।
- केंद्रीकृत प्रमाणीकरण: दस्तावेज़ों में एक क्यूआर (QR) कोड होगा जो एक सुरक्षित, सरकार द्वारा संचालित लेज़र से जुड़ा होगा। यह नागरिकों को एक आधिकारिक डेटाबेस के विरुद्ध समन की वैधता को तुरंत सत्यापित करने की अनुमति देता है।
- छेड़छाड़-रोधी तकनीक: आसानी से जाली बनाई जा सकने वाली पीडीएफ (PDF) या छवियों को भेजने की प्रथा को क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित दस्तावेज़ों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। ये एम्बेडेड कुंजियों (embedded keys) का उपयोग करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जानकारी बदली नहीं गई है (अखंडता) और भेजने वाला इसे भेजने से इनकार नहीं कर सकता (गैर-अस्वीकृति)।

इन तकनीकी आवश्यकताओं को कानून में संहिताबद्ध करके, हम जालसाजों से उनके दृश्य छलावरण छीन लेते हैं और नागरिकों को राज्य के अधिकार की पुष्टि करने का एक निश्चित, अटूट तरीका प्रदान करते हैं। अतः, भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता की रक्षा के लिए, हमें केवल सार्वजनिक जागरूकता प्रयासों से आगे बढ़कर सीधे प्रणाली में सुरक्षा प्रोटोकॉल को शामिल करने वाले मजबूत, निर्णायक कानून की ओर बढ़ना चाहिए।

विदाई भाषण : श्री नीरज तिवारी, न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

डायस पर विराजमान आदरणीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद,
साथी न्यायाधीशगण,

मेरे विशेष आग्रह पर उपस्थित मेरे अग्रज न्यायमूर्ति श्री सुनीत कुमार, न्यायमूर्ति श्री राजीव जोशी जी एवं न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी जी, पूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, श्री एस0पी0 सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, एडिशनल सॉलीसिटर जनरल आफ इण्डिया, श्री अजीत कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता, उ0प्र0 सरकार, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राकेश पाण्डेय जी, एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सगीर अहमद जी, उपस्थित सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं बार के सम्मानित सदस्य तथा रजिस्ट्री के अधिकारी एवं कर्मचारीगण।

आज से लगभग 9 वर्ष पूर्व दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को अपर न्यायाधीश के रूप में इसी न्यायक्षेत्र में शपथ लेकर इस न्यायिक यात्रा का प्रारम्भ हुआ था। लेकिन यहां तक पहुंचने के वृत्तांत का महत्व कम नहीं है। राजकीय इण्टर कॉलेज इलाहाबाद व इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा, पढ़ने-लिखने में मेधावी था, विश्वविद्यालय के सभी छात्रों की तरह मेरी भी इच्छा सिविल सर्विसेस में नियुक्ति प्राप्त करना था। प्रयास प्रारम्भ किया तथा कई बार साक्षात्कार हेतु लोक सेवा आयोग जाने का अवसर भी मिला, परन्तु नियति को कुछ और ही मंजूर था, अंततः वांछित सफलता नहीं मिली।

परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से विचार-विमर्श के बाद यह तय हुआ कि जीविकोपार्जन हेतु वकालत प्रारम्भ की जाय। ननिहाल पक्ष से पारिवारिक मित्र श्री उमेश नारायण शर्मा जी के यहां वकालत शुरू करने हेतु मई, 1997 के तीसरे सप्ताह उनके चैम्बर कम आवास 16 C, पत्रिका मार्ग, सिविल लाइन्स में दोपहर दो बजे के आस-पास अपने मामा के साथ पहुंचा। उन्होंने मेरी उम्र पूछी, मैंने बताया 9 जुलाई, 1997 को 33 वर्ष का हो जाऊंगा। उन्होंने कहा वैसे तो मैं नये लोगों को पहले एक वर्ष के लिए जिला कचहरी भेजता हूँ, लेकिन तुम काफी देर से प्रैक्टिस में आये हो, इसलिए यहीं से शुरुआत करो। उन्होंने पुनः कहा, अगर मेहनत करोगे, तो वकालत में sky is the limit. इसके पश्चात उन्होंने श्री सुनीत कुमार, चैम्बर के तत्कालीन वरिष्ठ सदस्य (जो बाद में न्यायमूर्ति बने) के साथ संबद्ध कर दिया। इस तरह मेरी वकालत श्रद्धेय गुरुदेव श्री शर्मा जी व गुरु भाई श्री सुनीत कुमार जी की देख-रेख में शुरू हुई।

हाईकोर्ट में वकालत सिर्फ व्यवसाय नहीं है, यह एक विस्तारित परिवार (Extended family) में रहने की परम्परा व संस्कार का निर्वहन भी है।

श्रद्धेय गुरुदेव श्री शर्मा जी वकालत की कला (Art of Advocacy) के साथ हाईकोर्ट में रहने की तहजीब, तमीज व तरीका (Etiquette, courtesy and manner) भी सिखाया। यह उनके कुशल प्रशिक्षण का ही परिणाम है कि विलम्ब से वकालत शुरू कर आज आपके सामने हूँ।

इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट के ख्यातिलब्ध अधिवक्ता स्व0 श्री एस0एस0 भटनागर जी, स्व0 श्री ए0डी0 गिरी जी, स्व0 श्री विभव भूषण उपाध्याय जी, स्व0 श्री आर0एन0 सिंह जी, स्व0 श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी, स्व0 श्री रविकांत जी, जिनको मैंने देखा, ये सभी अपने आप में संस्थान थे और मेरे प्रेरणा स्रोत रहे।

मेरी वकालत के प्रारम्भ से ही वरिष्ठ अधिवक्ता गण श्री टी० पी० सिंह, श्री अशोक खरे, श्री शशिनंदन, श्री वी० पी० श्रीवास्तव, श्री गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, श्री डब्ल्यू० एच० खान व श्री कमल कृष्णा आदि लब्ध प्रतिष्ठ अधिवक्ता रहे, जिनसे मुझे निरंतर सीखने का अवसर मिलता रहा।

इस प्रकार वकालत की यह यात्रा खटे-मीठे अनुभवों के साथ अच्छी तरह से चलती रही। माह अप्रैल 2015 में तत्कालीन कॉलेजियम ने मेरे नाम की संस्तुति न्यायमूर्ति पद पर नियुक्ति हेतु की तथा दिनांक 22 सितंबर 2017 को अपर न्यायाधीश व दिनांक 21 सितंबर 2019 को स्थाई न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

यहां से जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। कार्य का स्वरूप बदला। अधिवक्ता से निणायिक की भूमिका आ गई तथा पहले से ज्यादा गंभीर उत्तरदायित्व आ गया। न्याय के विभिन्न क्षेत्रों में बैठकर न्यायिक कार्यों के संपादन का अवसर मिला तथा इस गुरुतर दायित्व के निर्वहन में मेरे साथी न्यायाधीशों का निरंतर सहयोग मिला, जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ।

मैंने अपने न्यायिक उत्तरदायित्वों का अपनी पूरी क्षमता के साथ बिना भय व पक्षपात के निर्वहन करने की कोशिश की है, जिसका मूल्यांकन आप करेंगे। फिर भी मेरे न्यायिक कार्यों के संपादन के दौरान या उसके इतर में किसी कार्य या आचरण से आपको ठेस पहुंची हो, तो मैं इसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ।

पूर्व वक्ताओं ने मेरे बारे में जो सद्बिचार व्यक्त किये हैं, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ।

उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कार्य के सुचारु रूप से संचालन में रजिस्ट्री का सहयोग आवश्यक है। मैं महानिबंधक के नेतृत्व में रजिस्ट्री के सभी अधिकारियों व कर्मचारी गण का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सहयोग के बिना इस उत्तरदायित्व का सुचारु रूप से संचालन संभव नहीं था।

किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसके परिवार का योगदान शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। मैं अपने स्वर्गीय माता-पिता श्रीमती आशा रानी तिवारी व श्री कमला प्रसाद तिवारी को हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ, जिनके आशीर्वाद के बिना यहां तक पहुंचना संभव नहीं था। मेरी व्यावसायिक व्यस्तता जनित समयाभाव को मेरी धर्मपत्नी श्रीमती आभा तिवारी ने हमेशा बहुत ही सहज रूप से लिया, जिसे व्यक्त करने हेतु मेरे पास उचित शब्दों का अभाव है। मेरे बच्चे बिटिया शाम्भवी एवं भाविनी तथा दामाद प्रखर सरन मेरे हर निर्णयों में साथ खड़े होकर मुझे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मानसिक संबल प्रदान किया, जिसके लिए वे निश्चय ही साधुवाद के पात्र हैं।

अंत में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मेरे इन न्यायिक कार्यों के सुचारु रूप से संचालन में मेरे निजी सचिवालय का सहयोग रहा। मेरे निजी सचिव श्री अरविंद गुप्ता उप-निबंधक सह निजी सचिव, श्री सरताज अहमद सहायक निबंधक सह निजी सचिव, श्री जुनैद अहमद सहायक निबंधक सह निजी सचिव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो दिन हो या रात, एक आवाज पर मेरे साथ खड़े रहे। मेरे कार्यकाल के दौरान श्री राममूर्ति कुशवाहा संयुक्त निबंधक सह निजी सचिव तथा श्री अमरदीप यादव निजी सचिव ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मेरे बेंच सेक्रेटरी श्री नंदलाल उप निबंधक सह न्यायपीठ सचिव, श्री अभय उप निबंधक सह न्यायपीठ सचिव ने बड़ी ही कुशलता के साथ कोर्ट का संचालन किया। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं अपने अशर श्री सुरेंद्र मौर्या, न्याय कक्ष के चेंबर में पोस्टेड श्री विकास मौर्य एवं श्री अजय राय, हाईकोर्ट पहुंचाने से लेकर कोर्ट के बाहर हमेशा साथ रहने वाले मेरे चालक श्री आलोक कुमार पाण्डेय, निजी सुरक्षा अधिकारी श्री बाबूलाल शुक्ला, श्री संजय कुमार सिंह व विपिन कुमार तिवारी एवं मेरे निवास पर तैनात सेवक श्री विनोद कुमार कुशवाहा, श्री बबोल प्रसाद शर्मा व श्री राजू प्रसाद के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जो हर समय सेवा के लिए उपलब्ध रहे।

दिनांक:-08.07.2026.

(श्री नीरज तिवारी, न्यायमूर्ति)
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।



की प्रस्तुति

भगवद्गीता, भारत का संविधान और संविधानवाद

सौरभ बासु
अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

प्रस्तावना

जीवन्त सिद्धांतों का सबसे प्रमुख और वर्णनात्मक लेखन भगवद्गीता में प्रतिपादित किया गया है, जिसे हम आमतौर पर गीता कहते हैं। हम गीता के दर्शन में जितना अधिक गहराई में जाते हैं, हम पाते हैं कि यदि हम उस परम (सर्वोपरि सत्ता) का अनुसरण करें और उनके प्रति पूर्ण समर्पण कर दें, तो जीवन सरल हो जाता है; इसलिए वे सर्वोच्च सिद्धांत ही वे बुनियादी नियम हैं जिनका पालन हर किसी को अवश्य करना चाहिए।

माना जाता है कि भगवद्गीता 5000 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है और इसे महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित माना जाता है। इसे उनके द्वारा बोला गया था और भगवान गणेश द्वारा एक ही बैठक में लिपिबद्ध किया गया था, जैसा कि हम जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास द्वारा गीता सुनाए जाने के दौरान उन्हें उस स्थान को छोड़ने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना एक दंत तोड़ लिया और इसे लिखना जारी रखा। यह गाथा उस समर्पण और एक ऐसे ग्रंथ के निर्माण की आवश्यकता को दर्शाती है जिससे लोग सही मार्ग पर आ सकें और अपने जीवन को एकरूपता के साथ जी सकें।

यह उन प्रत्यक्ष सिद्धांतों के लिए भी जाना जाता है जिन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के समक्ष प्रदर्शित किया गया था; जब युद्ध एक ही परिवार के भीतर था और दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे से संबंधित थे, तब भगवान कृष्ण ने धर्म के उद्देश्य और उसके दर्शन को परिभाषित किया था।

“धर्मधर्मो मुखं दुःखं मानसानि न ते बिभो।
न कर्ताऽसि न भोक्ताऽसि मुक्त एवाऽसि सर्वदा॥”

“धर्म और अधर्म, सुख और दुख विशुद्ध रूप से मन के हैं और इनसे आपका कोई सरोकार नहीं है। आप न तो कर्ता हैं और न ही कर्मफलों को भोगने वाले, इसलिए आप सदैव मुक्त हैं।”

गीता में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं और संविधान तथा समाज के साथ इसका संबंध

श्रीकृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कुछ गलत है भी, तो अंततः उस पर सत्य की ही विजय होनी चाहिए। यह हमें चुनना है कि क्या सही है और क्या गलत। इसका उदाहरण कर्ण के रूप में स्थापित किया गया है, जिसने दुर्योधन के गलत होने के तथ्य को जानने के बावजूद उसका साथ देना जारी रखा क्योंकि वह इस धर्म से बंधा था कि वह उसका मित्र है और उसने तब उसका समर्थन किया था जब पूरा समाज उसका विरोध कर रहा था; यहाँ तक कि कुंती द्वारा उसके जन्म की वास्तविकता बताने पर भी उसने अपना पक्ष नहीं बदला। दूसरा उदाहरण उस धर्म के बारे में है कि एक योद्धा होने के नाते, हे अर्जुन! तुम्हें युद्ध करना है और युद्ध के मैदान में कोई भी तुम्हारा रिश्तेदार या गुरु नहीं है, यदि तुम युद्ध के मैदान में हो तो तुम्हारा धर्म केवल लड़ना है, तुम पीछे नहीं हट सकते। यहाँ श्रीकृष्ण इस चेतना को भी प्रमुखता देते हैं कि तुम अपने कर्मों का मूल्यांकन करने वाले कोई नहीं हो, जहाँ किए गए प्रत्येक कार्य का कुछ न कुछ दुष्प्रभाव अवश्य होता है।

सामाजिक पहलू

अधिक सरल तरीके से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भगवद्गीता यह घोषणा करती है कि किए गए प्रत्येक कार्य का दोष से कुछ संबंध होता है (18.48)। यदि हम एक बिल्कुल सरल मार्ग खोजने की जिद पर अड़े रहें, तो शायद हम किसी कार्य की शुरुआत ही न कर पाएं। इसके अलावा, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सब कुछ वैसे ही स्वीकार करने की आवश्यकता है जैसे वे हैं, जबकि जीने के लिए इसे एक बेहतर स्थान बनाने के लिए कुछ चीजों को बदलना भी महत्वपूर्ण है। यदि हम कोई कदम उठा रहे हैं तो हमें उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे ब्रह्मांड पर फैसला करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

इसी पहलू में गीता की अन्य शिक्षाएं समाज के लिए बहुत फायदेमंद रही हैं, जिनका हमारे दैनिक जीवन में सीधा संबंध है। यह बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है कि गीता का दर्शन स्वतंत्रता, मुक्ति और कर्म के बीच विकसित होता है, जहाँ हम प्रासंगिक रूप से उस स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसके द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपने स्वयं के कर्मों के अनुसार कर्म से निपट रहे हैं, लेकिन जैसा कि कहा गया है कि स्वतंत्रता का उच्चतम स्तर मुक्ति की शुरुआत है।

अब जब हम बड़े पैमाने पर अपने समाज की ओर बढ़ते हैं, आदिम युग के दौर से लेकर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सुधारों के कालखंड को दिखाने वाले लेखों और पांडुलिपियों तक, हम पाएंगे कि समाज ने समय-समय पर विभिन्न प्रथाओं को अपने जीवन के सिद्धांतों के रूप में अपनाया है, जिन्हें वे सच मानते हैं और क्योंकि इसका समाज पर एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रथा मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने का एक तरीका बन जाती है, यहाँ से यदि हम उस प्रथा की गहराई में जाएँ तो हमें पता चलेगा कि किसी न किसी तरह वह पूजा के पहलुओं में से किसी एक से संबंधित है या हम कह सकते हैं कि यह किसी ऐसे निर्देश से संबंधित है जो पहले से ही हमारे प्राचीन लेखों जैसे वेदों, उपनिषदों, मनुस्मृति, पुराणों में या गीता के अभिसरण सिद्धांतों में मौजूद है, जो अन्य सभी विभिन्न लेखों के संपूर्ण अभिसरण के रूप में उभरा है और जिसे उचित और व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने के उद्देश्य से अपनाया गया है।

हमारे देश भारत ने विभिन्न आक्रांताओं के विनाश और आधिपत्य के कारण कई उथल-पुथल का सामना किया है और इसी वजह से जीवन जीने के रीति-रिवाज और प्रथाएं अपनी मौलिकता से विचलित हो गई हैं। विगत काल में, मुगलों और अंग्रेजों के समय से, जहाँ उन्होंने संभवतः चार सौ से अधिक वर्षों तक देश पर शासन किया, संस्कृति में बदलाव आना स्वाभाविक था; लेकिन जो शेष रहता है वह है जीवन का नियम—प्रत्येक ने अपने-अपने तरीके से समाज के नियम को बेहतर बनाने का प्रयास किया है।

भारत को स्वतंत्रता मिली और देश के नियमों को तैयार करने की आवश्यकता एक अनिवार्य उद्देश्य बन गई; एक ऐसा नियम जो निश्चित रूप से हमारा अपना हो, साथ ही दूसरों से पूरी तरह अलग भी न हो, और जिसे सभी के द्वारा आसानी से अपनाया और उसका पालन किया जा सके।

संवैधानिक पहलू

15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के ठीक बाद, 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया था, जहाँ समाज के सभी सूक्ष्म पहलुओं और भारत के नागरिकों की सांस्कृतिक एवं व्यावहारिक प्रकृति को सामूहिक रूप से ध्यान में रखकर नियमों को तैयार किया गया था। यह स्वीकार किया गया है कि विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन करने के बाद ही भारत का संविधान तैयार किया गया है, और बेशक ऐसा करते समय देश के विभिन्न वर्गों को पूरी तरह ध्यान में रखा गया था।

भारत के संविधान का अध्ययन करते समय, कई स्थानों पर हम भारत के संविधान में भगवद्गीता के महत्व को देख सकते हैं, जहाँ साधारण से साधारण नागरिक को स्वतंत्रता के मामले में व्यापक शक्ति दी गई है, फिर भी वह सर्वशक्तिमान के अधीन है। हमारी समझ के अनुसार भगवद्गीता फिर से जीने का नियम है, कि हम उस काम को कैसे प्रबंधित कर सकते हैं जो हमें सौंपा गया है, एक उचित तरीके से जहाँ हम किसी को जानबूझकर नुकसान पहुँचाए बिना अधिकतम प्राप्त कर सकें और उक्त निर्देशों के भीतर अच्छे तरीके से समाज की देखभाल करने, काम करने, उसे हासिल करने का संदेश प्रसारित कर सकें।

यहाँ हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नियम उस आम आदमी के लिए बनाया जा रहा है जो वह काम कर रहा है या जिसे वह काम सौंपा गया है, जिसे निर्देश भी दिए गए हैं कि उस काम को कैसे करना है, उसी प्रकार संविधान भी हमें उक्त ढाँचा प्रदान करता है जिसके भीतर हमें रहना है, यह हमें विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत स्वतंत्रता देता है और हमेशा गलत कामों के अधीन होता है, जिनका मुकाबला किया जाएगा।

भारत के संविधान के हर एक हिस्से में हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मुख्य सिद्धांत भगवद्गीता के दर्शन और जिन सिद्धांतों से इसने निपटा है, उन्हीं से उभरे हैं, भारत के संविधान के निर्माण में इसका बहुत मजबूत महत्व है। संविधान की प्रस्तावना मुख्य रूप से संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य के बारे में बात करती है, जो नीचे उद्धृत है:

"हम, भारत के लोग, भारत को एक [सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को:
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय;
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता;
प्रतिष्ठा और अवसर की समता;
प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और [राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर, 1949 ई० को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"

सब से ऊपर एक: सर्वोच्च विलक्षणता

जहाँ शक्ति का मूल देश के उस और प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया गया है, जो संप्रभु राज्य में है जो अस्तित्व में सर्वोपरि है, जो समानों के समाज में सामाजिक है और जिसे सभी अवसरों में समानता दी गई है, जो अपनी इच्छा के किसी भी धर्म का पालन करने के विचारों में धर्मनिरपेक्ष है और सभी के बीच समान रूप से रहता है, और इसी तरह देश लोकतांत्रिक होगा जो 'जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए' शब्द से उत्पन्न होता है, इसलिए जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और शासन उन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में होता है। आगे हमें पता चलता है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी प्रदान किया गया है जो यह स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार या दूसरों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली पर भी आते हैं जो कि स्वतंत्रता या मुक्ति है, जो विभिन्न धार्मिक भावनाओं में सभी शिक्षाओं का अंतिम आदर्श वाक्य है। हम अक्सर मुक्ति या मोक्ष के बारे में उपदेश सुनते हैं, जो कि प्राप्ति, संतोष और मोक्ष प्राप्त करना है, जिसके लिए हर एक जीवित प्राणी संघर्ष कर रहा है, जहाँ गीता का समावेश भी देखा जा सकता है, जिसे इस प्रकार समझाया गया है:

"सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥"

"अन्य सभी कर्तव्यों को छोड़कर, केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो।"
यह स्वतंत्रता की अवधारणा है, जहाँ फिर से हमें केवल अपना कार्य करने और अंततः अपने कर्मों के परिणाम की अपेक्षा किए बिना परमात्मा के प्रति समर्पण करने की आवश्यकता है। यह वह प्रदर्शन है जहाँ हम नहीं जानते कि हमारे भविष्य के लिए क्या संचित

होगा, इस प्रकार हमें भविष्य को देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह परमात्मा द्वारा नियत है। यह विश्वास प्रणाली है जो काम करती है, जो केवल कर्मों अर्थात् कर्म पर निर्भर करती है, और इसी तरह यदि हम यह मानते हैं कि जो कर्तव्य हमें सौंपे गए हैं जब वे पूरे किए जाते हैं, तो हम केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होते हैं और हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि उसका परिणाम क्या होगा, जहाँ प्रदर्शन के अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा। यह यहाँ भी है जहाँ हमें हमारे प्रदर्शन के लिए स्वतंत्रता दी गई है और हम तदनुसार कर्म से मुक्त होते हैं, यही वह जगह है जहाँ मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में समाहित करने के लिए एक साथ इकट्ठा किया गया है। संविधान का हृदय स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता अपने उच्चतम रूप में उदारीकरण है। यहीं से हम समानता के अधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और जीने के अधिकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 तथा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत दिए गए हैं, और संविधान के अन्तर्गत दिए गए अन्य सभी मौलिक अधिकारों से निपटते हैं। ये तर्क अनिवार्य रूप से हमें हमारे संविधान द्वारा स्वीकार की गई धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारा संविधान निजी या सार्वजनिक रूप से किसी भी धर्म के आचरण को प्रतिबंधित नहीं करता है। संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से, इस देश के लोगों ने इस देश को, अन्यो के साथ, एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में गठित करने और इसके सभी नागरिकों को (i) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; (ii) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; (iii) प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुरक्षित करने; और (iv) उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है। संविधान का अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन रहते हुए धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देता है और साथ ही राज्य की किसी भी ऐसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंधित करने वाली कानून बनाने की शक्ति के अधीन है जो धार्मिक आचरण से जुड़ी हो सकती है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को (क) धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करने, (ख) धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने, (ग) चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करने और (घ) कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 29 नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को, अन्यो के साथ, अपनी विशिष्ट संस्कृति को बनाए रखने की गारंटी देता है। अनुच्छेद 30 प्रदान करता है कि धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। यह राज्य को किसी धार्मिक अल्पसंख्यक द्वारा प्रबंधित शैक्षणिक संस्थान को सहायता देने में कोई भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अन्तर्गत, संविधान किसी भी नागरिक के खिलाफ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है और कानून के समान संरक्षण तथा सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर की गारंटी देता है। अनुच्छेद 44 राज्य को अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51-ए भारत के प्रत्येक नागरिक पर, अन्यो के साथ, यह कर्तव्य डालता है कि वह (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करे, (ख) भारत के सभी लोगों के बीच, अन्यो के साथ, धार्मिक और अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे, (ग) हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दे और संरक्षित करे, (घ) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे; और (ङ) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा से दूर रहे।

गीता के सिद्धांतों के माध्यम से स्वतंत्रता: संविधानवाद का पहलू

धर्म की अवधारणा विश्वास प्रणाली पर आधारित है। धर्म उसी क्षण से खतरे में आ जाता है जब लोग इसकी रक्षा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विश्वास प्रणाली की वह सुरक्षा विवादों और असमानताओं की भावना को जगाती है, फिर जब चीजें भेदभावपूर्ण होती हैं तो झगड़ा होता है, इसी कारण से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।

अब यदि हम गीता के बारे में बात करते हैं तो यह ईश्वर की पूजा के बारे में नहीं है, यह खुद को सत्य के प्रति समर्पित करने के बारे में है, यहाँ सत्य पूरी तरह से तथ्य और वास्तविकता के बारे में है, जिसे सर्वोच्च द्वारा मान्य किया गया है।

शक्तियों के प्रशासन और निष्पादन पर आते हैं जो संविधानवाद का संरक्षण सुनिश्चित करता है, यहाँ हम यह समझते हैं कि संविधानवाद सरकार के उन जटिल सिद्धांतों और विचारों के बारे में है जो संविधान द्वारा शासित होते हैं, जहाँ यह सरकार के कामकाज को संतुलित करके और उसे किसी भी मनमाने तरीके से भटकने न देकर सीमित व बाध्य करता है।

इस प्रकार, संविधानवाद अपने अर्थ के मूल में सरकार की शक्ति पर अधिरोपित कानूनी सीमाओं के बारे में है। इसमें शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा, विधि का शासन, मौलिक अधिकार और शक्ति के निष्पादन में शामिल सभी विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन का अवलोकन करने की अवधारणा शामिल है, जैसा कि विधायी संबंधों के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 245, 246 और 247 के अन्तर्गत तथा संवैधानिक उपचारों के रूप में अनुच्छेद 32 के साथ प्रावधान किया गया है। जहाँ अधिक प्रमुखता से, जैसा कि हम गीता के मुख्य सिद्धांतों की मूल को देख रहे हैं, हम निश्चित रूप से न्याय, समानता के बुनियादी दिशानिर्देशों और सौंपे गए कर्तव्य के निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे जो समाज की भलाई के लिए है; ऐसी किसी भी चीज़ को हतोत्साहित किया जाता है जो दूसरों के लिए हानिकारक या बाधक हो।

न्यायिक व्याख्या में भगवद्गीता

भगवद्गीता के उद्धरणों और व्याख्या का अस्तित्व व्यापक रूप से न्यायिक घोषणाओं में देखा जा सकता है जहाँ गीता की शिक्षाओं का उपयोग मिसालों को प्रमाणित करने के लिए किया गया है, पारित किए गए विभिन्न निर्णयों में गीता के सार ने कानून की व्याख्या के उद्देश्य और आदिम काल के सामाजिक जीवन के साथ इसकी तुलना को स्पष्ट किया है, जिसे यहाँ बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि यह समाज के कई रूपों से संबंधित है और इसने उसे देखा है। जैसे; स्टेट ऑफ पंजाब बनाम देविंदर सिंह और अन्य, व्यवहार अपील संख्या 2011 का 2317, जिसका निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 01.08.2024 को किया गया था, में माननीय न्यायमूर्तिगण ने जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था की अवधारणा की व्याख्या और विस्तार करने के लिए गीता के श्लोकों को उद्धृत किया है जो व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के अनुसार विभाजित थी, क्योंकि वे समाज के लिए काम की प्रकृति चुनने के लिए फायदेमंद थीं, निर्णय की व्याख्या नीचे उद्धृत की जा रही है:

संविधान वास्तव में एक जातिविहीन समाज और एक एकीकृत समाज की कल्पना करता है लेकिन दबे-कुचले/शोषित वर्ग को सुविधा और विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए 'समानता' के नाम पर, यह कहा जाता है कि हमने जाति की तथाकथित मनुवादी व्यवस्था को जारी रखा है। मैं धार्मिक ग्रंथों का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ और न ही मैं उनमें से किसी का भी ज्ञान होने का दावा करता हूँ, यद्यपि मैंने कुछ अवसरों पर भगवद्गीता और रामचरितमानस का अध्ययन अवश्य किया है। शास्त्रों, विशेष रूप से गीता की मेरी सीमित समझ के अनुसार, मेरा यह दृढ़ मत है कि आदिम भारत में किसी जाति व्यवस्था का कोई अस्तित्व नहीं था, बल्कि लोगों का वर्गीकरण उनके पेशे, प्रतिभा, गुणों और स्वभाव के अनुसार था। यह भगवद्गीता के अध्याय 4 के श्लोक 13 और अध्याय 18 के श्लोक 41 द्वारा बहुत अच्छी तरह से परिलक्षित हो सकता है जिसे मैं नीचे उद्धृत करता हूँ।

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।

तस्य कर्तरिमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥ (अध्याय 4, श्लोक 13, भगवद्गीता)

"ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्य—उनके गुणों के अनुसार, उनके गुणों (और जन्म से नहीं) के अनुसार वितरित किए जाते हैं।"

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः (अध्याय 18, श्लोक 41, भगवद्गीता)

"भगवान् कृष्ण कहते हैं कि मैंने मनुष्यों को उनके स्वभाव और विशेषताओं के अनुसार 4 वर्णों में वर्गीकृत किया है।"

इस प्रकार गीता केवल वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती है जो वर्तमान समय की जाति व्यवस्था से भिन्न है। यह समाज की एक

संतुलित संरचना बनाने और हर व्यक्ति में से सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाने के लिए एक व्यक्ति की क्षमताओं, गुणों और चेतना पर जोर देती है। चार वर्ण (व्यावसायिक श्रेणियाँ) हैं: -

भगवद्गीता बाद के श्लोकों में प्रत्येक वर्ण के अंतर्निहित गुणों का वर्णन करती है। व्यावसायिक श्रेणियों को दर्शाने वाली वर्ण व्यवस्था को एक व्यक्ति के भौतिक शरीर से भी समझाया जा सकता है जिसमें एक व्यक्ति का सिर जो बौद्धिक कार्य करता है उसे 'ब्राह्मण' कहा जाता है। हाथ जो उसकी और उसके परिवार की रक्षा करते हैं वे 'क्षत्रिय' का काम करते हैं। पैर जिसे भोजन को ऊर्जा में बदलने की आवश्यकता होती है वह 'वैश्य' को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से किसान और व्यापारी हैं जो आजीविका कमाने के लिए निवेश करते हैं। निचले अंग (पैर) सभी प्रकार के श्रम कार्य करते हैं और उन्हें 'शूद्र' कहा जाता है।

1. स्कंद पुराण में भी एक श्लोक है:

जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते
जिसका अर्थ है कि हर कोई शूद्र के रूप में पैदा होता है यानी काम करने के लिए और धीरे-धीरे उनमें से प्रत्येक अपनी प्रतिभा, गुण, चरित्र और स्वभाव के बल पर वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के उच्च पद पर खुद को ऊपर उठाता है।

2. इसका अर्थ है कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्तव्यों को उनके गुणों और स्वभाव के अनुसार (और जन्म से नहीं) वितरित किया गया था। सभी लोगों का स्वभाव और विशेषताएं अलग-अलग होती हैं। उनका व्यक्तित्व उनके गुणों के अनुसार आकार लेता है। इस प्रकार, विभिन्न व्यावसायिक कर्तव्य अलग-अलग स्वभाव और चरित्र के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होते हैं। चूँकि समाज का केंद्र परमात्मा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति (आत्मा) स्वयं को और समाज को बनाए रखने के लिए अपने अंतर्निहित गुणों के अनुसार कार्य करता है।

(20स्कंद पुराण खंड 18 पुस्तक VI, नागर खंड, अध्याय 239, श्लोक 31-34. 41)

1. वर्ण व्यवस्था के अनुसार किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह उपदेश दिया जाता है कि हर कोई उस सर्वशक्तिमान का समान अंश और अभिन्न अंग है। गीता कहीं भी यह उपदेश नहीं देती है कि उपरोक्त वर्ण जन्म के आधार पर हैं और बदले जाने योग्य नहीं हैं। हालांकि, समय बीतने के साथ, वर्ण व्यवस्था का पतन होता गया और लोगों ने किसी व्यक्ति की प्रकृति और विशेषताओं को नजरअंदाज करते हुए, जन्म के आधार पर इन वर्णों को चिन्हित करना शुरू कर दिया, जो कि ठीक इसके विपरीत है जो गीता में उपदेश दिया गया है। वर्णों को बहुत शिथिल तरीके से जातियों का नाम दे दिया गया।

2. बाद में, ब्राह्मणों के बच्चों ने खुद को ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया, भले ही उनमें संबंधित गुण हों या न हों। इसी तरह, अन्य वर्णों के बच्चों ने भी अपनी प्रकृति, प्रतिभा और गुणों को नजरअंदाज करते हुए अपने पिता के वर्ण को अपना लिया। जब यह व्यवस्था कठोर और जन्म आधारित हो गई, तो यह बेकार हो गई।

3. संक्षेप में, यहाँ यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि गीता के अनुसार कोई जाति व्यवस्था नहीं है, और उसमें उल्लिखित वर्ण व्यवस्था (वर्गीकरण) पूरी तरह से अलग है, जो व्यक्ति की प्रकृति और गुणों पर आधारित है। इस प्रकार, प्राचीन भारत में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था के रूप में गलत तरीके से समझना एक सामाजिक विकृति थी जो समय के साथ समाज में आ गई और इसे कभी भी सही नहीं माना गया, क्योंकि इसने समाज को विभाजित किया और भेदभाव तथा असमानता को जन्म दिया।

1. तथाकथित जाति व्यवस्था या छुआछूत आदि की समस्या द्वारा पैदा की गई सामाजिक समस्याओं को व्यापक रूप से भारतीय समाज में प्रचलित कुप्रथाएं माना जाता था। इस प्रकार, सामाजिक सुधारकों ने हमेशा ऐसी कुप्रथाओं को छोड़ने का प्रचार किया।

2. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 'अछूतों' सहित तथाकथित शोषित वर्गों के उत्थान के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने अछूतों को 'भगवान के लोग' - 'हरिजन' के रूप में वर्णित किया। स्वतंत्रता के बाद संविधान को अपनाने के साथ, हमने एकीकृत जातिविहीन समाज की ओर बढ़ने का फैसला किया और अनुच्छेद 17 के अन्तर्गत किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने की परिकल्पना की और अस्पृश्यता को 'एक दंडनीय अपराध' बनाने का विचार किया। जातिविहीन समाज के उद्देश्य और समानता के सिद्धांत के उपरांत भी; मूल संविधान ने अनुच्छेद 15 (3) द्वारा राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध के बावजूद महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया। इसी तरह, अनुच्छेद 16 (4) ने राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया। यह सामाजिक समरसता और न्याय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

1. संविधान ने इसके साथ ही अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को कुछ जातियों, मूलवंशों या जनजातियों या ऐसी जातियों, मूलवंशों और जनजातियों के हिस्से को अनुसूचित जाति माने जाने के लिए अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की। वास्तव में, संविधान अन्यथा उपरोक्त मानने वाले प्रावधान के अलावा किसी भी जाति को मान्यता नहीं देता है। देश इस प्रकार केवल संविधान के प्रयोजनों के लिए उपरोक्त विधिक परिकल्पना को छोड़कर एक जातिविहीन समाज की ओर अग्रसर हो चुका था और अन्यथा नहीं।

2. दूसरे शब्दों में, संक्षेप में कहें तो आदिम भारत में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। धीरे-धीरे प्रचलित वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था समझ लिया गया, जो प्रथा सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं पाई गई और इस तरह स्वतंत्रता के बाद संविधान को अपनाने के साथ हमने फिर से एक जातिविहीन समाज में जाने का प्रयास किया, लेकिन शोषित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सामाजिक कल्याण के नाम पर, हम फिर से जाति व्यवस्था के जाल में फंसे गए। हमने समानता लाने के लिए शोषित या पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति को आरक्षण का विशेषाधिकार दिया।

71. यह सर्वमान्य धारणा है कि किसी भी वर्ग को खुश करने के लिए एक बार जो स्वीकार कर लिया जाता है उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। संविधान के अन्तर्गत व्यक्तियों की आरक्षित श्रेणी के लिए विस्तारित लाभ भी ऐसे ही हैं। एक बार की गई प्रत्येक रियायत, बस एक किशमिश/गुब्बारे की तरह फूलती जाती है। आरक्षण की नीति के साथ भी वास्तव में ऐसा ही हुआ।"

एक अन्य निर्णय, अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ, रिट याचिका (सिविल) संख्या 190 वर्ष 2023 में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2023 को पारित किया गया था, जिसमें माननीय न्यायमूर्तिगण ने धार्मिक पुस्तकों की विभिन्न शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता की अवधारणा को विस्तृत किया है और इसी प्रकार भारत के संविधान तथा देश के मौजूदा कानून की विवेचना की है, उक्त निर्णय का उद्धरण नीचे दिया जा रहा है:-

4. याचिकाकर्ता, वास्तव में, हमारा ध्यान कानून के निम्नलिखित प्रश्नों की ओर आकर्षित करता है:

1. क्या बर्बर आक्रमणकारियों के नामों पर प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के नाम जारी रखना संप्रभुता के विरुद्ध है?

2. क्या केंद्र और राज्य संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत गारंटीकृत गरिमा के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के नामों को उनके मूल नामों में बहाल करने के लिए बाध्य हैं?

3. क्या विदेशी शासन के दौरान बदले गए प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के नामों की बहाली के लिए दावा की गई राहत, राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित है, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्राप्त किया जाने वाला प्रशंसनीय उद्देश्य है?
4. क्या धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार, धार्मिक स्थलों के नामों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और इसलिए नागरिकों को अनुच्छेद 25 के अन्तर्गत गारंटीकृत धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने में सक्षम बनाने के लिए विदेशी शासन के दौरान किए गए परिवर्तनों को बहाल किया जाना चाहिए?
5. क्या रामायण और महाभारत काल के दौरान प्रचलित स्थानों के नाम विदेशी शासन के दौरान मनमाने ढंग से और अवैध रूप से बदले गए थे, उन्हें बहाल किया जाना चाहिए ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के अन्तर्गत गारंटीकृत प्राचीन संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार की रक्षा की जा सके?
6. क्या प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के नामों की बहाली, अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत गारंटीकृत पहचान के अधिकार से जुड़ी है?"

निष्कर्ष

धर्म और विधि के शासन को संविधान के बुनियादी ढांचे के रूप में एक ही पटल पर एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से जोड़ा जा सकता है और इसी तरह भगवद्गीता का मुख्य सिद्धांत, जो कर्म यानी मौलिक कर्तव्यों पर काम करता है, फिर दिए गए नियमों के अन्तर्गत ऐसे कर्तव्य को करने के लिए प्रदान की गई स्वतंत्रता और नीति निर्देशक सिद्धांत जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए मनमाने नहीं होने चाहिए, और ऐसी मनमानी की जांच के लिए ही न्यायिक प्रणाली की स्थापना की गई है। यह सुनिश्चित अधिकारों और सौंपे गए कर्तव्यों के बीच एक-दूसरे के पूरक होने वाले सभी कार्यों को संतुलित करने के बारे में है।

“समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः।
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ 29 ॥”

"जहाँ यह समझाया गया है कि न तो कोई पक्षपात की भावना है और न ही वह किसी विशेष के प्रति ईर्ष्यालु हैं और सर्वोपरि के अधीन एक पैमाने पर हर कोई समान है।"

इसी तरह माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने भी जमीयत उलमा-ए-हिंद गुजरात और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू. पी.पी.आई.एल. संख्या 54/2022, दिनांक 21.11.2024 के मामले में भगवद्गीता और भारत के संविधान के साथ समानता रखते हुए यह विचार दिया है कि भगवद्गीता की शिक्षाएं कोई धार्मिक शिक्षा नहीं बल्कि नैतिकता और आचार-विचार की शिक्षाएं हैं।

इसलिए, इस अत्यंत निष्पक्ष और पूर्वाग्रहमुक्त विचार के साथ हम अपने दैनिक जीवन में भगवद्गीता के सिद्धांत और दर्शन को समाहित कर सकते हैं, जो एक ऐसा आवश्यक पहलू है जिससे हमारे दिन-प्रतिदिन के मामलों की दिनचर्या प्रभावित होती है। यह हमें केवल सत्य के प्रति समर्पित होने का मार्ग दिखाता है, जो हमारे रास्तों को सभी बाधाओं से मुक्त कर देगा।

भारत में सुधारात्मक एवं पुनर्स्थापनात्मक आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में: दण्ड के वैकल्पिक उपाय के रूप में सामुदायिक सेवा

आमिर सुहैल, सिविल जज (सीनियर डिवीजन),
उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा

"प्रत्येक संत का एक अतीत होता है, और प्रत्येक पापी का एक भविष्य होता है।"

— न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर

परिचय: सामुदायिक सेवा का सुधारात्मक आयाम

हाल ही में अभिनेता आमिर खान अभिनीत फिल्म "सितारे ज़मीन पर" देशभर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। फिल्म की कथा एक बास्केटबॉल प्रशिक्षक के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे मद्यपान की अवस्था में वाहन चलाने तथा पुलिस के वाहन से टक्कर मारने के अपराध में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, न्यायालय उसके विरुद्ध पारंपरिक कारावास दण्ड आरोपित करने के स्थान पर उसे सामुदायिक सेवा करने का निर्देश देता है। न्यायालय के आदेशानुसार उसे अपनी प्रशिक्षण संबंधी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए डाउन सिंड्रोम से प्रभावित न्यूरोडाइवर्जेंट वयस्कों को बास्केटबॉल का प्रशिक्षण प्रदान करना होता है। प्रारम्भ में वह इस न्यायिक आदेश को दण्ड एवं एक अवांछित दायित्व के रूप में देखता है, किन्तु समय के साथ अपनी टीम के साथ सार्थक सहभागिता एवं निरन्तर संवाद के माध्यम से उसके दृष्टिकोण में नैतिक परिवर्तन, संवेदनशीलता तथा सहानुभूति का विकास होता है। यद्यपि यह फिल्म वुडी हैटेलसन चैम्पियन्स अभिनीत फिल्म से प्रेरित है, तथापि इसका भारतीय रूपांतरण सहानुभूति, समावेशन तथा पुनर्वास के मूल्यों को भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है, जिसके कारण यह भारतीय दर्शकों के साथ गहन स्तर पर सामंजस्य स्थापित करती है।

पूर्ववर्ती सिनेमाई उदाहरण के रूप में वर्ष 2002 में प्रदर्शित फिल्म शरारत का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें अभिनेता अभिषेक बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म में एक शरारती युवक को सार्वजनिक उपद्रव कारित करने के दण्डस्वरूप न्यायालय द्वारा एक वृद्धाश्रम में कार्य करने का आदेश दिया जाता है। इस अनुभव के माध्यम से वह आत्मचिन्तन, नैतिक आत्ममूल्यांकन तथा सुधार प्रक्रिया से होकर गुजरता है।

दोनों कथानक अपराधशास्त्र के एक मूलभूत सिद्धान्त को रेखांकित करते हैं कि सामाजिक सहभागिता के माध्यम से किया गया पुनर्वास, दण्डात्मक पृथक्करण की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावी एवं सकारात्मक परिणाम प्रदान करता है। ये दोनों कथानक इस विकसित होती न्यायशास्त्रीय मान्यता को भी प्रतिबिंबित करते हैं कि सामुदायिक सेवा न केवल अपराधी के पुनर्वास में सहायक होती है, बल्कि सम्पूर्ण समुदाय के हित एवं कल्याण को भी प्रोत्साहित करती है।

भारत में दण्डात्मक अवधारणा के रूप में सामुदायिक सेवा का ऐतिहासिक विकास

सामुदायिक सेवा को भारत की दण्ड नीति में सम्मिलित करने का विचार इसके वैधानिक समावेशन से पूर्व का है। भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1978 में सामुदायिक सेवा को वैकल्पिक दण्ड के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान करने हेतु धारा 74A को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया था। यद्यपि यह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था, तथापि वर्ष 1979 में

लोकसभा के विघटन के साथ यह व्यपगत हो गया।

तत्पश्चात्, भारत के विधि आयोग ने अपनी 156वीं रिपोर्ट में सामुदायिक सेवा को दण्ड के एक वैकल्पिक उपाय के रूप में लागू किए जाने की अवधारणा पर पुनर्विचार किया। सुधारात्मक न्याय को प्रोत्साहित करने की इसकी संभावनाओं को स्वीकार करते हुए, आयोग ने इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन के संबंध में कुछ आशंकाएँ व्यक्त कीं, विशेष रूप से ऐसी सेवा करने वाले अपराधियों के निरन्तर पर्यवेक्षण तथा प्रशासनिक निगरानी की आवश्यकता के संदर्भ में।¹²

वर्ष 2003 में दण्ड न्याय प्रणाली में सुधार हेतु गठित समिति, जिसकी अध्यक्षता डॉ. न्यायमूर्ति वी. एस. मल्लिथ (जिसे सामान्यतः मल्लिथ समिति के नाम से जाना जाता है) द्वारा की गई थी, ने भी इस विचार का समर्थन किया। समिति ने भारतीय दण्ड व्यवस्था के अंतर्गत सामुदायिक सेवा को कारावासीय दण्ड के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में सम्मिलित करने की अनुशंसा की। समिति ने इस बात पर बल दिया कि ऐसे उपाय अपराधियों के पुनर्वास को सुगम बना सकते हैं, कारागारों में भीड़भाड़ को कम कर सकते हैं तथा पुनर्स्थापनात्मक न्याय के सिद्धांतों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधिनियमन से पूर्व, भारत में सामुदायिक सेवा को स्पष्ट रूप से मान्यता प्रदान करने वाला एकमात्र वैधानिक प्रावधान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 18(1)(c) थी। यह प्रावधान किशोर न्याय बोर्ड को बाल अपराधियों के लिए सुधारात्मक उपाय के रूप में सामुदायिक सेवा अधिरोपित करने का अधिकार प्रदान करता था, जो किशोर न्याय व्यवस्था में अधिक मानवीय एवं सुधारात्मक दृष्टिकोण की ओर परिवर्तन को प्रतिबिंबित करता है।

“सामुदायिक सेवा” की विधिक प्रकृति एवं स्वरूप को समझना

सार्थक चर्चा के लिए “सामुदायिक सेवा” की स्पष्ट एवं सुस्पष्ट समझ आवश्यक है। अधिकांश विकसित समाजों में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा को नागरिक सङ्गण के रूप में मान्यता प्राप्त है। तथापि, जब किसी अपराधी के लिए यह कार्य न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से निर्धारित किया जाता है, तब इस अवधारणा के स्वरूप में मौलिक परिवर्तन आ जाता है। इस संदर्भ में इसे दण्डात्मक प्रतिबंध के एक स्वरूप अथवा पारंपरिक दण्ड के प्रत्यक्ष विकल्प के रूप में उचित रूप से देखा जाता है। न्यायालय द्वारा आदेशित सामुदायिक सेवा स्वभावतः स्वैच्छिक नहीं होती, बल्कि यह समुदाय अथवा समाज के लाभ के लिए निर्धारित श्रम करने संबंधी एक सीमित एवं विधिक दायित्व का गठन करती है। इस दायित्व का अनुपालन न करने पर विधिक प्रतिबंध अधिरोपित किए जाते हैं, जो सामान्यतः शारीरिक दण्ड अथवा आर्थिक दण्ड के रूप में प्रकट होते हैं।

भारतीय न्याय संहिता के पूर्व सामुदायिक सेवा की न्यायिक मान्यता एवं अनुप्रयोग

भारतीय सुधारात्मक संस्थानों की स्थिति एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार (31 दिसम्बर, 2023 तक), देश की कारागारों में कुल 5,30,333 बंदी निरुद्ध थे, जिनमें से उल्लेखनीय रूप से 73.5% बंदी विचाराधीन कैदी के रूप में वर्गीकृत थे, जबकि दोषसिद्ध कैदियों का प्रतिशत 25.6% था। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में विचाराधीन कैदियों की संख्या सर्वाधिक पाई गई। सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की कारागार अधिभोग दर सर्वाधिक थी, जो चिंताजनक रूप से 200% तक पहुँच गई थी। यह स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर 120.8% की अत्यधिक उच्च अधिभोग दर से और अधिक गंभीर हो गई है, जो संस्थागत स्तर पर अत्यधिक भीड़भाड़ को दर्शाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकारों के समग्र ढाँचे के अंतर्गत कारागार प्रणाली में सुधार एवं कारागारों की भीड़ को कम करने की आवश्यकता का निरन्तर समर्थन करता रहा है।

यह न्यायिक चिंता सुधारात्मक न्याय की ओर विकसित हो रहे दार्शनिक परिवर्तन को प्रतिबिंबित करती है। नरोटम सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि आपराधिक विधि का प्राथमिक उद्देश्य दंड के प्रति “सुधारात्मक दृष्टिकोण” होना चाहिए, जिससे अपराधी का पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही सामुदायिक चेतना से समझौता किए बिना सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। इसके अतिरिक्त, बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में न्यायालय ने इस बात

पर बल दिया कि न्याय को पुनर्स्थापनात्मक उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे कि सामुदायिक सेवा एवं व्यक्तिगत विकास, जिसका उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सुधारात्मक प्रक्रिया के माध्यम से अपराधी में परिवर्तन लाना होना चाहिए।

नए आपराधिक कानूनों के अधिनियमन से पूर्व, सामुदायिक सेवा की अवधारणा सामान्यतः भारतीय पारंपरिक आपराधिक न्याय प्रणाली का अभिन्न भाग नहीं थी। तथापि, उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अपने विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए राहत प्रदान करने की शर्त के रूप में सामुदायिक सेवा को निर्धारित किया जाता रहा है, उदाहरणार्थ आरोप-पत्रों को निरस्त करते समय अथवा जमानत प्रदान करते समय। ऐसे कुछ न्यायिक उदाहरण निम्नलिखित हैं—

सर्वोच्च न्यायालय ने सोलेमन एस.के. बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 709/2019, आदेश दिनांक 12.07.2019] के मामले में ऐसे दोषसिद्ध व्यक्ति की रिहाई का आदेश दिया, जिसके संबंध में बाद में यह पाया गया कि अपराध के समय वह किशोर था। प्रकरण को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष संदर्भित करने के स्थान पर, न्यायालय ने उसे सामुदायिक सेवा के स्वरूप में एक वर्ष के भीतर 100 वृक्ष लगाने का निर्देश दिया।

विशाल अवतानी बनाम गुजरात राज्य [डब्ल्यू.पी. (आपराधिक) संख्या 116/2022] के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि वह ऐसी नीति बनाए, जिसके अंतर्गत कोविड-19 महामारी के दौरान बिना मास्क पहने पकड़े गए सभी व्यक्तियों के लिए नामित कोविड-19 देखभाल केंद्रों पर अनिवार्य सामुदायिक सेवा करना आवश्यक हो।

इसी प्रकार, मोहम्मद उमैर @ उमेर बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) एवं अन्य [आपराधिक विविध याचिका संख्या 674/2021, निर्णय दिनांक 21.03.2021] के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 वर्षीय आरोपी को गुरुद्वारा बंगला साहिब में एक माह तक सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया, जबकि पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर लेने के आधार पर प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) को निरस्त कर दिया गया।

मनोज कुमार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) एवं अन्य [डब्ल्यू.पी. (आपराधिक) संख्या 116/2022] के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे आरोपी को, जिसने एक महिला को जबर्न चूमा था और इस प्रकार उसकी मर्यादा का उल्लंघन किया था, प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार, नरेंद्र उपाध्याय बनाम नरेंद्र सिंह एवं अन्य [विविध आपराधिक प्रकरण संख्या 43706/2023] के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने वर्ष 2013 में दायर आपराधिक प्रकरण को पुनर्स्थापित करते हुए, लापरवाही करने वाले अधिवक्ता को मर्सी होम में प्रतिदिन एक घंटे की सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि वादकारियों को उनके अधिवक्ताओं की त्रुटियों अथवा चूकों के कारण कष्ट नहीं उठाना चाहिए।

डॉ. एकता सिंह [आपराधिक अवमानना याचिका संख्या 8/2023; 2023 लाइव लॉ (कर्नाटक) 378] के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उस चिकित्सक के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही समाप्त कर दी, जिसने बिना किसी शर्त के क्षमा याचना प्रस्तुत की थी तथा बेंगलुरु स्थित एक सरकारी अस्पताल में प्रत्येक माह एक दिन सामुदायिक सेवा करने की स्वेच्छा व्यक्त की थी।

इसी प्रकार, एस.बी. बनाम मध्य प्रदेश राज्य [विविध आपराधिक प्रकरण संख्या 48759/2023; 2024 लाइव लॉ (मध्य प्रदेश) 29] के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रैगिंग से संबंधित प्रकरण का समझौता कर दिया, जब वरिष्ठ छात्र ने अपने आचरण के लिए पश्चाताप व्यक्त किया। न्यायालय ने उसे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सात दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया।

पुणे में हाल ही में मीडिया में प्रकाशित एक प्रकरण, जिसे सामान्यतः पुणे पोर्शे प्रकरण के नाम से जाना जाता है, में एक नाबालिग द्वारा पोर्शे कार चलाते हुए एक घातक दुर्घटना कारित की गई, जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। किशोर न्याय बोर्ड ने प्रारंभ में उसे 15 दिनों की सामुदायिक सेवा का दंड दिया, जिसके अंतर्गत उसे यातायात पुलिस की सहायता करने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर एक निबंध लिखने का निर्देश दिया गया था। उक्त निर्णय को अत्यधिक उदार (अत्यंत नरम) होने के कारण व्यापक जन आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके पश्चात किशोर न्याय बोर्ड ने उसके जमानत आदेश को निरस्त कर दिया।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत सामुदायिक सेवा का वैधानिक समावेशन

"सामुदायिक सेवा" शब्द को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, की धारा 23 के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है। उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार—

"सामुदायिक सेवा" से तात्पर्य उस कार्य से है, जिसे न्यायालय किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को दण्ड के रूप में करने का आदेश दे सकता है, जो समुदाय के हित में लाभकारी हो, जिसके लिए वह किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।"

निरसित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 53 के समतुल्य (भारतीय न्याय संहिता), की धारा 4 में पहली बार सामुदायिक सेवा को दण्ड के एक स्वरूप के रूप में सम्मिलित किया गया है। सामुदायिक सेवा का आशय न्यायालय के आदेश द्वारा अभियुक्त से समुदाय तथा समाज के किसी वर्ग के कल्याण के लिए बिना किसी पारिश्रमिक के अनिवार्य एवं गरिमापूर्ण सेवा कराए जाने से है। सामुदायिक सेवा का व्यापक उद्देश्य अपराधियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना तथा उन्हें समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने हेतु प्रेरित करना है।

भारतीय न्याय संहिता, की धारा 4(च) के अंतर्गत "सामुदायिक सेवा" को मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास, कारावास—कठोर अथवा साधारण, संपत्ति के समपहरण तथा जुमनि के साथ एक पृथक दण्ड के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह निम्नलिखित छह विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में अधिरोपित की जा सकती है—

- (i) धारा 202, भारतीय न्याय संहिता – लोक सेवक द्वारा विधि के प्रतिकूल व्यापार में संलग्न होना;
- (ii) धारा 209, भारतीय न्याय संहिता – भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अधीन जारी उद्घोषणा के प्रत्युत्तर में न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होना;
- (iii) धारा 226, भारतीय न्याय संहिता – विधिसम्मत शक्ति के प्रयोग को विवश करने अथवा उसके प्रयोग को अवरुद्ध करने के उद्देश्य से आत्महत्या का प्रयास करना;
- (iv) धारा 303(2), भारतीय न्याय संहिता – जहाँ चोरी की गई संपत्ति का मूल्य ₹5,000 से कम हो तथा व्यक्ति प्रथम बार दोषसिद्ध हुआ हो और वह संपत्ति अथवा उसके मूल्य को वापस कर दे अथवा पुनर्स्थापित कर दे;
- (v) धारा 355, भारतीय न्याय संहिता – मद्यपान की अवस्था में किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुराचार करना;
- (vi) धारा 356(2), भारतीय न्याय संहिता – मानहानि।

यह उल्लेखनीय है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 202, 209, 226, 355 तथा 356(2) के अंतर्गत वर्णित अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा एक वैकल्पिक दण्ड है, जैसा कि इन उपबंधों में प्रयुक्त "या" शब्द से स्पष्ट होता है। विशेष रूप से, भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के अंतर्गत सामुदायिक सेवा केवल चोरी के अपराध के लिए एक वैकल्पिक दण्ड नहीं है, बल्कि यह ऐसा एकमात्र अनिवार्य दण्ड है, जिसे इस विशिष्ट अपराध के संबंध में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया जाना आवश्यक है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 के अंतर्गत सामुदायिक सेवा के पालन में व्यतिक्रम के विधिक परिणाम : धारा 8 में विद्यमान अस्पष्टताएँ

अब यह महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि कोई दोषसिद्ध व्यक्ति न्यायालय द्वारा निर्देशित सामुदायिक सेवा का पालन करने में विफल रहता है अथवा उसका केवल आंशिक या असंतोषजनक रूप से पालन करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय किए जाने चाहिए। भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 सामुदायिक सेवा के पालन में व्यतिक्रम की स्थिति में दोषसिद्ध व्यक्ति के दायित्व से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध करती है। उक्त धारा निम्नवत् पुनरुत्पादित की जाती है—

धारा 8. जुर्माने की राशि, जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में दायित्व आदि—

(4) न्यायालय द्वारा जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम अथवा सामुदायिक सेवा के पालन में व्यतिक्रम की स्थिति में अधिरोपित किया जाने वाला कारावास किसी भी ऐसे प्रकार का हो सकता है, जिसके लिए अपराधी को उस अपराध के संबंध में दण्डित किया जा सकता था।

(5) यदि कोई अपराध जुर्माने अथवा सामुदायिक सेवा से दण्डनीय है, तो जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम अथवा सामुदायिक सेवा के पालन में व्यतिक्रम की स्थिति में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया जाने वाला कारावास साधारण कारावास होगा, तथा जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम अथवा सामुदायिक सेवा के पालन में व्यतिक्रम के कारण न्यायालय द्वारा अपराधी के लिए निर्देशित कारावास की अवधि निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी—

- (क) दो माह, जब जुर्माने की राशि पाँच हजार रुपये से अधिक न हो;
- (ख) चार माह, जब जुर्माने की राशि दस हजार रुपये से अधिक न हो; तथा
- (ग) किसी अन्य स्थिति में एक वर्ष।

उपरोक्त उपबंध "सामुदायिक सेवा" के संबंध में अस्पष्ट प्रतीत होता है। यह सामुदायिक सेवा के पालन में व्यतिक्रम की स्थिति से संबंधित धारा 8 के प्रारूपण में विद्यमान अस्पष्टताओं अथवा विधिक रिक्तताओं को इंगित करता है। यद्यपि धारा 8(4) में सामुदायिक सेवा के पालन में व्यतिक्रम का उल्लेख किया गया है, तथापि इसमें प्रत्येक परिस्थिति में जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम के संबंध में निर्धारित कारावास की अवधि के समान सामुदायिक सेवा के व्यतिक्रम की स्थिति में कारावास की अवधि को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में जुर्माने के भुगतान के पश्चात कारावास की समाप्ति से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है, किंतु यह स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है कि यदि सामुदायिक सेवा के पालन में व्यतिक्रम के कारण कारावास अधिरोपित किया जाता है और बाद में सामुदायिक सेवा पूर्ण कर दी जाती है अथवा उस व्यतिक्रम का अन्य किसी प्रकार से निवारण कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कारावास किस प्रकार समाप्त होगा। इस बिंदु पर विधायी अथवा न्यायिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

विद्यमान अस्पष्टता को दूर करने के लिए किसी स्पष्टीकरणात्मक विधायी संशोधन अथवा निणायक न्यायिक घोषणा के अभाव में, प्रचलित विधिक दृष्टिकोण दृढ़तापूर्वक यह प्रतिपादित करता है कि दण्डादेश पारित करने वाले न्यायालय को दोषसिद्धि के मूल आदेश में ही पूर्ण रूप से और स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि सामुदायिक सेवा के पालन में व्यतिक्रम होने की स्थिति में वैकल्पिक रूप से कौन-सी कारावास की अवधि अधिरोपित की जाएगी

सामुदायिक सेवा की प्रयोज्यता एवं क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता

यद्यपि विधायिका ने औपचारिक रूप से कारावास के विकल्प के रूप में सामुदायिक सेवा की अवधारणा को प्रस्तुत किया है, तथापि इसकी व्यावहारिक प्रयोज्यता अभी भी अत्यंत सीमित है। वास्तविकता में, विचारण न्यायालयों अथवा मजिस्ट्रेट न्यायालयों के समक्ष ऐसे प्रकरण अत्यंत कम आते हैं, जिनमें सामुदायिक सेवा का दण्ड अधिरोपित किया जा सके—जो सामान्यतः उन चोरी के

मामलों तक सीमित है, जिनमें चोरी की गई संपत्ति का मूल्य ₹5,000 से कम होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे मामले भी लगातार कम होते जा रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः चोरी की गई संपत्ति का मूल्य इस निर्धारित सीमा से अधिक होता है।

सामुदायिक सेवा के मूल दर्शन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए, इसके क्षेत्र का विस्तार किया जाना आवश्यक है। इसे उपयुक्त रूप से ऐसे अपराधों तक विस्तारित किया जा सकता है, जिनके लिए अधिकतम दो वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है, अथवा जिनमें विधि द्वारा जुर्माने के वैकल्पिक दण्ड का प्रावधान किया गया है। कुछ ऐसे अपराध, जिनमें अधिकतम दण्ड सात वर्ष तक का है—बशर्ते वे गंभीर प्रकृति के न हों—पर भी सामुदायिक सेवा के दण्ड पर विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों की श्रेणियों में प्रथम बार अपराध करने वाले व्यक्तियों, 21 वर्ष से कम आयु के युवाओं, वृद्ध व्यक्तियों, अशक्त व्यक्तियों तथा महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। तथापि, ऐसे दण्डादेश के लिए उपयुक्त विशिष्ट अपराधों की एक पूर्ण एवं विस्तृत सूची तैयार करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो सकता।

दण्ड के एक स्वरूप के रूप में सामुदायिक सेवा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न राज्यों द्वारा अधिसूचित दिशानिर्देश

वर्तमान समय तक महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, हरियाणा तथा हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दण्ड के रूप में सामुदायिक सेवा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विधायी ढाँचे के स्वरूप में दिशानिर्देश निर्धारित करने वाली अधिसूचनाएँ प्रकाशित की जा चुकी हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा बिहार राज्यों द्वारा भी हाल ही में इसी प्रकार की अधिसूचनाएँ जारी की गई हैं। इन दिशानिर्देशों में सेवा के स्वरूप एवं प्रकार, उसकी अवधि, कार्यस्थल तथा पर्यवेक्षण करने वाले प्राधिकारी से संबंधित नियम निर्धारित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों की प्रकृति व्यापक रूप से समान है। इनमें सार्वजनिक स्थलों जैसे सरकारी पुस्तकालयों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक उद्यानों, वृद्धाश्रमों, चिड़ियाघरों, संग्रहालयों अथवा किसी अन्य ऐसे स्थान, जिसे न्यायालय किसी विशेष मामले में उपयुक्त समझे, पर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रावधान किया गया है। इन कार्यों में सफाई, रखरखाव, यातायात नियंत्रण, पुस्तकों की व्यवस्था करना, वृक्षारोपण आदि सम्मिलित हैं। दिशानिर्देशों में प्रदान की गई सामुदायिक सेवा गतिविधियों की सूची संपूर्ण नहीं है। सामान्यतः सामुदायिक सेवा की अवधि एक दिन से इकतीस दिन तक अथवा 40 घंटे से 240 घंटे तक निर्धारित की गई है। अन्य राज्य भी निकट भविष्य में इसी प्रकार के आवश्यक दिशानिर्देश तैयार करने के इच्छुक हैं।

सामुदायिक सेवा के प्रकार, निर्धारित किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति, अवधि, कार्यस्थल तथा पर्यवेक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इसकी निगरानी को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2026 को अधिसूचित सामुदायिक सेवा दिशानिर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है, जो इस विषय पर नवीनतम विकास है। उक्त दिशानिर्देशों में निम्नलिखित सारणीबद्ध प्रारूप में विवरण प्रदान किया गया है—

क्रमांक	सामुदायिक सेवाएँ	सेवा का स्थान/ कार्यालय	प्राधिकृत अधिकारी	निगरानी प्राधिकारी	सामुदायिक सेवा की अवधि
1	वाडों एवं संबंधित क्षेत्रों की सफाई/ रखरखाव	सरकारी अस्पताल/ सरकारी औषधालय	आर.एम.ओ./ अधिष्ठाता अथवा नामित अधिकारी	जिला परिवीक्षा अधिकारी अथवा इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या नामित कोई अन्य अधिकारी	एक दिन से इकतीस दिन तक अथवा चालीस घंटे से दो सौ चालीस घंटे तक
2	आकस्मिक विभाग/बाह्य रोगी विभाग प्रबंधन	सरकारी अस्पताल	आर.एम.ओ./ अधिष्ठाता अथवा नामित अधिकारी	वही पूर्ववत	वही पूर्ववत
3	ट्रॉली/स्थानांतरण सहायता	सरकारी अस्पताल	आर.एम.ओ./ अधिष्ठाता अथवा नामित अधिकारी	वही पूर्ववत	वही पूर्ववत
4	आर.एम.ओ./ अधिष्ठाता द्वारा चिन्हित कोई अन्य कर्तव्य, जिसके लिए विशेष/ चिकित्सकीय ज्ञान की आवश्यकता हो	सरकारी अस्पताल	आर.एम.ओ./ अधिष्ठाता अथवा नामित अधिकारी	वही पूर्ववत	वही पूर्ववत
5	अध्ययन क्षेत्र, भंडार क्षेत्र एवं संबंधित क्षेत्रों की सफाई/रखरखाव	जिला/तालुका कार्यालय/ विधिक सहायता क्लिनिक/कोई भी सरकारी पुस्तकालय	सचिव, डी.एल. एस.ए./	वही पूर्ववत	वही पूर्ववत

6	पुस्तकों की व्यवस्था करना/ पुस्तकों की सूची तैयार करना अथवा जिल्दसाजी में कोई लिपिकीय सहायता	डी.एल.एस.ए. कार्यालय/जिला/ तहसील/उप-मंडल कार्यालय/ कोई भी सरकारी पुस्तकालय	सचिव, डी.एल. एस.ए./	वही पूर्ववत	वही पूर्ववत
7	कक्षाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, मैदानों एवं संबंधित क्षेत्रों की सफाई	सरकारी शैक्षणिक संस्थान	प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य अथवा नामित अधिकारी	वही पूर्ववत	वही पूर्ववत
8	नगरपालिका/ निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई/ रखरखाव	निगम/ नगरपालिका/ पंचायत	संबंधित आयुक्त/ बीडीओ अथवा नामित अधिकारी	वही पूर्ववत	वही पूर्ववत
9	सड़क किनारे से खरपतवार हटाना	निगम/ नगरपालिका/ पंचायत	संबंधित आयुक्त/ बीडीओ अथवा नामित अधिकारी	वही पूर्ववत	वही पूर्ववत
10	किसी भी सार्वजनिक भवन की सफाई अथवा रखरखाव	सार्वजनिक कार्यालय	संबंधित अधिकारी	वही पूर्ववत	वही पूर्ववत
11	यातायात नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण, परिसर/ थाना सफाई, सामान्य क्षेत्रों का रखरखाव	पुलिस थाना	थाना प्रभारी/ नामित अधिकारी	वही पूर्ववत	वही पूर्ववत

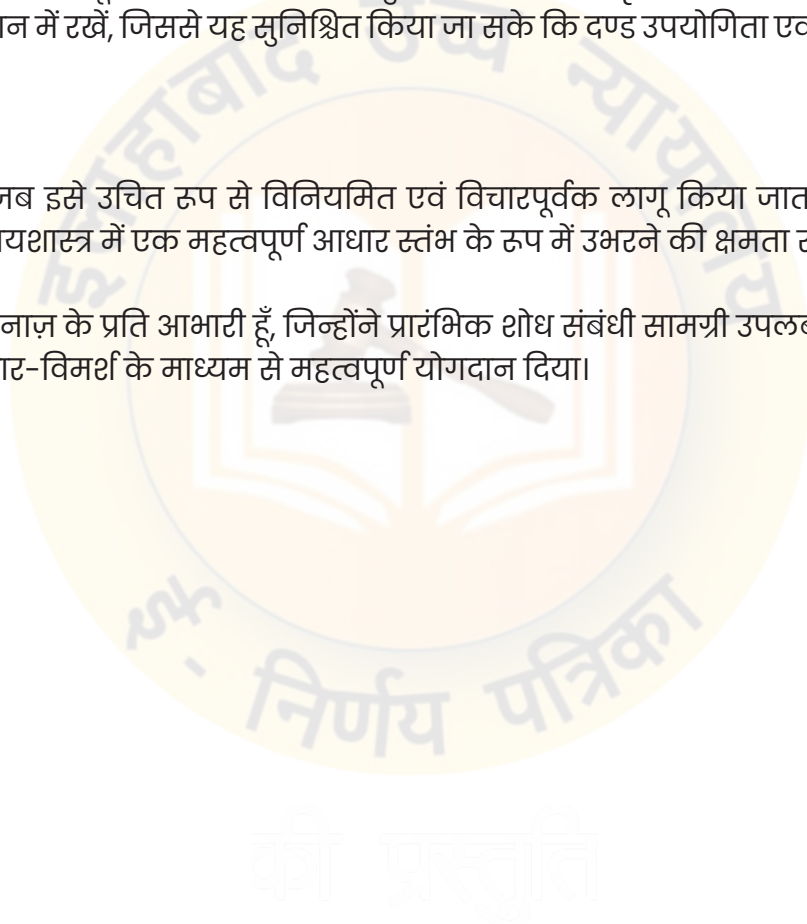
12	सफाई/रखरखाव	निगम/ नगरपालिका/ पंचायत के सार्वजनिक उद्यान/स्थान एवं नदी/नहर/ जलाशय/समुद्र तट	संबंधित आयुक्त/ बीडीओ/नामित अधिकारी	वही पूर्ववत	वही पूर्ववत
13	सफाई/रखरखाव	वृद्धाश्रम/ मानसिक स्वास्थ्य संस्थान/ छात्रावास/समाज कल्याण विभाग के भवन	वार्डन/प्रभारी अधिकारी अथवा नामित अधिकारी	वही पूर्ववत	वही पूर्ववत
14	वृक्षारोपण, सिंचाई, खरपतवार हटाना एवं रखरखाव कार्य	वन विभाग	रेंजर/प्रभारी अधिकारी/नामित अधिकारी	वही पूर्ववत	वही पूर्ववत
15	सफाई/रखरखाव अथवा लिपिकीय सहायता	चिड़ियाघर/ संग्रहालय	क्यूरेटर/प्रभारी अधिकारी/नामित अधिकारी	वही पूर्ववत	वही पूर्ववत
16	सामुदायिक सेवा के रूप में कोई अन्य कर्तव्य, जिसे न्यायालय किसी विशेष मामले में उपयुक्त समझे	संबंधित विभाग	संबंधित अधिकारी	वही पूर्ववत	वही पूर्ववत

निष्कर्ष

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के अंतर्गत दण्ड निर्धारण के विकल्प के रूप में सामुदायिक सेवा का समावेश एक अधिक मानवीय, सुधारात्मक एवं समुदाय-केंद्रित न्याय प्रणाली की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम को दर्शाता है। पारंपरिक कारावास के विपरीत, सामुदायिक सेवा अपराधियों को समाज के प्रति सकारात्मक योगदान देने के लिए सक्षम बनाती है, जिससे उनके पुनः एकीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता है तथा कारावास से संबंधित सामाजिक कलंक को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, सामुदायिक सेवा को एक विश्वसनीय दण्ड विकल्प के रूप में प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि गैर-कारावासीय दण्डों के संबंध में प्रचलित भ्रांतियों को दूर करने हेतु जन-जागरूकता एवं सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित किया जाए। इसी प्रकार यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायालय सामुदायिक सेवा की प्रकृति निर्धारित करते समय अपराधी के कौशल, अभिरुचि एवं क्षमताओं को ध्यान में रखें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि दण्ड उपयोगिता एवं आनुपातिकता के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

संक्षेप में, सामुदायिक सेवा—जब इसे उचित रूप से विनियमित एवं विचारपूर्वक लागू किया जाता है—भारत की विकसित होती सुधारात्मक दण्ड निर्धारण न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ के रूप में उभरने की क्षमता रखती है।

मैं अपनी पत्नी, श्रीमती फरहा नाज़ के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने प्रारंभिक शोध संबंधी सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान की तथा विषय पर सारगर्भित विचार-विमर्श के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान दिया।



द्वितीय तिमाही (अप्रैल 2026 से जून 2026 तक) के ए.एफ.आर. निर्णयों की सूची

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision date
1	MATTERS UNDER ARTICLE 227	5549	2019	Allahabad	Shri Ram Prakash And 3 Others Vs. Smt. Asha Johri And 3 Others	1/7/2026
2	MATTERS UNDER ARTICLE 227	1823	2025	Allahabad	Santosh And 4 Others Vs. Smt. Asha Rani And 7 Others	1/7/2026
3	MATTERS UNDER ARTICLE 227	1605	2026	Allahabad	Satish Gupta Vs. Praveen Kumar Singhal	1/7/2026
4	CRIMINAL APPEAL	1090	1987	Allahabad	Gayasi And Another Vs. State	1/7/2026
5	CRIMINAL APPEAL	1002	1988	Allahabad	Udai Kumar Vs. State	1/7/2026
6	CRIMINAL APPEAL	142	1988	Allahabad	Kedar and others Vs. State	1/7/2026
7	CRIMINAL APPEAL	1048	1989	Allahabad	Balistor Vs. State Of U.P.	1/7/2026
8	CRIMINAL APPEAL	1377	1989	Allahabad	Mahesh And Another Vs. State of U.P.	1/7/2026
9	CRIMINAL APPEAL	1140	1990	Allahabad	Shaheed And Others Vs. State	1/7/2026
10	CRIMINAL APPEAL	1978	1990	Allahabad	Ram Kishore And Others Vs. State	1/7/2026
11	CRIMINAL APPEAL	400	2005	Allahabad	Khalid And Another Vs. State Of U.P.	1/7/2026
12	CRIMINAL APPEAL	538	2011	Lucknow	Anwar Ali And Ors. Vs. State Of U.P.	1/7/2026
13	CRIMINAL APPEAL	4605	2017	Allahabad	Gauri Shankar And Another Vs. State of U.P.	1/7/2026
14	CRIMINAL APPEAL	4487	2019	Allahabad	Ranjeet Patel Vs. State Of U.P.	1/7/2026
15	CRIMINAL APPEAL	1007	2020	Allahabad	Mohd. Tufail Vs. State of U.P.	1/7/2026
16	CRIMINAL APPEAL	1080	2020	Allahabad	Abrar Ahmad Vs. State Of U.P.	1/7/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
17	CRIMINAL APPEAL	1401	2020	Allahabad	Suhail Vs. State Of U.P.	1/7/2026
18	CRIMINAL APPEAL	3418	2020	Allahabad	Kabir Khan Vs. State Of U.P.	1/7/2026
19	CRIMINAL APPEAL	392	2020	Allahabad	Beniram And 2 Others Vs. State of U.P.	1/7/2026
20	CRIMINAL APPEAL	441	2020	Allahabad	Bhanwar Singh Vs. State Of U.P.	1/7/2026
21	CRIMINAL APPEAL	12	2021	Allahabad	Irshad Vs. State of U.P.	1/7/2026
22	CRIMINAL APPEAL	217	2021	Allahabad	Sumer Singh Vs. State of U.P.	1/7/2026
23	CRIMINAL APPEAL	241	2021	Allahabad	Sabal Singh And 3 Others Vs. State Of U.P.	1/7/2026
24	CRIMINAL APPEAL	4008	2021	Allahabad	Deshraj And Another Vs. State Of U.P.	1/7/2026
25	CRIMINAL APPEAL	4588	2022	Allahabad	Jugendra Singh Vs. State Of U.P.	1/7/2026
26	CRIMINAL APPEAL	4617	2022	Allahabad	Deputy Singh And Another Vs. State of U.P.	1/7/2026
27	CRIMINAL APPEAL	6307	2022	Allahabad	Pradeep @ Aman Chau-rasaiya Vs. State Of U.P.	1/7/2026
28	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	4846	2026	Allahabad	Rubi And 18 Others Vs. State Of U.P. And 3 Others	1/7/2026
29	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	8465	2026	Allahabad	Tayyab Vs. State Of U.P. And 4 Others	1/7/2026
30	CRIMINAL REVISION	6851	2025	Allahabad	State Of Up Vs. Nawab Singh Yadav And Others	1/7/2026
31	GOVERNMENT APPEAL	434	1984	Lucknow	The State U.P. Vs. Mun-na	1/7/2026
32	HABEAS CORPUS WRIT PETITION	518	2026	Allahabad	Achal Kumar Gupta Vs. State Of U.P. And 4 Others	1/7/2026
33	SPECIAL APPEAL	400	2026	Allahabad	Sanjay Agrawal Vs. State Of U.P. And 4 Others	1/7/2026
34	WRIT B	5744	1978	Allahabad	Mithai Lal And Others Vs. D.D.C. And Others	1/7/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
35	WRIT B	9462	1979	Allahabad	Pardeshi Vs. D.D.C And Others	1/7/2026
36	WRIT B	12262	1981	Allahabad	Tilak Ram Vs. The D.D.C. And Others	1/7/2026
37	WRIT B	9029	1981	Allahabad	Ram Gopal Vs. A.D.C.	1/7/2026
38	WRIT C	15932	2026	Allahabad	Rama Shankar And 3 Others Vs. The State Of U.P. And 4 Others	1/7/2026
39	HABEAS CORPUS WRIT PETITION	1070	2025	Allahabad	Narendra Sharma Vs. State Of U.P. And 6 Others	29/6/2026
40	WRIT C	6153	2011	Lucknow	Jagdish Singh Vs. Election Commission Of India Through Chief Election Commissi	22/6/2026
41	WRIT C	4422	2012	Lucknow	Chandra Shekhar Nishad Vs. Union Of India Through Cabinet Secy. Central Sectt.New Delhi	22/6/2026
42	WRIT C	1213	2026	Lucknow	Reena Devi Patel Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Food Civil Supply Deptt. And 5 Others	19/6/2026
43	MATTERS UNDER ARTICLE 227	14541	2025	Allahabad	Santosh Yadav And 5 Others Vs. State of U.P. and Another	17/6/2026
44	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	3976	2026	Lucknow	Umesh Mali Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Lko And 3 Others	16/6/2026
45	CIVIL MISC REVIEW APPLICATION	65	2025	Lucknow	Tapish Sharma Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Deptt. Of Home Govt. Of U.P. And 2 Others	10/6/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
46	WRIT A	2342	2026	Lucknow	Santosh Kumar Singh Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy./Prin. Secy. Appointment And Personnel Deptt. Lko And 2 Others	10/6/2026
47	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	1908	2026	Lucknow	Varun Lat (Lath) Vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home Deptt. Lko.	8/6/2026
48	CRIMINAL APPEAL	2851	1983	Allahabad	Satish And Others Vs. State	8/6/2026
49	CRIMINAL APPEAL	2856	1983	Allahabad	Bhupat And Others Vs. State of U.P.	8/6/2026
50	CRIMINAL APPEAL	2862	1983	Allahabad	Vikram Vs. State	8/6/2026
51	CRIMINAL APPEAL	475	2020	Lucknow	Sanjay Rai Vs. State Of U.P.	5/6/2026
52	APPLICATION U/S 528 BNSS	20636	2026	Allahabad	Dilawar Singh Vs. State Of U.P. And 3 Others	4/6/2026
53	WRIT C	6374	2024	Lucknow	M/S R.S. Contractors And Engineers Vs. Debts Recovery Tribunal Lko. And 2 Others	4/6/2026
54	MATTERS UNDER ARTICLE 227	13425	2025	Allahabad	Avnesh Kumar Agarwal Vs. Union Of India And 3 Others	3/6/2026
55	MATTERS UNDER ARTICLE 227	680	2025	Allahabad	Lala And Another Vs. State of U.P. and Another	3/6/2026
56	APPLICATION U/s 482	6547	2025	Allahabad	Rajendra Tyagi And 2 Others Vs. State Of U.P. And Another	3/6/2026
57	CRIMINAL APPEAL	6007	2018	Allahabad	Kiranpal Alias Kiran Vs. State Of U.P.	3/6/2026
58	CRIMINAL APPEAL	5563	2019	Allahabad	Kuntesh Vs. State of U.P.	3/6/2026
59	CRIMINAL APPEAL	565	2019	Lucknow	Manish Vs. State Of U.P.	3/6/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
60	HABEAS CORPUS WRIT PETITION	946	2025	Allahabad	Megha Raikwar Vs. State Of U.P. And 4 Others	3/6/2026
61	APPLICATION U/S 528 BNSS	22924	2026	Allahabad	Rahul Yadav Vs. State of U.P. and Another	2/6/2026
62	MATTERS UNDER ARTICLE 227	8129	2023	Allahabad	Baru Singh And Another Vs. State Of U.P. And 4 Others	29/5/2026
63	MATTERS UNDER ARTICLE 227	12485	2025	Allahabad	Kundan Vs. State Of U.P. And Another	29/5/2026
64	APPLICATION U/s 482	9674	2024	Allahabad	Smt Geeta Singhal And Another Vs. State Of U.P. And Another	29/5/2026
65	CONTEMPT APPLICATION (CIVIL)	3434	2026	Allahabad	Aalha Charasiya And 2 Others Vs. Sri Varun Kumar Jha And 2 Others	29/5/2026
66	CRIMINAL APPEAL	1180	1983	Allahabad	Hari Lal Vs. State Of U.P.	29/5/2026
67	CRIMINAL APPEAL	2347	1985	Allahabad	Saghir Ahmad And Another Vs. State Of U.P.	29/5/2026
68	CRIMINAL APPEAL	2360	1985	Allahabad	Rajendra Chauhan And Another Vs. State Of U.P.	29/5/2026
69	CRIMINAL APPEAL	178	1987	Allahabad	Furkan And 3 Others Vs. State of U.P.	29/5/2026
70	CRIMINAL APPEAL	804	1987	Allahabad	Karam Veer And Others Vs. State	29/5/2026
71	CRIMINAL APPEAL	902	1988	Allahabad	Harish Chandra And Others Vs. State Of U.P.	29/5/2026
72	CRIMINAL APPEAL	902	1988	Allahabad	Harish Chandra And Others Vs. State Of U.P.	29/5/2026
73	CRIMINAL APPEAL	462	2003	Allahabad	Lila And Another Vs. State Of U.P.	29/5/2026
74	CRIMINAL APPEAL	9263	2023	Allahabad	Ranjeet Yadav Vs. State Of U.P.	29/5/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
75	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	3807	2023	Allahabad	Matambar Mishra Vs. The State Of U.P. And 3 Others	29/5/2026
76	CRIMINAL REVISION	6529	2025	Allahabad	Asim Raza Khan Vs. State Of U.P. And Another	29/5/2026
77	APPLICATION U/S 528 BNSS	31196	2025	Allahabad	Anuraj Ratna And 3 Others Vs. State Of U.P. And Another	29/5/2026
78	APPLICATION U/S 528 BNSS	48526	2025	Allahabad	Nishant Singh And 3 Others Vs. State Of U.P. And Another	29/5/2026
79	APPLICATION U/S 528 BNSS	1918	2026	Lucknow	Rameez Nemat Vs. State Of U.P. Thru. Secy. Home Lko. And 4 Others	29/5/2026
80	WRIT A	3037	2023	Allahabad	Amar Prakash Chandra And 3 Others Vs. State Of U.P. And 2 Others	29/5/2026
81	WRIT A	12445	2024	Lucknow	Priyanka Yadav Vs. State Of U.P. Thru. Deptt. Of Technical Education Lko. And 2 Others	29/5/2026
82	WRIT A	10333	2025	Allahabad	Sunil Kumar Jain Vs. State Of U.P. And 5 Others	29/5/2026
83	WRIT A	7210	2026	Allahabad	North Central Zone Insurance Employees Vs. Union Of India And 5 Others	29/5/2026
84	WRIT C	39695	2022	Allahabad	Ravi Vs. State Of U.P. And 4 Others	29/5/2026
85	WRIT C	20436	2026	Allahabad	Sidharth Vs. State Of U.P. And 4 Others	29/5/2026
86	WRIT C	21840	2026	Allahabad	Arun Kumar Vs. Commissioner, Azamgarh And 5 Others	29/5/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
87	WRIT C	5810	2026	Lucknow	M/S Konkan Railway Corporation Ltd. Vs. Union Of India And 5 Others	29/5/2026
88	APPLICATION U/s 482	2994	2026	Lucknow	Anita Pandey Vs. State Of U.P. Thru. Secy. Home Lko. And Another	27/5/2026
89	CRIMINAL APPEAL	206	1989	Lucknow	Laxmi Kant @ Pappu And Another Vs. State Of U.P.	27/5/2026
90	CRIMINAL APPEAL	1466	2001	Allahabad	Gram Lodhi Alias Salig Ram Vs. State Of U.P.	27/5/2026
91	CRIMINAL APPEAL	1981	2003	Lucknow	Khushi Ram Vs. State Of U.P.	27/5/2026
92	CRIMINAL APPEAL	956	2006	Lucknow	Rajendra Vs. The State Of U.P.	27/5/2026
93	CRIMINAL APPEAL	1533	2017	Lucknow	Jagdish Vs. State Of U.P.	27/5/2026
94	CRIMINAL APPEAL	924	2018	Lucknow	Hareram Chaudhary Vs. State Of U.P.	27/5/2026
95	JAIL APPEAL	589	2021	Lucknow	Jag Prasad Yadav @ Jaggu Vs. State Of U.P.	27/5/2026
96	APPLICATION U/S 528 BNSS	15843	2026	Allahabad	Sanjeev Gaur And Another Vs. State of U.P. and Another	27/5/2026
97	S.C.C. REVISION	52	2026	Allahabad	Shriram And Another Vs. Shivsevak Sharma And 6 Others	27/5/2026
98	SPECIAL APPEAL	371	2026	Allahabad	Dr Keshbhan Singh And Another Vs. State Of U.P. And 7 Others	27/5/2026
99	WRIT TAX	2070	2026	Allahabad	Shalabh Agarwal And Another Vs. Additional Director General And Another	27/5/2026
100	MATTERS UNDER ARTICLE 227	2298	2026	Allahabad	Sirajuddin Khan Vs. Laxmichand	26/5/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
101	CRIMINAL APPEAL	4280	2011	Allahabad	Pawan Kumar Vs. State Of U.P.	26/5/2026
102	CRIMINAL APPEAL	2089	2023	Allahabad	Babloo Dubey @ Vish-nudhar Dubey Vs. State Of U.P.	26/5/2026
103	CRIMINAL APPEAL	2737	2026	Allahabad	Kapil Som And Another Vs. State Of U.P. And Another	26/5/2026
104	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	23655	2025	Allahabad	Arjunpreet Singh Sahni Vs. State Of U.P. And 3 Others	26/5/2026
105	CRIMINAL REVISION	120	2026	Allahabad	Sarthak Dixit And Another Vs. State Of U.P. And 2 Others	26/5/2026
106	WRIT B	137	2026	Lucknow	Dr. Kashmir Singh And Another Vs. Board Of Revenue, Lko. Thru. Chairman And Others	26/5/2026
107	WRIT C	6398	2021	Allahabad	U.P. State Textile Corporation Vs. Debt Recovery Appellate Tribunal And 7 Others	26/5/2026
108	WRIT C	34527	2023	Allahabad	Munni Devi Vs. State Of U.P. And 6 Others	26/5/2026
109	WRIT C	26552	2024	Allahabad	Ajeet Nigam Vs. Additional District Judge And 5 Others	26/5/2026
110	WRIT TAX	715	2026	Lucknow	M/S Mishra Security Services Vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. State Tax Lko. And 2 Others	26/5/2026
111	ELECTION PETITION	6	2022	Lucknow	Abhay Kumar @ Dheer-aj Ojha Vs. Rakesh Kumar Verma And Others	25/5/2026
112	WRIT A	9485	2023	Allahabad	Shripal Vs. State Of U.P. And 2 Others	25/5/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
113	WRIT A	7526	2026	Allahabad	Roshan Kumar Pandey And 29 Others Vs. State Of U.P. And Another	25/5/2026
114	WRIT B	12365	1981	Allahabad	Laxmi Vs. D.D.C. And 14 Others	25/5/2026
115	WRIT C	6524	2008	Allahabad	M/S Designers Park Sahkari Awas Samiti Ltd Vs. State Of U.P. And Others	25/5/2026
116	WRIT C	23827	2010	Allahabad	Ram Autar And Ors. Vs. State Of U.P. Thru. Secr. Ministry Of Urban Devp. And Ors.	25/5/2026
117	WRIT C	36811	2024	Allahabad	Surendra Pal Singh Vs. State Of U.P. And 5 Others	25/5/2026
118	WRIT TAX	2707	2026	Allahabad	M/S World Phone Internet Vs. Superintendent, Range And Another	25/5/2026
119	MATTERS UNDER ARTICLE 227	54	2022	Allahabad	Tara Chand And 5 Others Vs. State Of U.P. And 2 Others	22/5/2026
120	MATTERS UNDER ARTICLE 227	5746	2026	Allahabad	Dr Ashish Shakya Vs. CBI And Another	22/5/2026
121	APPLICATION U/s 378	40	2022	Lucknow	State Of U.P. Vs. Chandrasen @ Chailu And Another	22/5/2026
122	APPLICATION U/s 482	2390	2017	Lucknow	Janardan Prasad Shukla And Ors. Vs. State Of U.P. And Anr.	22/5/2026
123	APPLICATION U/s 482	3927	2018	Lucknow	Ram Pal Singh And Others Vs. State of U.P. and Another	22/5/2026
124	CRIMINAL APPEAL	2392	1988	Allahabad	Shiv Lal And Others Vs. State	22/5/2026
125	CRIMINAL APPEAL	2452	1988	Allahabad	Tosif And Another Vs. State	22/5/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
126	CRIMINAL APPEAL	1789	2016	Lucknow	Mohammad Anees Vs. State Of U.P.	22/5/2026
127	CRIMINAL APPEAL	1508	2018	Lucknow	Nand Kishore Vs. State of U.P.	22/5/2026
128	CRIMINAL APPEAL	2275	2019	Lucknow	Smt. Ram Rati And 2 Others Vs. State Of U.P.	22/5/2026
129	CRIMINAL APPEAL	2380	2019	Lucknow	Rinku @ Amrish Vs. State Of U.P.	22/5/2026
130	CRIMINAL APPEAL	1097	2026	Lucknow	Pramod Kumar Singh Alias Guddu Singh Vs. State Of U.P.	22/5/2026
131	CRIMINAL REVISION	659	2026	Allahabad	Smt Archana And Another Vs. State of U.P. and Another	22/5/2026
132	FIRST APPEAL FROM ORDER	871	2014	Lucknow	Smt. Sanju Singh And Ors. Vs. New India Assurance Co. Ltd.	22/5/2026
133	WRIT C	1001558	1997	Lucknow	Smt. Mayawati Vs. S.D.O. And Others	22/5/2026
134	WRIT C	1005596	2012	Lucknow	Rajesh Kumar Singh Vs. Commissioner Lucknow Division And Another	22/5/2026
135	WRIT C	35320	2025	Allahabad	M/S Vinod Kumar Malik Vs. Union Of India And 4 Others	22/5/2026
136	MATTERS UNDER ARTICLE 227	6007	2026	Allahabad	Fayyazuddin Vs. Prashant Kumar Singh And Another	21/5/2026
137	APPLICATION U/s 482	6506	2023	Lucknow	Rudra Pratap Singh Vs. State Of U.P. And Another	21/5/2026
138	APPLICATION U/s 482	3475	2026	Lucknow	Smt. Sadhana Choora-mani @ Sadhana Bedi Vs. State Of U.P. And Another	21/5/2026
139	CRIMINAL APPEAL U/S 372 CR.P.C.	64	2026	Lucknow	Informant/Complainant (Victim X) Vs. State Of U.P.	21/5/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
140	CRIMINAL APPEAL	1476	1990	Allahabad	Neksey And Another Vs. State Of U.P.	21/5/2026
141	CRIMINAL APPEAL	163	1993	Lucknow	Shakir Ali Vs. State	21/5/2026
142	CRIMINAL APPEAL	1133	2009	Allahabad	Maheshwari Prasad And Another Vs. State Of U.P.	21/5/2026
143	CRIMINAL APPEAL	1139	2016	Lucknow	Surendra Kumar Verma Vs. State Of U.P.	21/5/2026
144	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	23443	2025	Allahabad	Samarpan Jain Vs. State Of U.P. And 2 Others	21/5/2026
145	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	23466	2025	Allahabad	Samarpan Jain Vs. State Of U.P. And 2 Others	21/5/2026
146	CRIMINAL REVISION	2526	2026	Allahabad	Krishna Mohan Shukla Vs. State of U.P. and Another	21/5/2026
147	WRIT A	8780	2016	Allahabad	Md. Nesar Ahmad Vs. State Of U.P. And Another	21/5/2026
148	WRIT A	7653	2019	Allahabad	Ashok Kumar Yadav And 2 Others Vs. Union Of India And 2 Others	21/5/2026
149	WRIT A	12130	2025	Lucknow	Shusheel Tripathi Vs. U.O.I. Thru. Secy. Ministry Of Labour And Employment New Delhi And 4 Others	21/5/2026
150	WRIT C	12569	2026	Allahabad	Khushi Hospital And Another Vs. State Of U.P. And 3 Others	21/5/2026
151	APPLICATION U/S 528 BNSS	29363	2025	Allahabad	Sanjay @ Sanjay Kashyap Vs. State of U.P. and Another	20/5/2026
152	APPLICATION U/S 528 BNSS	12713	2026	Allahabad	Vinod Kumar And Another Vs. State Of U.P. And Another	20/5/2026
153	SPECIAL APPEAL DEFECTIVE	403	2026	Allahabad	Sudhir Singh Rawal Vs. Rajendra Prasad And Another	20/5/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
154	WRIT B	5784	1981	Allahabad	Ram Nath Vs. D.D.C. And Others	20/5/2026
155	WRIT C	6613	2026	Allahabad	Chandrashekhar Upadhyay, Advocate Vs. State Of U.P. And 8 Others	20/5/2026
156	MATTERS UNDER ARTICLE 227	5153	2026	Allahabad	Akhilesh Kumar Vs. Sanjay Sahgal	19/5/2026
157	CRIMINAL APPEAL	3123	1986	Allahabad	Ram Darash And Others Vs. State	19/5/2026
158	CRIMINAL APPEAL	1468	1987	Allahabad	Ram Kant Vs. State Of U.P.	19/5/2026
159	CRIMINAL APPEAL	5319	2021	Allahabad	Yogesh Vs. State Of U.P.	19/5/2026
160	APPLICATION U/S 528 BNSS	1531	2026	Lucknow	Roli Vs. State Of U.P. And 4 Others	19/5/2026
161	APPLICATION U/S 528 BNSS	1880	2026	Lucknow	Shatrughan Kumar Vs. Narcotics Control Bureau Lko.	19/5/2026
162	TRANSFER APPLICATION (CRIMINAL)	22	2026	Lucknow	Jyoti Singh Vs. State Of U.P. And 3 Others	19/5/2026
163	WRIT A	6502	2022	Lucknow	Anurag Mehrotra Vs. State Of U.P. And 3 Others	19/5/2026
164	SECOND APPEAL	308	2018	Lucknow	Dr. Brij Bhushan And Ors. Vs. Satya Bhudhshn Verma	18/5/2026
165	WRIT A	2000743	2015	Lucknow	Lal Chandra Mishra Vs. State Of U.P.	18/5/2026
166	WRIT A	5849	2024	Lucknow	Union Of India Vs. Ex Sub Maj Nigam Singh	18/5/2026
167	WRIT A	7484	2024	Lucknow	Union Of India Vs. Lt. Col. Ashok Kumar Singh	18/5/2026
168	CRIMINAL APPEAL	2855	1984	Allahabad	Shokar And Others Vs. State Of U.P.	15/5/2026
169	CRIMINAL APPEAL	665	1984	Allahabad	Sheo Kumar Tiwari And Others Vs. State Of U.P.	15/5/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
170	CRIMINAL APPEAL	976	1985	Allahabad	Madan Kumar And Others Vs. State Of U.P.	15/5/2026
171	CRIMINAL APPEAL	370	1987	Allahabad	Dhan Pal And Others Vs. State Of U.P.	15/5/2026
172	CRIMINAL REVISION	223	2024	Allahabad	Smt Sadhana @ Shakshi And Another Vs. State Of U.P.	15/5/2026
173	CRIMINAL REVISION	2404	2025	Allahabad	Ajay Kumar Vs. State Of U.P.	15/5/2026
174	APPLICATION U/S 528 BNSS	43284	2025	Allahabad	Vipin Kumar Malhotra Vs. State Of U.P. And Another	15/5/2026
175	WRIT A	7331	2007	Lucknow	Dileep Kumar Jaiswal Vs. State Of U.P.	15/5/2026
176	WRIT A	29926	2016	Allahabad	Ashwani Kumar Awas-thi And 3 Others Vs. State Of U.P.	15/5/2026
177	WRIT A	10936	2025	Lucknow	Shekhar Vs. State Of U.P. And 4 Others	15/5/2026
178	WRIT C	13812	2026	Allahabad	Naval Kishore Srivastava Vs. State Of U.P. And 6 Others	15/5/2026
179	CIVIL MISC. ARBITRATION APPLICATION	91	2024	Lucknow	M/S Transrail Lighting Ltd. Vs. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.	14/5/2026
180	CRIMINAL APPEAL	1753	2026	Allahabad	Rajan Chaurasia @ Rajendra And 3 Others Vs. State Of U.P.	14/5/2026
181	FIRST APPEAL FROM ORDER	1018	2026	Allahabad	Ramchandra Ji Maharaj Virajman Mandir And 5 Others Vs. Sushil Maheshwari And 2 Others	14/5/2026
182	JAIL APPEAL	169	2018	Allahabad	Summilal Ahirwar Vs. State Of U.P.	14/5/2026
183	WRIT A	7873	2024	Lucknow	Ashok Kumar Kanaujiya Vs. State Of U.P. And 2 Others	14/5/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
184	WRIT A	2468	2026	Lucknow	Mr. Saleem Anwar Khan And 2 Others Vs. State Of U.P.	14/5/2026
185	WRIT B	27869	2001	Allahabad	Triveni Lal Vs. Board Of Revenue And Others	14/5/2026
186	WRIT C	3000221	2003	Lucknow	Ajai Pratap Singh And Others Vs. Additional Commissioner Faizabad And Others	14/5/2026
187	WRIT TAX	1423	2026	Allahabad	M/s Maruti Enterprises Vs. State of U.P.	14/5/2026
188	APPLICATION U/s 482	2922	2026	Lucknow	Nanke @ Sahabuddin And 2 Others Vs. State Of U.P.	13/5/202
189	CRIMINAL APPEAL	1417	1988	Allahabad	Karan Singh Vs. State Of U.P.	13/5/2026
190	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	10231	2026	Allahabad	Yashobhrith Jaiswal Vs. State Of U.P. And 9 Others	13/5/2026
191	CRIMINAL REVISION	7360	2025	Allahabad	Arun Sondhi Vs. State of U.P. and Another	13/5/2026
192	CRIMINAL REVISION	369	2026	Allahabad	Smt Meena Devi And Another Vs. State Of U.P. And Another	13/5/2026
193	PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL)	14796	2019	Lucknow	Lok Prahari Thru Gen. Secy. S.N. Shukla Vs. State Of U.P. And Ors.	13/5/2026
194	MATTERS UNDER ARTICLE 227	6620	2026	Allahabad	Smt. Asha Devi Jeswani And Another Vs. Shri Sudeep Kumar Jain	12/5/2026
195	APPLICATION U/s 482	21503	2015	Allahabad	Rahul Kushwaha Vs. State Of U.P. And Another	12/5/2026
196	APPLICATION U/s 482	8614	2024	Lucknow	Smt. Chandrama Devi Agrahari Vs. State Of U.P. And Another	12/5/2026
197	CRIMINAL APPEAL U/S 372 CR.P.C.	63	2026	Lucknow	Ram Saran Tripathi Vs. State Of U.P. And Another	12/5/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
198	CRIMINAL APPEAL	4426	2008	Allahabad	Rajnish Vs. State of U.P.	12/5/2026
199	CRIMINAL APPEAL	753	2012	Lucknow	Sharief @ Gathiya Vs. State of U.P.	12/5/2026
200	CRIMINAL APPEAL	4514	2023	Allahabad	Mahipal Vs. State Of U.P.	12/5/2026
201	CRIMINAL REVISION	494	2026	Lucknow	Sandeep And 7 Others Vs. State Of U.P.	12/5/2026
202	WRIT A	18069	2024	Allahabad	Bhupal Singh Vs. State Of U.P. And 3 Others	12/5/2026
203	WRIT A	142	2026	Allahabad	Vinit Kumar Vs. State Of U.P. And 3 Others	12/5/2026
204	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	15823	2026	Allahabad	Ayodhya Singh @ Kaksh Bahadur Singh Vs. State Of U.P.	11/5/2026
205	CRIMINAL APPEAL	1594	1984	Allahabad	Ashok Kumar Chaurasia Vs. State Of U.P.	11/5/2026
206	CRIMINAL APPEAL	3499	1984	Allahabad	Sohan Lal Alias Sohanpal And Others Vs. State	11/5/2026
207	CRIMINAL APPEAL	7543	2006	Allahabad	Santosh And Others Vs. State Of U.P.	11/5/2026
208	CRIMINAL APPEAL	7712	2006	Allahabad	Satyavir And Others Vs. State Of U.P.	11/5/2026
209	CRIMINAL APPEAL	7713	2006	Allahabad	Sukhvair And Another Vs. State Of U.P.	11/5/2026
210	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	4156	2026	Lucknow	Deena Nath Yadav Vs. State Of U.P.	11/5/2026
211	FIRST APPEAL FROM ORDER	2364	2025	Allahabad	Satya Homes Pvt. Ltd. Vs. Fundan And 3 Others	11/5/2026
212	FIRST APPEAL FROM ORDER	994	2026	Allahabad	M/S Srijan Hospital Vs. Bank Of Baroda	11/5/2026
213	MATTERS UNDER ARTICLE 227	2014	2026	Allahabad	Kush Saigal And 2 Others Vs. Gaurav Shukla And Another	8/5/2026
214	MATTERS UNDER ARTICLE 227	2542	2026	Lucknow	Baburam And 8 Others Vs. State Of U.P.	8/5/2026
215	CRIMINAL APPEAL	1106	1985	Allahabad	Kali Das Vs. State Of U.P.	8/5/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
216	CRIMINAL APPEAL	247	2013	Lucknow	Monu @ Raghvendra Tiwari Vs. State Of U.P.	8/5/2026
217	APPLICATION U/S 528 BNSS	25601	2025	Allahabad	Praveen Pal Vs. State Of U.P. And 3 Others	8/5/2026
218	RERA Appeal	169	2025	Lucknow	U.P. RERA Vs. M/S Maa Bhagwati Commercial Reality N Resorts LLP	8/5/2026
219	WRIT A	63195	2007	Allahabad	Vinod Kumar Singh Vs. State Of U.P. And Others	8/5/2026
220	WRIT A	11164	2021	Lucknow	Balwant Chandra Vs. State Of U.P.	8/5/2026
221	WRIT A	835	2022	Allahabad	Dr. Albina Vs. State Of U.P. And 3 Others	8/5/2026
222	WRIT A	12286	2025	Lucknow	Dr. Gyanvati Dixit Vs. State Of U.P. And 4 Others	8/5/2026
223	WRIT A	1169	2026	Lucknow	Pankaj Mishra And 24 Others Vs. EPFO	8/5/2026
224	WRIT A	504	2026	Lucknow	Sunil Kumar Mehrotra And 24 Others Vs. EPFO	8/5/2026
225	WRIT C	3000056	2000	Lucknow	Sheo Bux Singh Vs. State Of U.P.	8/5/2026
226	WRIT C	43237	2018	Allahabad	Rameshwar Dutt Awasthi Vs. State Of U.P. And 4 Others	8/5/2026
227	WRIT C	18896	2019	Allahabad	Jai Shakti Realcon Vs. State Of U.P. And 3 Others	8/5/2026
228	WRIT C	3056	2020	Allahabad	Jai Shakti Realcon Vs. State Of U.P. And 3 Others	8/5/2026
229	WRIT C	10073	2026	Allahabad	Rohtash Singh @ Rohtash Vs. State Of U.P. And 3 Others	8/5/2026
230	WRIT C	10755	2026	Allahabad	M/S Kant Construction Company Vs. State Of U.P. And 3 Others	8/5/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
231	WRIT C	17910	2026	Allahabad	Smt. Urmila Devi Vs. State Of U.P. And 2 Others	8/5/2026
232	WRIT C	4728	2026	Lucknow	Purnima Mishra Vs. U.O.I. Ministry Of Road Transport And Highways	8/5/2026
233	MATTERS UNDER ARTICLE 227	6472	2023	Allahabad	Kamlesh Singh Vs. Pushpendra Singh Kama And 17 Others	7/5/2026
234	MATTERS UNDER ARTICLE 227	2864	2026	Allahabad	Aftab Qureshi @ Raja And 3 Others Vs. Devendra Dhawan	7/5/2026
235	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	11476	2026	Allahabad	Mevalal Prajapati Vs. State of U.P.	7/5/2026
236	CRIMINAL APPEAL	2399	1983	Allahabad	Raghuver And Others Vs. State Of U.P.	7/5/2026
237	CRIMINAL APPEAL	1350	1984	Allahabad	Hetram And Others Vs. State Of U.P.	7/5/2026
238	WRIT A	2856	2002	Lucknow	Rajesh Srivastava Vs. Committee Of Management D.M.U. Inter College Kanpur	7/5/2026
239	WRIT A	12736	2018	Allahabad	Dr. Tapas Kumar Das Vs. Harish Chandra Research Institute And 3 Others	7/5/2026
240	WRIT C	21876	2021	Allahabad	Mohd Yunus Ansari Vs. Union Of India And Another	7/5/2026
241	MATTERS UNDER ARTICLE 227	2312	2026	Allahabad	Mohammad Zaki Khan Vs. Gopal Krishna Gangal	6/5/2026
242	APPLICATION U/s 482	19215	2007	Allahabad	Madhu Singh Vs. State of U.P. and Others	6/5/2026
243	CRIMINAL APPEAL	1373	1986	Allahabad	Bhola Vs. State Of U.P.	6/5/2026
244	CRIMINAL APPEAL	1821	2011	Allahabad	Bahadur Vs. State of U.P.	6/5/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
245	CRIMINAL APPEAL	1868	2011	Allahabad	Udham Singh Alias Matauli Vs. State of U.P.	6/5/2026
246	CRIMINAL APPEAL	1978	2011	Allahabad	Krishan Pal @ Lala And Anr. Vs. State Of U.P.	6/5/2026
247	CRIMINAL APPEAL	2004	2011	Allahabad	Raghunath Alias Batauli Vs. State Of U.P.	6/5/2026
248	CRIMINAL APPEAL	2195	2011	Allahabad	Ranjeet Vs. State Of U.P.	6/5/2026
249	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	8674	2026	Allahabad	Aman Kumar Vs. State Of U.P. And 7 Others	6/5/2026
250	FIRST APPEAL FROM ORDER	1127	2026	Allahabad	Indra Bagdiya Vs. Balvir Kohli And 13 Others	6/5/2026
251	FIRST APPEAL FROM ORDER DEFECTIVE	641	2026	Allahabad	Sushil Yadav Vs. Universal Sompo General Insurance Co. Ltd. And 2 Others	6/5/2026
252	FIRST APPEAL	485	2025	Allahabad	Mimansa Nangia And 2 Others Vs. Shivani Hospital Pvt. Ltd.	6/5/2026
253	WRIT B	4404	2025	Allahabad	Chandrapal Singh And 7 Others Vs. Deputy Director Of Consolidation And 6 Others	6/5/2026
254	WRIT C	3000082	2009	Lucknow	Balbir Singh Vs. Additional Commissioner Administration Devi Patan Gonda	6/5/2026
255	WRIT C	12303	2026	Allahabad	M/S Om Food Manufacturing Center Vs. State Of U.P. And 2 Others	6/5/2026
256	APPLICATION U/s 482	13257	2021	Allahabad	Bhullan And 4 Others Vs. State Of U.P. And Another	5/5/2026
257	CRIMINAL APPEAL	1022	1984	Allahabad	Madho And Another Vs. State Of U.P.	5/5/2026
258	CRIMINAL APPEAL	1752	1984	Allahabad	Dr. Vinod Alias Ram Vinod Alias Ram Niwas Vs. State Of U.P.	5/5/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
259	CRIMINAL APPEAL	818	1985	Allahabad	Hari Prasad Pandey And Others Vs. State Of U.P.	5/5/2026
260	APPLICATION U/S 528 BNSS	7980	2026	Allahabad	Ravi Alias Ravindra Singh Vs. State Of U.P. And Another	5/5/2026
261	S.C.C. REVISION	16	2026	Allahabad	Suresh Shah Sisodiya Vs. Jai Prakash Yadav	5/5/2026
262	WRIT A	10539	2000	Allahabad	Nasiruddin Vs. U.P. State Sugar Corporation And Others	5/5/2026
263	WRIT A	8189	2020	Allahabad	Suman Kumari Vs. State Of U.P. And 5 Others	5/5/2026
264	WRIT A	5542	2026	Allahabad	Yatish Singh Vs. State Of U.P. And 4 Others	5/5/2026
265	WRIT C	26448	2025	Allahabad	Sushil Kumar Prajapati Vs. Union Of India And 3 Others	5/5/2026
266	MATTERS UNDER ARTICLE 227	5600	2026	Allahabad	Sri Ajay Pal Rastogi Vs. Smt. Poonam Rastogi And Another	4/5/2026
267	APPLICATION U/s 482	2255	2026	Lucknow	Smt. Damyanti Devi And 2 Others Vs. State Of U.P. And Another	4/5/2026
268	CRIMINAL APPEAL	1605	2009	Lucknow	Vijai Nai Vs. State Of U.P.	4/5/2026
269	CRIMINAL APPEAL	709	2019	Allahabad	Prakash Pradhan Vs. State Of U.P.	4/5/2026
270	CRIMINAL REVISION	2041	2025	Allahabad	Neetesh Singh And Another Vs. State Of U.P. And Another	4/5/2026
271	JAIL APPEAL	212	2011	Lucknow	Dev Bahadur Yadav @ Matru Yadav Vs. State Of U.P.	4/5/2026
272	APPLICATION U/S 528 BNSS	10028	2026	Allahabad	Smt. Mansi Tyagi And Another Vs. State Of U.P. And Another	4/5/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
273	APPLICATION U/S 528 BNSS	11808	2026	Allahabad	Arun Kumar Vs. State Of U.P. And Another	4/5/2026
274	WRIT C	469	2026	Allahabad	Shajiya Parveen And Another Vs. State Of U.P. And 3 Others	4/5/2026
275	MATTERS UNDER ARTICLE 227	4842	2025	Allahabad	Shambhu Singh Vs. State Of U.P. And Another	1/5/2026
276	CRIMINAL APPEAL	916	1983	Allahabad	Laloo Vs. State Of U.P.	1/5/2026
277	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	9838	2026	Allahabad	Nanhe Kasera Vs. State Of U.P. And 3 Others	1/5/2026
278	WRIT A	1994	2024	Allahabad	Santosh Kumar Mishra Vs. State Of U.P. And 5 Others	1/5/2026
279	CIVIL MISC REVIEW APPLICATION	409	2024	Allahabad	State Of U.P. And 4 Others Vs. Smt. Krishna Singh	30/4/2026
280	CRIMINAL APPEAL	2034	1984	Allahabad	Ranvir Singh And Others Vs. State Of U.P.	30/4/2026
281	CRIMINAL APPEAL	1613	2012	Lucknow	Shanu Vs. State Of U.P.	30/4/2026
282	CRIMINAL APPEAL	815	2012	Lucknow	Manoj Kumar Vs. State Of U.P.	30/4/2026
283	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	28877	2025	Allahabad	Chandrabhan Kumar Vs. State Of U.P. And 4 Others	30/4/2026
284	GOVERNMENT APPEAL	91	1987	Lucknow	State Of U.P. Vs. Tulsi Ram	30/4/2026
285	HABEAS CORPUS WRIT PETITION	931	2025	Allahabad	Smt. Rinku Ram @ Rinku Devi And Another Vs. State Of U.P. And 7 Others	30/4/2026
286	APPLICATION U/S 528 BNSS	4092	2026	Allahabad	Swaraj Singh Patil Vs. State Of U.P. And Another	30/4/2026
287	WRIT A	168	2002	Lucknow	Smt. Shushila Shukla Vs. State Of U.P.	30/4/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
288	WRIT A	2294	2007	Lucknow	Bal Krishna Pandey Vs. Indian Institute Of Management	30/4/2026
289	WRIT C	1001056	1993	Lucknow	Atul Behari Lal And Others Vs. State Of U.P.	30/4/2026
290	WRIT C	8895	2026	Allahabad	Shri Krishna Nutrition India Pvt. Ltd. Vs. MSME And Another	30/4/2026
291	APPLICATION U/s 482	3598	2024	Allahabad	Luvkush Singh @ Uday Pratap Singh Vs. State Of U.P. And Another	29/4/2026
292	CRIMINAL APPEAL	1779	1984	Allahabad	Lakhi Pal And Others Vs. State Of U.P.	29/4/2026
293	CRIMINAL APPEAL	274	1985	Allahabad	Dinesh And Others Vs. State	29/4/2026
294	CRIMINAL APPEAL	370	1985	Allahabad	Ram Swarup @ Chhotey Chela Vs. State	29/4/2026
295	CRIMINAL APPEAL	1414	1988	Allahabad	Chandrapal And Others Vs. State of U.P.	29/4/2026
296	CRIMINAL APPEAL	104	1989	Allahabad	Ram Das And Others Vs. State Of U.P.	29/4/2026
297	CRIMINAL APPEAL	1618	2008	Allahabad	Ajai Pal Vs. State of U.P.	29/4/2026
298	FIRST APPEAL FROM ORDER	2226	2025	Allahabad	M/S Hapur Roller Flour Mills And Another Vs. M/S Shri Vardhman Roller Flour Mills And 2 Others	29/4/2026
299	HABEAS CORPUS WRIT PETITION	137	2026	Lucknow	Manoj Kumar Thru. His Son Mudit Kumar Vs. State Of U.P. And 4 Others	29/4/2026
300	APPLICATION U/S 528 BNSS	12863	2026	Allahabad	Jubair Ansari And Another Vs. State of U.P. And Another	29/4/2026
301	SPECIAL APPEAL	1632	2013	Allahabad	Javed Khan Vs. State Of U.P. And 5 Others	29/4/2026
302	SPECIAL APPEAL	84	2025	Lucknow	Saurav Raj Vs. Sonakshi Verma	29/4/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
303	TRANSFER APPLICATION (CIVIL)	140	2026	Allahabad	M/S Virola International Vs. Smt. Sunita Sachdeva And 3 Others	29/4/2026
304	WRIT A	24985	2017	Allahabad	Manoj Kumar And 57 Ors. Vs. State Of U.P. And 6 Ors.	29/4/2026
305	WRIT A	180	2024	Lucknow	Union Of India Vs. Ex Hav Abhiram Goldar	29/4/2026
306	WRIT C	1002103	2000	Lucknow	Smt. Gyanwati Vs. Additional Commissioner Judicial Faizabad	29/4/2026
307	WRIT C	1866	2026	Lucknow	M/S S. A. Enterprises Vs. Reserve Bank Of India	29/4/2026
308	APPLICATION U/s 482	26175	2024	Allahabad	Amar Singh And Another Vs. State Of U.P. And Another	28/4/2026
309	FIRST APPEAL FROM ORDER	69	2026	Allahabad	New India Assurance Co. Ltd. Vs. Taiyyab Alam And Another	28/4/2026
310	SPECIAL APPEAL	367	2026	Allahabad	Prem Kumar Singh Vs. Pawan Kumar Gangwar And 3 Others	28/4/2026
311	WRIT A	4474	2016	Allahabad	Luxmi Shankar Tiwari And Another Vs. State Of U.P. And 4 Others	28/4/2026
312	WRIT C	41339	2025	Allahabad	Vijay Pal Singh And 12 Others Vs. State Of U.P. And 6 Others	28/4/2026
313	WRIT TAX	2238	2026	Allahabad	M/S Runway Impex And Another Vs. Union Of India And 2 Others	28/4/2026
314	CRIMINAL APPEAL	1735	1987	Allahabad	Brijbasi Lal And Another Vs. State Of U.P.	27/4/2026
315	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	30265	2025	Allahabad	Mohd. Chand Vs. State Of U.P. And 3 Others	27/4/2026
316	CRIMINAL REVISION	5837	2025	Allahabad	Ramraj Vs. State Of U.P. And Another	27/4/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
317	CRIMINAL REVISION	247	2026	Allahabad	Sushila Singh Vs. State Of U.P. And Another	27/4/2026
318	FIRST APPEAL FROM ORDER	885	2012	Lucknow	Smt. Chandrawati Yadav And Ors. Vs. Sri Vikas Pathak And Anr.	27/4/2026
319	WRIT A	4960	2026	Allahabad	Smt. Asha Singh Vs. State Of U.P. And 5 Others	27/4/2026
320	WRIT C	10703	2025	Lucknow	Rajendra Prasad Singh Vs. M/S Arch Construction And 3 Others	27/4/2026
321	WRIT C	22704	2025	Allahabad	Committee Of Management Hidaytul Muslimin School Vs. State Of U.P. And 3 Others	27/4/2026
322	CRIMINAL APPEAL	1235	1988	Allahabad	Pitambar Das Vs. State Of U.P.	24/4/2026
323	CRIMINAL APPEAL	1158	1989	Allahabad	Ram Palat And Another Vs. State	24/4/2026
324	CRIMINAL APPEAL	8514	2024	Allahabad	Raja @ Mohd Alam And Another Vs. State Of U.P. And Another	24/4/2026
325	CRIMINAL APPEAL	11406	2025	Allahabad	Mahesh Tiwari Vs. State Of U.P. And Another	24/4/2026
326	SPECIAL APPEAL	353	2025	Lucknow	Smt. Deepika Tiwari Vs. State Of U.P. And 3 Others	24/4/2026
327	SPECIAL APPEAL	420	2025	Lucknow	M/S Waheguru Projects Pvt. Ltd. Vs. M/S Arora Auto Center And 12 Others	24/4/2026
328	WRIT A	14466	2025	Lucknow	Akash Singh Vs. State Of U.P. And 6 Others	24/4/2026
329	WRIT C	19391	2023	Allahabad	South East U.P. Power Transmission Co. Ltd. Vs. Prescribed Authority And 4 Others	24/4/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
330	WRIT C	32408	2023	Allahabad	M/S Reliance Projects And Property Mgmt. Services Ltd. Vs. State Of U.P. And 25 Others	24/4/2026
331	WRIT C	34106	2023	Allahabad	Khwaja Asher (Minor) Vs. State Of U.P. And 4 Others	24/4/2026
332	MATTERS UNDER ARTICLE 227	12198	2025	Allahabad	Ranjeet Singh Vs. Neetu Singh	23/4/2026
333	MATTERS UNDER ARTICLE 227	1527	2025	Allahabad	Bhupendra Singh Vs. Smt. Namrata Saraswat	23/4/2026
334	MATTERS UNDER ARTICLE 227	2913	2026	Allahabad	Mohd Nasir @ Nasir Ahmad Vs. Anupam Vijay Gupta	23/4/2026
335	APPEAL UNDER SECTION 37 ARBITRATION ACT	53	2023	Lucknow	Laxmi Kant Pandey Vs. Hindustan Petroleum Corporation Ltd.	23/4/2026
336	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	13548	2026	Allahabad	Aman Yadav Vs. State Of U.P.	23/4/2026
337	CRIMINAL APPEAL	1880	2019	Allahabad	Mahesh Singh And 3 Others Vs. State Of U.P.	23/4/2026
338	CRIMINAL APPEAL	5148	2025	Allahabad	Ram Bhawan Harijan Vs. State Of U.P.	23/4/2026
339	FIRST APPEAL	306	2026	Allahabad	Poonam Pandey And Another Vs. Kulsum And 9 Others	23/4/2026
340	HABEAS CORPUS WRIT PETITION	243	2026	Allahabad	Dr. Bhavna Singh And Another Vs. State Of U.P. And 2 Others	23/4/2026
341	APPLICATION U/S 528 BNSS	7481	2025	Allahabad	Smt. Mayya @ Prem Kumari And 2 Others Vs. State Of U.P. And Another	23/4/2026
342	APPLICATION U/S 528 BNSS	1346	2026	Lucknow	Achche Lal Vs. Central Bureau Of Investigation Lko.	23/4/2026
343	WRIT A	5237	2008	Lucknow	Anil Kumar Singh And 2 Ors. Vs. State Of U.P. And 4 Ors.	23/4/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
344	WRIT A	34539	2009	Allahabad	Vinod Kumar Sethi Vs. UCO Bank Thru Regional Manager And Others	23/4/2026
345	WRIT A	403	2010	Lucknow	Rama Shankar Tiwari Vs. Canara Bank Thru General Manager Lucknow And Another	23/4/2026
346	WRIT A	5028	2012	Lucknow	Aanjaney Tripathi And 11 Ors. Vs. State Of U.P. Through Secy. Secondary Edu. Lko. And Ors.	23/4/2026
347	WRIT B	6873	1979	Allahabad	Sarju And Others Vs. D.D.C. And Others	23/4/2026
348	APPLICATION U/s 482	4950	2022	Allahabad	Smt. Shaheen Naz @ Shaheen Taj And Another Vs. State Of U.P. And Another	22/4/2026
349	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	13208	2026	Allahabad	Premshankar Ram Vs. State Of U.P.	22/4/2026
350	CRIMINAL APPEAL	801	2012	Lucknow	Anant Ram And Another Vs. State Of U.P.	22/4/2026
351	CRIMINAL APPEAL	958	2018	Lucknow	Rajesh Singh Rathore Vs. State Of U.P.	22/4/2026
352	CRIMINAL REVISION	2935	2024	Allahabad	Shavez Khan Vs. State Of U.P. And 3 Others	22/4/2026
353	HABEAS CORPUS WRIT PETITION	442	2026	Allahabad	Smt. Deeksha And Another Vs. State Of U.P. And 5 Others	22/4/2026
354	WRIT A	5764	2015	Lucknow	Ram Laut Yadav And Another Vs. State Of U.P. And Others	22/4/2026
355	WRIT A	9054	2025	Lucknow	Raj Kumar Sangam Vs. State Of U.P. And 2 Others	22/4/2026
356	CRIMINAL APPEAL	2473	1987	Allahabad	Jagdish And Another Vs. State Of U.P.	21/4/2026
357	CRIMINAL APPEAL	392	1991	Lucknow	Vijai Pal And Others Vs. State	21/4/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
358	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	10039	2022	Allahabad	Merino Industries Ltd. Vs. State Of U.P. And 2 Others	21/4/2026
359	CRIMINAL REVISION	1049	2026	Allahabad	Surendra Singh Vs. State Of U.P. And Another	21/4/2026
360	CRIMINAL REVISION	471	2026	Allahabad	Grijesh Singh Vs. State Of U.P. And Another	21/4/2026
361	FIRST APPEAL	10	2026	Allahabad	Chhote Lal Mishra (Deceased) And 5 Others Vs. Shree Yadunath Singh And 4 Others	21/4/2026
362	HABEAS CORPUS WRIT PETITION	365	2025	Allahabad	Akshit Pandey (Minor) And Another Vs. State Of U.P. And 6 Others	21/4/2026
363	CRIMINAL APPEAL U/S 413 BNSS	158	2026	Allahabad	Ram Kumar Vs. State Of U.P. And 3 Others	21/4/2026
364	WRIT A	4768	2026	Allahabad	Ramesh Chandra Upadhyay Vs. State Of U.P. And 4 Others	21/4/2026
365	WRIT A	511	2026	Allahabad	Mukesh Kumar Sharma Vs. State Of U.P. And 4 Others	21/4/2026
366	WRIT C	10692	2026	Allahabad	Seema Padalia And Another Vs. State Of U.P. And 5 Others	21/4/2026
367	WRIT C	13932	2026	Allahabad	Neeraj Singh And Another Vs. State Of U.P. And 10 Others	21/4/2026
368	MATTERS UNDER ARTICLE 227	1779	2025	Allahabad	Kiran Raikwar (Since Died) Vs. State Of U.P. And Another	20/4/2026
369	CIVIL REVISION	38	2025	Allahabad	Amarkant Vijaywar And 6 Others Vs. Vipnesh Kumar And 3 Others	20/4/2026
370	CRIMINAL APPEAL	522	1983	Lucknow	Ram Pratap Vs. State Of U.P.	20/4/2026
371	CRIMINAL APPEAL	666	1986	Lucknow	Raj Narain And Others Vs. State Of U.P.	20/4/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
372	CRIMINAL APPEAL	237	1988	Lucknow	Chidu And Others Vs. State Of U.P.	20/4/2026
373	CRIMINAL APPEAL	694	2016	Lucknow	Kamal Prasad Vs. State Of U.P.	20/4/2026
374	CRIMINAL APPEAL	1548	2026	Allahabad	Rizwan Vs. State Of U.P.	20/4/2026
375	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	27666	2025	Allahabad	Satendra Vs. State Of U.P. And 3 Others	20/4/2026
376	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	3360	2026	Lucknow	Mohit Yadav @ Mohit Kumar Vs. State Of U.P. And 3 Others	20/4/2026
377	APPLICATION U/S 528 BNSS	50778	2025	Allahabad	Smt. Ramvati Vs. State Of U.P. And 3 Others	20/4/2026
378	APPLICATION U/S 528 BNSS	12833	2026	Allahabad	Reyazuddin @ Bablu And Another Vs. State Of U.P. And Another	20/4/2026
379	WRIT A	4116	2019	Allahabad	Kunwar Pal Singh Vs. State Of U.P. And 3 Others	20/4/2026
380	WRIT A	7257	2025	Lucknow	Braham Singh Vs. State Of U.P. And Another	20/4/2026
381	WRIT A	9112	2025	Lucknow	Km. Sunita Devi Vs. State Of U.P. And 4 Others	20/4/2026
382	WRIT C	61435	2010	Allahabad	Gangadhar Tiwari Vs. State Of U.P. And Others	20/4/2026
383	APPLICATION U/s 378	30	2024	Lucknow	State Of U.P. Vs. Shubham Srivastava And 3 Others	17/4/2026
384	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	8278	2026	Allahabad	Law Kush Kumar Shukla Vs. State Of U.P. And 3 Others	17/4/2026
385	CRIMINAL REVISION	6123	2025	Allahabad	Urvesh Vs. State Of U.P. And Another	17/4/2026
386	WRIT A	6861	2024	Lucknow	Sameer Agarwal Vs. State Of U.P. And 3 Others	17/4/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
387	WRIT A	1456	2025	Allahabad	Rameshwar Dayal Vs. State Of U.P. And 4 Others	17/4/2026
388	WRIT C	34909	2023	Allahabad	Smt. Pushpa Devi Vs. State Of U.P. And 6 Others	17/4/2026
389	WRIT C	12447	2026	Allahabad	Bhullan Singh And 3 Others Vs. State Of U.P. And 3 Others	17/4/2026
390	MATTERS UNDER ARTICLE 227	3816	2026	Allahabad	Hemant Kumar Garg Vs. Pulkit Garg	16/4/2026
391	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	3203	2026	Allahabad	Aleena @ Aleena Parveen And Another Vs. State Of U.P. And 2 Others	16/4/2026
392	CRIMINAL REVISION	1617	2011	Allahabad	Rishipal And Others Vs. State Of U.P. And Another	16/4/2026
393	FIRST APPEAL	277	2026	Allahabad	Smt. Sunita Gupta And Another Vs. Smt. Prem Gupta And 2 Others	16/4/2026
394	HABEAS CORPUS WRIT PETITION	741	2025	Allahabad	Sameer And Another Vs. State Of U.P. And 7 Others	16/4/2026
395	HABEAS CORPUS WRIT PETITION	781	2025	Allahabad	Javed And Another Vs. State Of U.P. And 6 Others	16/4/2026
396	HABEAS CORPUS WRIT PETITION	919	2025	Allahabad	Jane Alam Corpus Vs. State Of U.P. And Others	16/4/2026
397	WRIT A	12905	2010	Allahabad	Jagdamba Prasad Pandey Vs. State Of U.P. And Others	16/4/2026
398	WRIT A	6757	2014	Lucknow	Smt. Rekha Devi And 2 Ors. Vs. State Of U.P. And Others	16/4/2026
399	WRIT B	6809	1979	Allahabad	Abdul Haq Vs. D.D.C. And Others	16/4/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
400	WRIT C	37114	2023	Allahabad	Kamrunnisha Vs. State Of U.P. And 3 Others	16/4/2026
401	WRIT C	13663	2025	Allahabad	Ajay Kumar Srivastava Vs. State Of U.P. And 3 Others	16/4/2026
402	WRIT C	6882	2026	Allahabad	M/S G.V. Construction And Supplier Vs. State Of U.P. And 3 Others	16/4/2026
403	APPLICATION U/s 482	9058	2022	Lucknow	Bithal Das Mundhra And Another Vs. State Of U.P. And Another	15/4/2026
404	APPLICATION U/s 482	22	2023	Lucknow	Rajiv Mundhra Vs. State Of U.P. And Another	15/4/2026
405	CRIMINAL APPEAL	348	1986	Allahabad	Kanhaiya And Others Vs. State	15/4/2026
406	CRIMINAL APPEAL	1924	2013	Allahabad	Ashiq Vs. State Of U.P.	15/4/2026
407	FIRST APPEAL	713	2021	Allahabad	Pappu Vs. U.P. State Electricity Board	15/4/2026
408	FIRST APPEAL	17	2024	Allahabad	Raviprakash Vs. Dalip Singh And 2 Others	15/4/2026
409	HABEAS CORPUS WRIT PETITION	128	2026	Allahabad	Amit Singh Vs. Union Of India And 5 Others	15/4/2026
410	WRIT A	6504	2014	Lucknow	Kamla Devi Vs. State Of U.P. And Others	15/4/2026
411	WRIT A	38777	2015	Allahabad	Sachin Kumar And 2 Others Vs. Union Of India And 3 Others	15/4/2026
412	WRIT A	8315	2022	Lucknow	Jai Prakash Awasthi Vs. State Of U.P. And 2 Others	15/4/2026
413	WRIT C	1637	2026	Lucknow	Nanhe Lal Vs. State Of U.P. And 2 Others	15/4/2026
414	WRIT A	10432	2019	Allahabad	Vijai Kumar Yadav Vs. State Of U.P. And 3 Others	13/4/2026
415	WRIT A	18434	2025	Allahabad	Smt. Meenakshi Sharma And Another Vs. State Of U.P. And 3 Others	13/4/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
416	WRIT C	1258	2026	Lucknow	M/S Adeeba Naaz Contractor Vs. State Of U.P. And 2 Others	13/4/2026
417	MATTERS UNDER ARTICLE 227	9426	2025	Allahabad	Amit Kumar Rana Vs. State Of U.P. And Another	10/4/2026
418	APPLICATION U/s 482	2993	2026	Lucknow	Shubhra Tiwari Vs. State Of U.P. And Another	10/4/2026
419	CRIMINAL APPEAL	2509	1985	Allahabad	Danna Alias Ramesh And Another Vs. State Of U.P.	10/4/2026
420	CRIMINAL APPEAL	1441	1987	Allahabad	Rammu And Others Vs. State Of U.P.	10/4/2026
421	CRIMINAL APPEAL	2055	1989	Allahabad	Ram Prakash And 6 Others Vs. State Of U.P.	10/4/2026
422	FIRST APPEAL	387	2026	Allahabad	State Of U.P. And 2 Others Vs. Iftekhhar Ahmad And Another	10/4/2026
423	HABEAS CORPUS WRIT PETITION	387	2026	Allahabad	Smt. Anjali Devi And 2 Others Vs. State Of U.P. And 3 Others	10/4/2026
424	SECOND APPEAL	1905	1978	Allahabad	Smt. Qamrunnisa And Others Vs. Smt. Tamizan And Others	10/4/2026
425	WRIT C	37749	2019	Allahabad	Vinay Kumar Singh Vs. State Of U.P. And 4 Others	10/4/2026
426	WRIT C	14707	2025	Allahabad	Vimal Singh Vs. Union Of India And 4 Others	10/4/2026
427	WRIT C	1656	2026	Allahabad	Committee Of Management Janta Janardan Shiksha Sadan Vs. State Of U.P. And 5 Others	10/4/2026
428	MATTERS UNDER ARTICLE 227	6089	2025	Lucknow	U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. Vs. Adani Enterprises Ltd.	9/4/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
429	MATTERS UNDER ARTICLE 227	1597	2026	Lucknow	Vaishnavi Mishra And Another Vs. State Of U.P.	9/4/2026
430	APPLICATION U/s 482	25724	2022	Allahabad	Satinder Singh Bhasin And Another Vs. State Of U.P. And Another	9/4/2026
431	CRIMINAL APPEAL	1912	1986	Allahabad	Jagannath Vs. State Of U.P.	9/4/2026
432	CRIMINAL APPEAL	1062	1989	Allahabad	Brijendra Singh And Others Vs. State Of U.P.	9/4/2026
433	CRIMINAL REVISION	131	2023	Lucknow	Vinod Kumar Vs. State Of U.P. And Another	9/4/2026
434	FIRST APPEAL	10	2022	Allahabad	B.N. Tripathi And 3 Others Vs. State Of U.P. And Another	9/4/2026
435	APPLICATION U/S 528 BNSS	6617	2026	Allahabad	Rajnish Rai And 3 Others Vs. State Of U.P. And Another	9/4/2026
436	APPLICATION U/S 529 BNSS	4251	2025	Allahabad	Damini Vs. State Of U.P. And Another	9/4/2026
437	SPECIAL APPEAL DEFECTIVE	220	2011	Allahabad	Shiv Bachan Ram Vs. State Of U.P. And Others	9/4/2026
438	TRANSFER APPLICATION (CIVIL)	620	2023	Allahabad	Smt. Vinita Vs. Vivek Kumar	9/4/2026
439	TRANSFER APPLICATION (CIVIL)	465	2025	Allahabad	Shikha Sharma Vs. Dimpal Babu Gangwar	9/4/2026
440	WRIT A	7914	2009	Lucknow	Suresh Bahadur Singh Kaushik Vs. State Of U.P. And Others	9/4/2026
441	WRIT A	8349	2011	Lucknow	Smt. Kavita Chaturvedi Vs. State Of U.P. And Others	9/4/2026
442	WRIT A	8001	2025	Allahabad	Satyaverat Vs. State Of U.P. And 3 Others	9/4/2026
443	WRIT C	1898	2026	Lucknow	Udasa And 106 Others Vs. Union Of India And 5 Others	9/4/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
444	MATTERS UNDER ARTICLE 227	1563	2026	Allahabad	Ashish Kumar Agrawal Vs. Shri Chitrakoot Ramlila Samiti And 2 Others	8/4/2026
445	APPLICATION U/s 482	8190	2023	Allahabad	Ramdular Singh Vs. State Of U.P. And Another	8/4/2026
446	CRIMINAL APPEAL	3129	1986	Allahabad	Amar Nath Singh Vs. State Of U.P.	8/4/2026
447	FIRST APPEAL	48	2025	Allahabad	Shailendra Jain Vs. State Of U.P. And 2 Others	8/4/2026
448	INCOME TAX APPEAL	4	2026	Lucknow	Principal Commissioner Of Income Tax I, Lucknow Vs. Medharaj Techno Concept Pvt. Ltd.	8/4/2026
449	JAIL APPEAL	188	2021	Allahabad	Baba Vishwakarma Vs. State Of U.P.	8/4/2026
450	WRIT C	12311	2026	Allahabad	Smt. Sarita Singh Vs. State Of U.P. And 2 Others	8/4/2026
451	WRIT C	1489	2026	Allahabad	Ashish Rawat Vs. Union Of India And 6 Others	8/4/2026
452	APPLICATION U/s 482	9282	2022	Lucknow	Fatima Begum And 2 Others Vs. State Of U.P. And Another	7/4/2026
453	CRIMINAL APPEAL	2528	2008	Lucknow	Tarsem Singh Vs. State Of U.P.	7/4/2026
454	CRIMINAL APPEAL	964	2026	Lucknow	Fahimuddin Ansari Vs. State Of U.P. And Another	7/4/2026
455	CRIMINAL MISC REVIEW APPLICATION DEFECTIVE	6	2026	Allahabad	Balwant Singh Vs. State Of U.P. And 2 Others	7/4/2026
456	FIRST APPEAL	273	2026	Allahabad	Mr. Puneet Sachdeva Vs. IndusInd Bank And 3 Others	7/4/2026
457	WRIT A	58564	2009	Allahabad	Jamuna Prasad Nigam And Others Vs. State Of U.P. And Others	7/4/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
458	WRIT B	10859	1981	Allahabad	Chhutta And Others Vs. The Board Of Revenue And Others	7/4/2026
459	WRIT C	23348	2008	Allahabad	Central Bank Of India Vs. State Of U.P. And Others	7/4/2026
460	WRIT C	22877	2016	Lucknow	Aman Ullah Vs. State Of U.P. And Others	7/4/2026
461	CRIMINAL REVISION	4150	2024	Allahabad	Neeru Vs. State Of U.P. And 8 Others	6/4/2026
462	APPLICATION U/S 528 BNSS	872	2026	Lucknow	Ravindra Pratap Vs. State Of U.P. And Another	6/4/2026
463	WRIT A	29002	2019	Lucknow	Ankit Kumar Vs. State Of U.P. And Others	6/4/2026
464	WRIT C	30949	2017	Lucknow	Asgari Begam Vs. State Of U.P. And Others	6/4/2026
465	WRIT C	12679	2022	Allahabad	Afjaal Ahmad And Another Vs. State Of U.P. And 4 Others	6/4/2026
466	WRIT C	10803	2026	Allahabad	Aseen Vs. State Of U.P. And 3 Others	6/4/2026
467	APPLICATION U/s 482	4460	2022	Lucknow	Rajat Saxena And Another Vs. State Of U.P. And Another	3/4/2026
468	APPLICATION U/s 482	1535	2026	Lucknow	M/S Supreme Technofabs Pvt. Ltd. Vs. Directorate Of Enforcement	3/4/2026
469	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	296	2026	Allahabad	Nafees Alias Mohammad Nafees Vs. State Of U.P.	3/4/2026
470	CRIMINAL MISC. WRIT PETITION	2777	2026	Lucknow	Mohammad Mushfik Vs. State Of U.P. And Others	3/4/2026
471	APPLICATION U/S 528 BNSS	11167	2026	Allahabad	Sandeep Mishra Vs. State Of U.P. And Another	3/4/2026

S.No.	Case Type	Case Number	Case Year	Location	Party Name	Decision Date
472	SPECIAL APPEAL	163	2021	Lucknow	U.P. Public Service Commission Vs. Ashish Tyagi And Others	3/4/2026
473	SPECIAL APPEAL	1205	2025	Allahabad	Smt. Rinku Ram @ Rinku Devi Vs. State Of U.P. And Others	3/4/2026
474	WRIT A	10958	2018	Allahabad	C/M St. Johns Girls Junior High School Vs. State Of U.P. And Another	3/4/2026
475	WRIT A	9421	2023	Lucknow	Leelawati Gupta Vs. State Of U.P. And Others	3/4/2026
476	WRIT A	11875	2025	Allahabad	Preeti Jaiswal Vs. State Of U.P. And Others	3/4/2026
477	WRIT A	15328	2025	Allahabad	Veena Menon Vs. State Of U.P. And Others	3/4/2026
478	WRIT C	3000033	1999	Lucknow	Kulwant Singh And Others Vs. State Of U.P. And Others	3/4/2026
479	MATTERS UNDER ARTICLE 227	3045	2026	Allahabad	Shyam Pal Vs. B.S. Enterprises	2/4/2026
480	APPLICATION U/s 482	10324	2025	Lucknow	Indu Tandon Vs. State Of U.P. And Others	2/4/2026
481	APPLICATION U/s 482	1424	2026	Lucknow	Surendar Singh Vs. CBI Lko.	2/4/2026
482	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	29240	2025	Allahabad	Rohit Patel Vs. State Of U.P.	2/4/2026
483	CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION	10323	2026	Allahabad	Sunny Vs. State Of U.P.	2/4/2026
484	CRIMINAL APPEAL	205	1985	Allahabad	Rameshwar Prasad Gupta Vs. State	2/4/2026
485	CRIMINAL APPEAL	2487	1985	Allahabad	Bhanwarkali And Another Vs. State Of U.P.	2/4/2026
486	CRIMINAL APPEAL	2402	1989	Allahabad	Tej Bir And Others Vs. State Of U.P.	2/4/2026

मुवास प्रकोष्ठ के अन्य प्रकाशन

हम आशा करते हैं की **‘न्यायाभा-न्याय की किरण’** के इस सातवें संस्करण ने अपेक्षानुसार आप विद्वान पाठकगण को न्यायिक क्षेत्र के संदर्भ में ज्ञानसंवर्धन किया होगा। इसी क्रम में, **‘न्यायाभा-न्याय की किरण’** के साथ ही हमारे अन्य प्रकाशन आपके पठन हेतु उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका (e-AHCR)

- क. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इतिहास के सारांश
- ख. हिन्दी में अनुवादित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय
- ग. सर्वोच्च न्यायालय के हिन्दी में अनुवादित निर्णय
- घ. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐतिहासिक निर्णय।
- च. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के न्यायालय द्वारा पारित हिन्दी में अनुवादित निर्णय / अंतिम आदेश
- छ. विभिन्न अधिनियम (हिन्दी में तथा हिन्दी में अनुवादित) और
- ज. एक निःशुल्क सर्च इंजन, जो दिए गए कीवर्ड के आधार पर न्यायालय के निर्णयों की खोज करता है, तथा मूल और इसके अनुवादित संस्करण दोनों के लिए कार्य करता है। साथ ही इसमें विभिन्न अन्य फ़िल्टर मानदंड जैसे वाद शीर्षक, माननीय न्यायमूर्ति का नाम, तटस्थ उद्धरण, आदि भी उपलब्ध हैं, और किसी भी प्रकार की खोज को मूल्यवान बनाते हैं।

इसके अतिरिक्त **‘ई पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय’** शृंखला का प्रकाशन जिसके प्रथम अंक में **‘मुकदमा चौरी चौरा’** में पारित इलाहाबाद उच्च न्यायालय का हिन्दी में अनुवादित निर्णय, द्वितीय अंक में **‘केशव सिंह प्रकरण’** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के हिन्दी अनुवाद, तृतीय अंक में स्वतंत्रता पूर्व ऐतिहासिक **‘आगरा षडयंत्र प्रकरण’** तथा चतुर्थ एवं पंचम संस्करण में क्रमशः **‘कानपुर बम विस्फोट प्रकरण’** एवं **‘राज नारायण बनाम इंदिरा नेहरू गांधी’** में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया गया है। इसके आगामी अंकों में अन्य ऐतिहासिक मुकदमों में पारित निर्णयों का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किया जाएगा।

न्यायाभा-न्याय की किरण

संपादक मण्डल

श्री अनिल कुमार सिंह ॥

(उच्च न्या. सेवा/ समिति के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)
प्रधान संपादक

श्री विवेक श्रीवास्तव,

संयुक्त निबंधक, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
संपादक

श्री विनोद कुमार त्रिपाठी,

अनुभाग अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
उप-संपादक

डॉ. अनुपम श्रीवास्तव,

समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद
सह-संपादक

पदेन सदस्य

श्री मनीष कुमार सिंह,

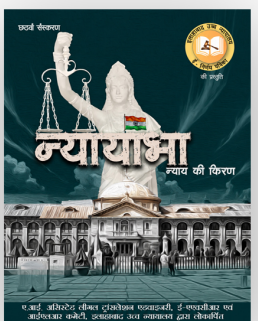
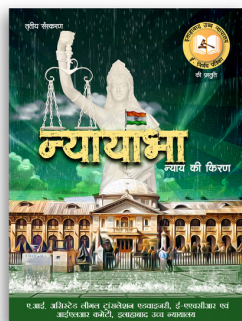
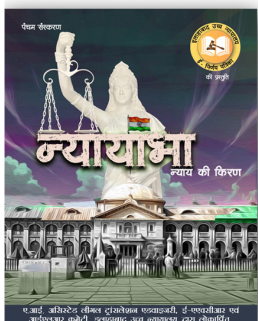
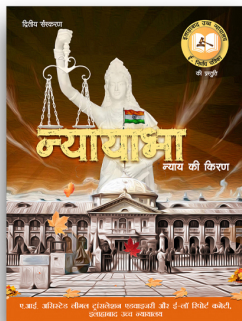
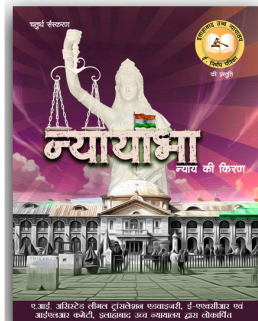
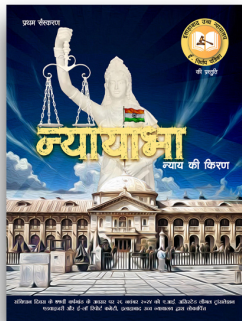
समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद

विधि प्रतिवेदक

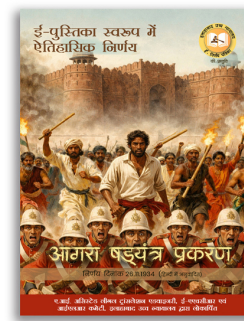
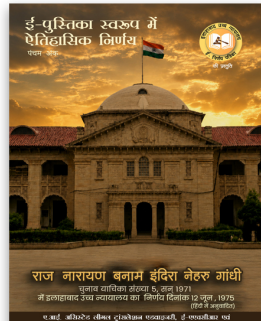
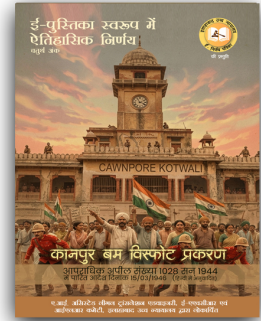
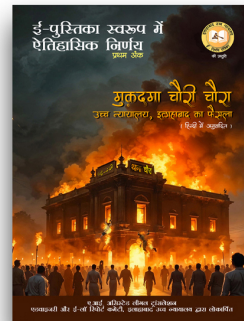
श्री आशीष कुमार, श्री कुणाल शाह, श्री पंकज अस्थाना, श्री ईश शरण, श्री कार्तिकेय सिंह, श्री श्रेयश
श्रीवास्तव, सुश्री सोनाक्षी अरोरा

सुवास प्रकोष्ठ के अन्य प्रकाशन

न्यायाभा न्याय की किरण



ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय





ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी, ई-एक्सीआर एवं
आईएलआर कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लोकार्पित